लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Preservation Unit
28-8-92
Parliament Library

[खंड 36 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपए

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 13—गुरुवार, 7 मार्च, 1974/16 फाल्गुन, 1895 (शक)

No. 13—*Thursday, March* 7, 1974/*Phalguna* 16, 1895 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
निधन-सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	1–2

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या
*S. Q. Nos.

222 छूत की बीमारियों पर नियंत्रण और उनके उन्मूलन के लिये धनराशि का आवंटन	Allotment of Funds for Control and Eradication of Communicable Diseases . . .	2–6
223 दिल्ली में सरकारी संगठनों के फार्मासिस्टों द्वारा हड़ताल	Strike by Pharmacists in Govt. Organisations in Delhi .	6–7
225 नेशनल मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल कलकत्ता का एक गैर-सरकारी उद्यम को सौंपा जाना	Handing over of National Medical College and Hospital, Calcutta to a Private Enterprise	7–8
227 मुद्रास्फीति प्रभाव-मुक्त बचत बाण्डों को जारी करना	Issue of Inflation Resistant Saving Bonds . . .	9–10
228 राउरकेला इस्पात संयंत्र में संविदा श्रमिक प्रणाली को समाप्त करना	Abolition of Contract Labour System in Rourkela Steel Plant	10–13
229 उच्चतम न्यायालय द्वारा औषध तथा प्रसाधन अधिनियम में सुझाये गये परिवर्तन	Changes Suggested by Supreme Court in Drugs and Cosmetics Act	13–14
230 वृद्ध विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये पश्चिम बंगाल की वृहत् योजना	West Bengal Master Plan for Rehabilitation of Old Displaced Persons . . .	14–17

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

221 भोले-भाले आदिवासियों की नसबंदी	Sterilization of Innocent Adivasis	18
224 पाकिस्तानी युद्धबंदियों पर मुकदमें चलाने के प्रश्न पर बात-चीत करने के बारे में पाकिस्तानी प्रस्ताव	Pak. Proposal for Talks on Pak. P.O. Ws. Trial Issue . .	18
226 कोचीन पत्तन में हड़ताल	Strike in Cochin Port . .	18

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—5 LSS/74

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
232	रोजगार कार्यालयों के माध्यम से गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में नियुक्तियां करना	Routing of Appointments to Private and Public Sectors through Employment Exchanges.	19
233	बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों को मुआवजा	Compensation to Indians Repatriated from Burma . .	19—20
234	इस्लामी देशों द्वारा वायु सेना की शक्ति बढ़ाया जाना	Air Force Build up by Islamic Countries	20
235	धनबाद कोयला क्षेत्रों में हड़तालें, "काम धीमा करो" और "नियमानुसार काम करो" आन्दोलन	Strikes, Go Slow and Work to Rule Movements in Dhanbad Coal Fields . . .	20
236	एल्यूमिनियम का उत्पादन	Production of Aluminium .	21
237	पुरुष और महिला बीडी कर्मचारियों की मजूरी में अंतर	Difference in Wages of Male and Female Bidi Workers .	21
238	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के निर्यात से होने वाली आय	Exports Earnings by Hindustan Aeronautics Limited . .	21
239	वरिष्ठ और कनिष्ठ डिविजनों के राष्ट्रीय छात्र सेना दल अधिकारियों के कमीशन प्राप्ति की अधिसूचना का भारत के राजपत्र में प्रकाशन	Notification of Commission of Senior and Junior Divisions' NCC Officers in Gazette of India.	21–22
240	लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश में संशोधन	Amendment of Iron and Steel (Control) Order . .	22
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2204	लोहे की कतरनों आदि का आयात	Import of Ferrous Scrap .	22
2205	युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की पत्नियों के लिये मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial assistance to Madhya Pradesh for War Widows .	22
2206	सीमा सड़क संगठन	Border Roads Organisation .	22–23
2207	मध्य प्रदेश में औषधियों की कमी का अनुमान	Assessment of shortage of Drugs in Madhya Pradesh .	23
2208	कोयले की दोहरा मूल्य प्रणाली	Dual pricing system of coal .	23
2209	दक्षिण भारत में कोयले से भरपूर क्षेत्र	Coal bearing area in Southern India	23–24
2210	वर्ष 1974-79 के दौरान रेलवे कोच तथा वैगन निर्माण की क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal to increase Railway Coach and Wagon manufacturing capacity during 1974—79	24

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2211	केरल के औद्योगिक एककों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू करना	Coverage under EPF of Industrial Units in Kerala	24
2212	केरल के लिये परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme for Kerala	25–26
2213	श्रीलंका से प्रत्यावर्ती	Repatriates from Sri Lanka	26
2214	दिल्ली में दुकानों के खुलने और बंद होने के समय	Observance of Shop hours in Delhi	26
2215	असैनिक तथा सैनिक क्षेत्रों के लिये छोटे विमान	Mini planes for Civil and Military	26–27
2216	सरकारी उपक्रमों में खाली पड़े अध्यक्ष के पद	Posts of Chairman lying vacant in Public Sector Undertakings	27
2217	भारतीय विदेश सेवा में पदोन्नति और सीधी नियुक्ति का अनुपात	Ration of Promotions and direct Recruitment to Indian Foreign Service	27–28
2218	मैसर्स दरबशाह बी० करसेट जी एंड सन्स, बम्बई पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 लागू करने के बारे में ज्ञापन	Memorandum Regarding covering of M/s. Darabashaw B. Cursetjee and Sons, Bombay under EPF Act, 1952	29
2219	फिलीस्तीनी विद्यार्थियों द्वारा दिल्ली स्थित अरब लीग वाणिज्य दूतावास पर हमला	Palestinian Students attack on Arab League Consulate Office in Delhi	29
2220	इस्पात संबंधी नीति	Steel Strategy	29–30
2221	पश्चिम जर्मनी में भारतीय डाक्टर	Indian Doctors in West Germany	30
2222	अमरीका में भारत मूलक लोग	Persons of Indian Origin in USA	30
2223	केन्द्रीय श्रमिक संघों द्वारा अपनी सदस्यता का सत्यापन	Verification of Membership by Central Trade Unions	30–31
2224	मध्य प्रदेश की कपड़ा मिलों में परिवार पेंशन योजना	Family Pension Scheme in Textile Mills in M.P.	31
2226	मध्य प्रदेश के उत्पादन एककों को स्टनलेस स्टील	Stainless Steel to Production Units of Madhya Pradesh	31
2227	फैक्टरी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों की प्रति व्यक्ति दैनिक आय में कमी	Decline in per capita daily earnings of workers in Factory Establishment	31–32

अता०प्र०संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2228	भारत स्थित विदेशी दूतावासों की सुरक्षा के लिये उपाय	Measures for Security of Foreign Embassies in India .	82
2229	ईंधन अनुसंधान संस्थान, ज्यालगोडा	Fuel Research Institute, Jealgora	32
2230	विदेश मंत्री के विदेशी दौरे तथा उन पर हुआ खर्च	Foreign Minister's visits Abroad and Expenditure incurred	32
2231	रूसी कम्पनी द्वारा भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची को सब मशीनों की सप्लाई न करना	Non-Supply of Complete Machinery by Russian Company to HEC Ranchi . . .	33
2232	बोकारो स्टील सिटी में डिग्री कालिज और माध्यमिक स्कूल	Degree College and Secondary Schools at Bokaro Steel City	33
2233	रेल संकट के कारण सरकारी तथा गैरसरकारी इस्पात संयंत्रों के उत्पादन में कमी	Production loss to Public and Private Sector, Steel Plants due to Railway Trouble	33–34
2234	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ द्वारा निर्मित स्कूटरों की विक्रय एजंसियां	Dealership for Scooters Manufactured by Scooters India Limited, Lucknow . .	34
2235	एल्यूमिनियम के प्रमुख उत्पादकों द्वारा एल्यूमिनियम की सप्लाई में कथित भेदभाव	Alleged Discrimination by Primary Producers of Aluminium in Supplies of Aluminium	34
2236	इंडिपेंडेंट (सेकन्डरी) एक्स-ट्रेडर्स आफ एल्यूमिनियम	Independent (Secondary) Extraders of Aluminium .	35
2237	संतति निरोध के नये उपाय के लिये आई० आई० टी० तथा अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, दिल्ली द्वारा प्रयोग	Experiment for New Method for Birth Control by IIT and AIIMS, Delhi . . .	35
2238	इस्को तथा टिस्को का बंद होना	Closure of IISCO and TISCO	35–36
2239	सरकारी कोटे में से कारों तथा स्कूटरों के आवंटन के बारे में जानकारी देने के प्रणाली	System of giving Information regarding Allotment of cars and scooters from Government Quota . . .	36
2240	दिल्ली के अस्पतालों में कैंसर के उपचार के लिये ब्लड प्लाज़मा प्लांट का उपलब्ध न होना	Non Availability of Blood Plasma plant for Cancer Treatment in Hospitals of Delhi	36–37
2241	रक्त दाताओं को भुगतान की दर	Rate of Payment to Donors of Blood	37
2242	तिरुपति में लघु इस्पात संयंत्र	Mini Steel Plant at Tirupathi	37

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2243	आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा बिलेटों का निर्माण	Manufacture of Billets by Andhra Pradesh Industrial Development Corporation .	38
2244	आंध्र प्रदेश में स्पेंज लोहा परियोजना की प्रगति	Progress of Sponge Iron Project in Andhra Pradesh .	38
2245	चीनी, कागज तथा वस्त्र उद्योगों के लिए संयंत्रों तथा मशीनरी के आयात पर प्रतिबंध	Ban on Import of Plants and Machinery for Sugar, Paper and Textile Industries .	38-39
2247	ट्रैक्टरों के उत्पादन में कमी और उनका आयात	Shortage production and Import of Tractors . .	39
2248	दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई में कोयला गैस संयंत्र की स्थापना	Setting up of Coal Gas Plants at Delhi, Calcutta and Bombay	39
2249	चीनी उद्योग में प्रवेश पाने के लिये इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा तकनीकी ज्ञान का विकास	Know how developed by Engineering Projects (India) Ltd. to enter Sugar Industry .	40
2250	कोंडागांव में कुक्कुट पालन फार्म में हुई हानि	Loss incurred in Poultry Farm at Kondagaon . . .	40
2251	नकली औषध एककों का पता लगाना	Unearthing Spurious Drug Units	40-41
2252	नेताजी जांच आयोग को कर्नल हबीबुर्रहमान द्वारा दिये गये वक्तव्य का दिया जाना	Furnishing Statement by Col. Habibur Rahman to Netaji Enquiry Commission . .	41
2253	मध्य प्रदेश में एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना के लिए रूस के साथ सहयोग	Soviet Collaboration in an Aluminium Plant in M.P.	41-42
2254	बागानों में काम कर रहे श्रमिक	Workers Employed in Plantations	42
2256	पटसन उद्योग में हड़ताल के कारण पटसन के उत्पादन तथा निर्यात आय में हानि	Loss in Jute Production and Export Earning due to Strike in Jute Industry . . .	42
2257	भविष्य निधि के कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों को लाभ	Benefit to Employees working in the offices of Provident Fund	42-43
2258	अलवर में स्कूटर कारखाने की स्थापना	Setting up of a Scooter Factory in Alwar	43
2259	निर्यात के लिये एल्यूमिनियम परियोजना की स्थापना	Setting up of Aluminium Project for Export . . .	43-44
2260	कनाडा से एल्यूमिनियम का आयात	Import of Aluminium from Canada	44

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2261	भारत में विषाक्त भोजन के मामले	Food Poisoning Cases in India	44-45
2262	कस्टोडियन के अधीन निष्क्रांत भूमि तथा आवास सम्पत्ति	Evacuee Land and Housing Property under Custodian	45
2263	कस्टोडियन की भूमि और सम्पत्ति का भूमिहीनों में वितरण	Distribution of Custodian Land and Property among Landless People . . .	45
2264	उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना	Establishment of Ayurvedic University in U.P. . .	46
2265	पांचवी योजना में मेडिकल कालेजों की स्थापना	Setting up of Medical Colleges during Fifth Plan . .	46
2266	पश्चिमी देशों की फर्मों द्वारा उर्वरक के लिये दिये गये ठेकों पर पुर्नविचार किया जाना	Reopening of contracts with Western Firms for Fertilizer	46
2267	कपड़ा उद्योग में हड़ताल के बारे में त्रिपक्षीय वार्ता	Tripartite talks on strike in Textile Industries . .	47
2268	मिग विमान कारखाने से सम्बद्ध एक भूतपूर्व अधिकारी की गिरफ्तारी	Arrest of an ex-officer attached with Mig Viman Factory	47
2269	आर्थिक और वैज्ञानिक सहयोग के लिये भारत रुमानिया संयुक्त आयोग	Indo Rumanian Joint Commission for Economic and Scientific Cooperation . . .	47-48
2270	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड की गाजियाबाद यूनिट के लिये सामान का आयात	Import of Material for Ghaziabad Unit of Bharat Electronics Ltd.	48
2271	पैट्रोल की कीमत में वृद्धि होने से स्कूटरों की मांग	Demand of Scooters due to Rise in Petrol Prices . .	48-49
2272	काली पनबिजली परियोजना के निकट अल्यूमिनियम संयंत्र	Aluminium Plant at Proximity of Kali Hydel Project .	49
2273	छम्ब के शरणार्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल की प्रधान मंत्री से भेंट	Meeting of a Deputation of Chhamb Refugees with Prime Minister . . .	49
2274	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित पिक्चर ट्यूबों की मांग	Demand for picture Tubes Manufactured by Bharat Electronics	50
2275	खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिये दंड	Punishment for Food Adulteration	50-51
2276	प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर कारखाना	Tractor Factory in Pratapgarh, U.P.	51

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2277	मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य केन्द्रों तथा औषधालयों की स्थापना	Setting up of Health Centres and Dispensaries in Madhya Pradesh	51-52
2278	खेतिहर मजदूरों के लिये बढ़ी हुई मजूरी तथा रोजगार की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिये विधेयक	Bill to provide increased wages and job Security to Farm Labourers . . .	53
2279	छोटी कार के उत्पादन के लिये नये कारखानों की स्थापना का स्थगन	Postponement of setting up of New Factories for Manufacture of Small Car . .	53
2280	उड़ीसा के आदिवासियों की नसबंदी	Vasectomy Operations amongst Orissa Tribals . . .	53-54
2281	फ्रांस के नौसेना अधिकारी का भारत का दौरा	French Naval Officer's Visit to India	54
2282	इस्पात संयंत्रों द्वारा सामान्य कार्य प्रारंभ करना	Resumption of Normal work in Steel Plants . . .	54-55
2283	लघु इस्पात परियोजनाओं पर प्रतिबंध	Ban imposed on Mini Steel Projects	55
2284	संगठित क्षेत्र के अंतर्गत राज्यों में उद्योगवार रोजगार	Industry wise Employment in States in Organised Sector	55
2285	औद्योगिक विवाद	Industrial Disputes	55-56
2286	इस्पात का उत्पादन	Production of Steel	56
2287	ट्रैक्टरों के लिये अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि	Increase in Installed capacity for Tractors	57
2288	चीन-भारत सीमा के सबंध में रूसी मानचित्र	Soviet Maps on Sino-Indian Borders	57
2289	हड़तालों और ताला बंदियों के कारण सरकारी क्षेत्र में निजी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जनदिवसों की हानि	Loss of Man-days due to strikes and Lock outs in Public Sector as compared to Private Sector	57
2290	सरकारी अस्पतालों में किये गये गर्भपात	Abortions carried out in Government Hospitals . . .	58
2291	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को हानि	Losses incurred by Hidustan Aeronautics Ltd. . .	58
2292	आन्ध्र प्रदेश में लोहा और इस्पात के कारखाने	Iron and Steel Units in Andhra Pradesh	58
2293	आयुर्वेदिक औषधियों के दिल्ली के निर्माता	Ayurvedic Drug Manufacturers of Delhi	58
2294	विषाक्त डबल रोटी खाने से बीमार हुय व्यक्ति	Persons taken ill of the consuming poisonous Bread . .	59

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2295	कोयला धोने की अतिरिक्त क्षमता	Additional capacity for Washing Coal	59
2296	एल्यूमिनियम का बढ़ा हुआ मूल्य	Increased Price of Aluminium	59
2297	वर्ष 1973-74 में सरकारी क्षेत्र के एककों का कार्य	Performance of Public Sector Units in 1973-74 . .	60
2298	कोयला धोने के कारखानों के पास धुले हुये कोयले का जमा हो जाना	Accumulation of washed coal with coal Washeries . .	61
2299	गुजरात में भारी उद्योग कारखानों की स्थापना	Setting up of Heavy Industry Units in Gujarat . . .	61
2300	गुजरात को सप्लाई किया गया इस्पात	Steel supplied to Gujarat .	61
2301	गुजरात के जूनागढ़ जिले में परिवार नियोजन केन्द्र	Family Planning Centres in Junagarh District, Gujarat .	61–62
2302	भारत-मिस्त्र संबंधों में सुधार	Improvements in Indo-Egyptian Relations . . .	62
2303	कृषि श्रमिकों के लिये एक समान मजूरी नीति	Uniform Wage Policy for Agricultural Workers . .	62
2304	बम्बई में कपड़ा श्रमिकों की यूनियने	Textile Workers Unions in Bombay	62–63
2306	एल्यूमिनियम उद्योग की बिजली संबंधी समस्या के बारे में समिति	Committee on Power Problem of Aluminium Industry .	63
2307	लाहोर में हुआ इस्लामी सम्मेलन	Lahore Islamic Conference	63
2308	श्रमिक अशांति	Labour Unrest .	63–64
2309	सरकारी कारखानों में कोयले की कमी के कारण उत्पादन में हानि	Loss of Production due to coal shortage in Public sector factories	64
2310	भारतीय सेना में एसिस्टेंट कमांडेंट का पद बनाया जाना	Creation of posts of Assistant Commandant in Indian Army	64
2311	कोरबा एल्यूमिनियम प्रद्रावक संयंत्र	Korba Aluminium Smelter Plant	64–66
2312	गर्भनिरोधक वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री पर खर्च हुई राशि	Amount spent on production and sale of Contraceptives .	67
2313	श्रमिकों को भविष्य निधि से अधिक प्रतिलाभ	Enhanced returns to labour from Provident Fund .	67–68
2314	स्थल सेनाध्यक्ष तथा वायु सेनाध्यक्ष की सेवा-निवृत्ति आयु	Retirement age of Chiefs of Army and Air Staff . .	68
2315	भारतीय जल सेना का आधुनिकीकरण	Modernisation of Indian Navy	68

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2316	भारत कोकिंग कोल लिमिटेट को हानि	Loss to Bharat Coking Coal Ltd.	69
2317	विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के कारण विस्थापित हुये व्यक्तियों के पुनर्वास की योजना	Rehabilitation scheme for persons displaced by Visakhapatnam Steel Plant	69
2318	सरकारी उपक्रमों के अल्प-प्रयुक्त क्षमता	Under utilised capacity of Public undertakings . . .	69-70
2319	जापान को लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to Japan	70
2320	देश में बिल्लियों, चूहों और कुत्तों की संख्या में वृद्धि	Increase in number of Cats, Rats and Dogs in the Country	70
2321	भारत द्वारा अफ्रीकी-एशियाई देशों की रक्षा सहायता	Defence Assistance to Afro-Asian Countries by India	71
2322	हड़तालों और तालाबंदियों को रोकने के विधेयक का प्रारूप	Draft Bill to Prevent Strikes and Lockouts . . .	71
2323	मच्छरों पर नियंत्रण	Control over Mosquitoes .	71-72
2324	विशाखापत्तनम में रूसी नौसैनिक होने का कथित समाचार	Alleged Soviet Naval Base at Vishakhapatnam . . .	72
2326	देश में मलेरिया, कैंसर तथा फाइलेरिया रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या	Malaria/Cancer/Filaria Cases in the Country . .	72-74
2327	मध्य प्रदेश में लोह अयस्क के भंडार	Iron ore deposits in Madhya Pradesh	74
2328	केन्द्रीय उपदान निधि	Central Gratuity Fund . .	74
2329	चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों की दैनिक मजूरी	Daily Wages of Workers in Tea Plantations. . . .	74-75
2330	डालमिया नगर स्थित रोहतास इण्डस्ट्रीज कम्पलैक्स में कर्मचारियों की हड़ताल के कारण उत्पादन में हानि	Loss of production due to strike by Workers in Rohtas Industries Complex at Dalmianagar	75
2331	वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन	Production of Commercial Vehicles	75
2332	लैटिन अमरीकी देशों में भारतीय मिशन और भारत में लैटिन अमरीकी देशों के मिशन	Indian Missions in Latin American Countries and vice versa	76
2333	खान में काम करने वाले श्रमिकों को जीवन बीमा और महिला श्रमिकों को प्रसूति सुविधायें	Life Insurance for mine workers and maternity benefit to women workers . . .	76

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2334	पत्तन कर्मचारी मंडल के लिपिक और पर्यवेक्षी कर्मचारियों को अनुग्रहात बोनस अदायगी	Ex-gratia Bonus to clerical and Supervisory Staff of Dock Labour Board . .	76
2335	गुजरात और अन्य राज्यों के उद्योगों के लिये कोयले की कमी	Shortage of Coal for Industries in Gujarat and other States	77
2336	न्यूनतम मजूरी के संबंध में भारतीय श्रमिक सम्मेलन की सिफारिशें	Recommendations of Indian Labour Conference on Minimum Wage . . .	77
2337	इंडियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा नौसेना तथा सशस्त्र सेना को विभिन्न प्रकार के गैसों की सप्लाई	Supply of various types of Gases to Naval Defence and Armed Forces by Indian Oxygen Limited . . .	77-78
2338	इलेक्ट्रिकल शीट स्टील का निर्माण	Manufacture of Electrical Sheet Steel . . .	78
2339	तमिलनाडु के चाय बागानों पर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि	Arrears of EPF due from Tea Plantations in Tamil Nadu	78
2340	उत्तर प्रदेश और बिहार में श्रम न्यायालय (लेबर कोर्ट)	Labour Courts in U.P. and Bihar	78-79
2341	साइक्लोमेट का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव	Injurious effect of Cyclamates on Health . . .	79-80
2342	महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एल्यूमिनियम परियोजना के लिये पांचवीं योजना में धन का आवंटन	Fifth Plan allocation for Aluminium project at Ratnagiri in Maharashtra . . .	80
2343	वर्ष 1972-73 में भारतीय मिशनों पर हुआ व्यय	Expenditure on Indian Missions during 1972-73 . . .	80-81
2344	छोटी कार का निर्माण	Manufacture of Small Car	81
2345	श्रमिकों के लिये आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन	Need Based Minimum Wage for Labourers	81
2346	मद्रास में लौह अयस्क निक्षेप	Iron Ore Deposits in Madras	81-82
2347	रक्षा कर्मचारियों को जीवन बीमा निगम एजेंसी के लिये प्रशिक्षण	Training to Defence Personnel for LIC Agency . .	82
2348	भारतीय क्षेत्र में चीन के सीमा बढ़ाने के दावपेंच के समाचार	Reported Chinese tactics for expansion in Indian Territory	82-83
2349	चीनी सैनिक प्रतिनिधिमंडल की पाकिस्तान यात्रा	Visit by Chinese Military Delegations to Pakistan .	83
2350	बंगला देश को सहायता	Assistance to Bangladesh	83-84

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2351	राजस्थान में खनिज निक्षेप	Mineral Deposits in Rajasthan	84–85
2352	निरोध का उत्पादन	Production of Nirodh . .	85
2353	खानों, कारखानों और मिलों के चिकित्सीय रूप से अयोग्य श्रमिकों के संबंधियों को रोजगार के मामले में प्राथमिकता देना	Preference to Relatives of Medically Unfit Labourers of Mines, Factories and Mills for Employment . . .	85
2354	यूगोस्लाविया को वैगन सप्लाई करने के समय में वृद्धि	Extension of Delivery Schedule of Wagons for Yugoslavia .	86
2355	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स हरिद्वार को हुआ लाभ	Profit Made by Bharat Heavy Electricals, Hardwar . .	86
2356	पटसन कर्मचारियों की हड़ताल हल करना	Settlement of Strike by Jute Workers	86–87
2357	सशस्त्र सेना में कमीशनों के लिये सीधी भर्त्ती और पदोन्नति के बीच अनुपात	Ratio of Direct Recruitment and Promotion for Commission in Armed Forces . .	87
2358	अनिवार्य परिवार नियोजन के लिये विधान	Legislation for Compulsory Family Planning . .	87–88
2359	मथुरा तेल शोधक कारखाने के गंदे पानी का प्रभाव	Effect on Mathura Oil Refinery Effluent Water . . .	88
2360	मध्य प्रदेश में खनिज	Minerals in Madhya Pradesh	88
2361	चौथी योजना में कोयला उत्पादन का लक्ष्य	Fourth Plan Target of Coal Production	88–89
2362	संगठित क्षेत्र में श्रमिक असंतोष	Labour Unrest in Organised Sector	89
2364	बंगलादेश के प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा	Proposed visit by Prime Minister of Bangladesh . .	89–90
2365	संसद् सदस्यों और विधान मंडल सदस्यों को जीपों और मोटर साइकिलों की आवंटन	Allotment of Jeeps and Motorcycles to M. Ps and Legislators	90
2366	दिल्ली में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना	Setting up of a Cancer Hospital in Delhi	91
2367	औद्योगिक श्रम नीति	Industrial Labour Policy .	91
2368	छावनी बोर्ड अधिनियम, 1924 में संशोधन	Amendment to Cantonment Board Act, 1924 . .	91

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2369	केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद की ओर से रक्षा उत्पादन मंत्री को दिया गया ज्ञापन	Memorandum to Minister of Defence Production on behalf of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad . . .	91–92
2370	दानापुर छावनी बोर्ड के लिए चुनाव	Elections to Danapur Cantonment Board . . .	92
2371	एक्सप्रेस केबल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, नेऊरा, पटना द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की कटौती की रसीदें न देना	Non Issue of Receipts for EPF Deductions by Express Cables (P) Limited, Neora in Patna	92
2372	भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास	Rahabilitation of Refugees from former East Pakistan	92–93
2373	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पुनः बसाये गए व्यक्ति	Persons Rehabilitated in Andaman and Nicobar Islands	93–94
2374	इस्पात कारखानों के कार्यकरण में कथित बाधा	Alleged Sabotage in Steel Plants	94
2375	पश्चिम बंगाल में कच्चे लोहे और कोयले की कमी	Shortage of Pig iron and Coal in West Bengal . .	94–95
2376	कर्नाटक और केरल के लिए इस्पात का नियतन	Steel Allocation for Karnataka and Kerala . . .	95
2377	वैगन निर्माण कारखानों का बंद होना	Closure of Wagon Building Units	95–96
2378	लघु इस्पात संयंत्रों की संख्या	Number of Small Steel Plants	96–98
2379	पश्चिम बंगाल के लिए इस्पात का कोटा	Steel Quota for West Bengal	98
2380	पश्चिम बंगाल में लघु इस्पात संयंत्र	Mini Steel Plants in West Bengal	98
2381	तेल के मूल्यों में वृद्धि से उद्योगों को खतरा	Hike in Oil Prices Threat to Industries	99
2382	केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन केरल की औद्योगिक परियोजनाएं	Industrial Projects for Kerala Pending Clearance . .	99
2383	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय के कर्मचारी	Staff of Ministry of Health and Family Planning . . .	99–100
2386	आंध्र प्रदेश में फैल रही रहस्यमयी बीमारी	Unidentified disease spreading in Andhra Pradesh . .	100–101
2387	चमकीली छड़ (ब्राइट बार) की उत्पादन क्षमता	Capacity of bright bars production	101
2388	दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र	Durgapur Alloy Steel Plant	101

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2389	फरीदाबाद विकास बोर्ड द्वारा भूमि का अधिग्रहण	Aquisition of land by Faridabad Development Board . .	102
2390	बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन	Production of Saleable Steel	102–103
2391	चाय बागान के श्रमिकों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी	Need based minimum wage for plantation Workers .	103
2392	केरल में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलना	Opening of Regional passport office in Kerala . . .	104
2393	पाकिस्तान द्वारा सीमा सड़कों का निर्माण	Building of border roads by Pakistan	104
2394	कारों के मूल्य में वृद्धि के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय	Supreme Court judgement on rise in Prices of cars . .	104
2395	भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम में संशोधन	Amendment to Medical Council of Indian Act . .	104–105
2396	गार्डन रीच वर्कशाप में घाटा	Loss to Garden Reach Workshop	105
2397	जापान द्वारा उर्वरकों की सप्लाई में कमी	Reduction of Fertilizer Supply by Japan	105
2398	त्रिपुरा राज्य को परिवार नियोजन के के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Tripura State for Family Planning .	106
2399	दार्जिलिंग स्थित चाय बागान के श्रमिकों द्वारा हड़ताल	Strike by Darjeeling Plantation Workers	106
2400	ब्रिटिश राष्ट्रीकों को पेंशन	Pension to British Nationals	106–107
2401	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि० को हुई हानि	Loss incurred by Hindustan Steel Works Construction Ltd.	107
2402	त्रिपुरा में चाय परिष्करण कारखाने	Tea processing factories in Tripura	107
2403	बोकारो में "स्टील मैल्टिग" शाप के चालू होने के समय गड़बड़ी	Trouble at the time of Commissioning of Steel Melting Shop at Bakaro . . .	107
	अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	बुनकरों को सूती धागे की सप्लाई में भारी कमी—	Acute shortage of Yarn supply to weavers—	
	श्री नरसिंह नारायण पाण्डे	Shri Narsingh Narain Pandey	108 व 109
	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D.P. Chattopadhyay	110 व 111

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	112–114
सभा का कार्य—	Business of the House—	
श्री के० रघुरामैया	Shri K. Raghu Ramaiah .	115
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee	
38 वां प्रतिवेदन—स्वीकृत	Thirty-eighth Report—Adopted	117
संघ उत्पद-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—पुरः स्थापित	Union Duties of Excise (Distribution) Amendment Bill—Introduced	117
अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) संशोधन विधेयक—पुरः स्थापित	Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Amendment Bill—Introduced.	117–118
सम्पदा-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—पुरः स्थापित	Estate Duty (Distribution) Amendment Bill—Introduced	118
रेल बजट, 1974-75—सामान्य चर्चा—	Railway Budget 1974—75 General Discussion—	
श्री आर० पी० यादव	Shri R.P. Yadav .	118–120
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate .	120–121
श्री पट्टाभिराम राव	Shri Pattabhi Rama Rao .	121–122
श्री शिव कुमार शास्त्री	Shri Shivkumar Shastri .	122
श्री आर० एन० बर्मन	Shri R.N. Berman .	123
श्री एम० एम० जोजफ	Shri M.M. Joseph .	123
श्री ए० के० कोत्राशेट्टी	Shri A. K. Kotrashetti .	123–124
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao .	124
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra	124
विधेयक पुरः स्थापित—	Bills Introduced—	
(1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) संशोधन विधेयक, 1974 (धारा 3, 4 आदि का संशोधन), श्री सी० के० चन्द्रप्पन का	Banking Companies (Acquisition and Transfer of undertakings) Amendment Bill (Amendment of Sections 3, 4 etc.), by Shri C. K. Chandrappan	124–125
(2) भारतीय कृषिक कर्मकार विधेयक, 1974 श्री डी० के० पंडा का	Indian Agricultural Workers Bill, 1974 by Shri D. K. Panda	125

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
(3) उड़ीसा कृषिक कर्मकार विधेयक, 1974, श्री डी० के० पंडा का	Orissa Agricultural Workers Bill, 1974 by Shri D.K. Panda	125
(4) खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1974 (नई धारा 16 क का अंतः स्थापन और धारा 20 क आदि का प्रतिस्थापन) श्री डी० के० पंडा का	Prevention of food Adulteration (Amendment) Bill, 1974 (Insertion of new section 16A and substitution of section 20A etc.) by Shri D.K. Panda	126
रेलवे (आकस्मिक श्रम उत्पादक) विधेयक श्री हुक्म चन्द कछवाय का	Railways (Abolition of Casual Labour) Bill by Shri Hukam Chand Kachwai—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	126
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder .	126–127
डा० कैलास	Dr. Kailas . .	127
श्री रामकंवर	Shri Ramkanwar . . .	127–128
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate .	128
श्रीमती रोजा देशपांडे	Shrimati Roza Deshpande .	128–129
श्री चिंतामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi .	129
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao .	129
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi .	130–132
श्री हुक्म चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	132
परिसीमन (संशोधन) विधेयक (नयी धारा— 9क का अंतः स्थापन), प्रो० मधु लिमये का—	Delimitation (Amendment) Bill (Insertion of new section 9A) by Prof. Madhu Limaye—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
प्रो० मधु लिमये	Prof. Madhu Limaye . .	133–134
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb . .	134
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik . .	135
श्री चिंतामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi .	135
श्री विश्वनारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri .	136

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 7 मार्च, 1974/16 फाल्गुन, 1895 (शक)
Wednesday, March 7, 1974/Phalguna 16, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन संबंधी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री एम० हुच्चै गौडा की दुःखद मृत्यु की सूचना देनी है जिनका निधन 74 वर्ष की आयु में, 1 मार्च, 1974 को चिक्कमगलूर में हो गया।

श्री हुच्चै गौडा वर्ष 1967-70 में चौथी लोक सभा के भी सदस्य थे। वह वर्ष 1931 से 1937 तक मैसूर की प्रतिनिधि सभा के भी सदस्य थे और बाद में मैसूर संविधान सभा, मैसूर विधान परिषद तथा मैसूर विधान सभा के भी सदस्य रहे। उन्होंने स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लिया था तथा जेल गये थे। उन्होंने हरिजनों के कल्याण तथा ग्रामीण उद्योगों में विशेषकर खादी उद्योग में सक्रिय रुचि दिखाई थी।

हम इस मित्र के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते है और मुझे विश्वास है कि उनके दुःखी परिवार को अपनी समवेदनायें भेजने में सारी सभा मेरे साथ है।

प्रधानमंत्री तथा सभा की नेता (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, हम चौथी लोक सभा के सदस्य श्री एम० हुच्चै गौडा के निधन पर अत्यन्त दुःखी हुए है।

श्री गौडा ने अपना सार्वजनिक जीवन अपने जिले में शुरु किया जहां उन्होंने एक बैंच मजिस्ट्रेट तथा जिला बोर्ड के एक सदस्य के रूप में सेवा की, परन्तु आजादी के आव्हान ने उन्हें स्वाधीनता संघर्ष में खींच लिया और उन्होंने जेल यात्रा की।

श्री गौडा तत्कालीन मैसूर राज्य में हमारे दल के साथ प्रमुख तथा सक्रिय सदस्य बने। उन्होंने मैसूर विधान सभा तथा विधान परिषद में जनता की सेवा की। उन्होंने ग्रामीण विकास तथा हरिजनों के कल्याण में गहरी रुचि ली।

मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप उनके दुःख संतप्त परिवार के प्रति हमारी समवेदनाये पहुंचा दें।

2—5 LSS/74

श्री समर (मुखर्जी) (हावड़ा) : अध्यक्ष महोदय, अपने दल की ओर से श्री एम० हुच्चे गौडा के प्रति यहां व्यक्त की गई भावनाओं में मैं भी अपने को सम्मिलित करता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारी समवेदनायें दु:खी परिवार तक पहुंचा दे।

डा० राणेन सेन (बारसाढ) : भारतीय साम्योवादी दल की ओर से इस सभा में, मैं श्री गौडा के निधन पर गहरा क्षोभ व्यक्त करता हूं और आप से अनुरोध करता हूं कि आप हमारी समवेदनायों संतप्त परिवार तक पहुंचा दे ।

Shri Jaganath Rao Joshi (Shajapur) : Shri Huche Gouda was the member of the last Lok Sabha. I had an opportunity to know him personally. Although he did not actively participate in the proceedings of this house yet he was very popular in his field. We have lost a peaceful simple and polite person among us on behalf of my party and myself, I pray for heaven on the departed soul, and request you to plase convey our deep sympathies and condolances to his grief striken family.

श्री मोहनराज कलिंगारायर (पोलाची) : द्रविड मुनेत्र कडगम की ओर से श्री एम० हुच्चै गौडा के आकस्मिक निधन पर मैं अपनी गहरी समवेदना प्रकट करता हूं । कृपया हमारी समवेदनायें दु:खी परिवार के सदस्यों तक पहूंचा दे ।

श्री प्रसन्नभाई मेहता (भावनगर) : अपने दल की ओर से श्री एम० हुच्चै गौडा के निधन पर मैं आप तथा सभा के नेता द्वारा व्यक्त समवेदनाओं में आप के साथ हूं। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्री हुच्चे गौडा हमारे एक पुराने कामरेड तथा सहयोगी थे। मैं उन्हें लम्बे अर्से से व्यक्तिगत रुप से जानता था। वह स्वाधीनता संग्राम के बहादुर सेनानी थे । उनके सम्पर्क में जो भी आया उसने यह अच्छी प्रकार जाना की उनके दिल में संत्रस्त लोगों / विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा आदिवासियों के लिये गहरी सहानुभूति थी। वह उनके लिये काम करते रहे। उनके निधन पर शोक व्यक्त करने तथा उनके दु:खी परिवार तक अपनी समवेदनायें पहुंचाने के लिये आपसे अनुरोध करने में मैं विभिन्न दलों के नेताओं के साथ हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अपना दु:ख व्यक्त करने के लिये यह सभा कुछ क्षण के लिये मौन खडी रहगी ।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े हुए

The Members then stood in silence for a short while

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

छूत की बीमारियों पर नियंत्रण और उनके उन्मूलन के लिये धनराशि का आबंटन

+

222. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और अधिक धनराशि आबंटित करके छूत की बीमारियों पर नियंत्रण और उनके उन्मूलन पर जोर दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी हां। संचारी रोगों के नियंत्रण पर परिव्यय को जो प्रथम योजना में 23.10 करोड रुपये था इसे क्रमिक रूप से बढा कर पांचवीं योजना में 168.61 करोड रुपये कर दिया गया है।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या मंत्री महोदय मोटे तौर पर परन्तु एक स्पष्ट अनुमान देंगे कि वर्ष 1973 में चेचक, तपेदिक, गुप्त रोगों, हैजा तथा कोढ़ से कितने व्यक्ति प्रभावित हुए है और इन रोगों ने कितनी जाने लीं ?

डा० कर्ण सिंह : इस समय वर्ष 1974 का प्रारंभ ही है और मेरे विचार से अभी 1973 के सारगर्भित आंकडे देना संभव नही है । परन्तु निश्चय हमारे पास एक आंकडा संगठन है जो इसका लेखा जोखा रखता है। इन आंकडों को प्राप्त करने में मुझे कुछ समय लगेगा ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ ऐसे प्रश्न पुछिये जो कि मुख्य प्रश्न से संबंधित हों तथा निधियों की व्यवस्था के बारे में हों ।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : जब तक हमारे पास इन बीमारियों के आधार मौजूद न हों हम उनके लिये धन की व्यवस्था कैसे कर सकते है ? हम तो वर्तमान बीमारियों के आधार देखकर ही तो धन की व्यवस्था करते है । इसलिये, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहुंगा कि इन बीमारियों में से प्रत्येक की वर्तमान स्थिति क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : एक मोटी रूपरेखा बताई जा सकती है ।

डा० कर्ण सिंह : मलेरिया के बारे में ऐसा कि आप जानते है, इस समस्या को हल करने में बडी महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी। अब तक 91 प्रतिशत जनसंख्या का इस बीमारी के बारे में अध्ययन किया जा चुका है और आमतौर पर उसे इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा रहा है, परन्तु 9 प्रतिशत जन संख्या का अध्ययन होना शेष है । मलेरिया अब फिर से कुछ क्षेत्रों में आना शुरू हो गया है क्योंकि मच्छर अब उन्मुक्त हो रहे है ।

चेचक निश्चय ही नियंत्रण में आती जा रही है, और हमें आशा है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में चेचक का पूरी तरह उन्मूलन हो जायेगा। यदि हम ऐसा कर सके तो सभा के लिये यह जानना बडी रुचिपूर्ण बात होगी कि इस दुनिया में से, इतिहास में पहली बार किसी मानवीय रोग का सर्वथा उन्मूलन हो जायेगा । चेचक इस समय विश्व के केवल चार देशों में होती है ।

यह एक बडी कहानी है और मेरे विचार से माननीय सदस्य नहीं चाहेंगे कि मैं प्रत्येक रोग का इतिहास यहां बयान करूं।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या मंत्री महोदय इस तरह संक्षिप्त सा ब्यौरा देंगे कि कब तथा किस वर्ष में इनमें से प्रत्येक बीमारी को समाप्त कर दिया जायेगा या पुरे नियंत्रण में लाया जा सकेगा ?

डा० कर्ण सिंह : उन्मूलन के प्रयास मूलतः मलेरिया तथा चेचक के लिये चल रहे है। वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान की उपलब्धि को देखते हुए दूसरे रोगों को सर्वथा समाप्त नहीं किये जा सकते । हम तो यही कर सकते है कि उन्हें नियंत्रण में लाने के लिये निरंतर संघष जारी रखा जाये ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं पांचवीं योजना का विवरण नही पूछ रहा हूं । परन्तु इस वर्ष, कलकत्ता तथा उनके आसपास के क्षेत्र को चेचक की महामारी का शिकार घोषित किया गया है । क्या मंत्री महोदय को इसके बारे में मालूम है और क्या इन क्षेत्रों के लिये कोई विशेष व्यवस्था की गई है जहां सेंकडों लोग चेचक से मर रहे हैं ?

डा० कर्ण सिंह : जी हां। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा मध्य प्रदेश इन चार राज्यों में चेचक बहुत फैल रहीं है और हमने इसके लिये विशेष व्यवस्था की हैं। केंद्र से हमारे दल गये है और हम राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाये हुए हैं जो कि इन योजनाओं को चला रही है। हम उनको हर संभव सहायता दे रहे है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व-वास्थ्य संगठन भी चेचक उन्मूलन के इस कार्यक्रम में कार्य कर रहा है।

श्री वीरभद्र सिंह : कोढ के उन्मूलन के लिये कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है और क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्ररेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कोढ के मामले अधिक है? यदि हों, तो क्या सरकार ने इस मुसिबत से छूटकारे के लिये कोई विशेष नियतन किया है?

डा० कर्णसिंह : कोढ के लिये पांचवीं योजना में 10 करोड़ रुपये से अधिक राशि की व्यवस्था की गई है, यह एक विशेष व्यवस्था है। हमारा अनुमान है कि भारत के लगभग 31 लाख लोग रोग के शिकार हैं और उन में से 25 प्रतिशत का रोग संक्रामक है। यह स्वास्थ्य संबंधी एक गंभीर समस्या है और हम इस पर बहुत चिंतित है। इसके लिये एक राष्ट्रीय कोढ नियंत्र बोर्ड है जो कि समूचे रूप में केंद्र द्वारा प्रायोजित है और जो विशिष्ट रूप से इन समस्या के लिये कार्य कर रहा है।

श्री वीरभद्र सिंह : मैंने तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के लिये पूछा था।

डा० कर्ण सिंह : जहां कहीं भी यह रोग है, उसके लिये व्यवस्था की गई है।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : ऐसे कौन से संक्रामक रोग है जिनके लिये निधि की व्यवस्था की गई है तथा क्या गलगण्ड, जो कि एक संक्रामक रोग है, भी इस सूची में शामिल है?

डा० कर्ण सिंह : हमारी सूची में निम्नलिखित संक्रामक रोग दर्ज है :— मलेरिया, चेचक, कोढ, तपेडिक, गुप्त रोग, हैजा, कुकरे तथा फाइलेरिया। गलगण्ड को इस दृष्टि से संक्रामक रोग नहीं माना गया है हालांकि वह भी एक प्रकार का संक्रामक रोग है।

श्री एस० ए० शमीम : मंत्री महोदय ने समाचार दिया है कि चेचक को पूरी तरह समाप्त कर दिया जायगा? क्या उन्हें मालूम है कि गत वर्ष जम्मू व काश्मीर राज्य में दो बार चेचक की महामारी फैली थी? यदि हां, तो उसके क्या कारण रहे और उन्हें कैसे दूर किया जा रहा है?

डा० कर्ण सिंह : मुझे इसके बारे में मालूम है कि दुर्भाग्य से जम्मू और काश्मीर में चेचक का रोग फैला था। हमने केंद्र से इसकी जांच करने के लिये एक अध्ययन दल भेजा था और वह राज्य सरकार से सम्पर्क बनाये हुए है तथा आवश्यक उपाय किये जा रहे है?

Shri R. S. Pandey : It was complained in the world Conference that the mossquitoes in India are very powerful and they can travel upto 500 miles. Inview of the agony that the hinderance is solving this problem is their being so powerful may I know from the Health Minister as to what provisions have been made in the Fifth Plan to liquidate their power so that they are not able to go to other countries and harm others?

Secondly whether an international research in respect of the Communicable diseases hasrevealed that cancer is also a Communicable disease; if so, what provisions have been made therefor?

Dr. Karan Singh : The malaria-mosquitoes have been annihilated by our anti-malaria Squads but once again they are getting immunity. They have become resistant and so far as their flights are concerned we too are making efforts to eradicate them completely.

As regards cancer, it has not yet been established that cancer is communicable. कैंसर संबंधी खोज विश्व भर में इस समय पूरे जोरों पर है। यह संक्रामक है अथवा नहीं इस संबंध में दुनिया भर में तथा हमारे देश में काफी अनुसंधान किया जा रहा है और कैंसर संबंधी अनुसंधान के परिणामों का हम निश्चय ही पूरा लाभ उठायेंगे।

श्री राम सहाय पाण्डे : एक डाक्टर है जिसने कुछ अनुसंधान किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि यह एक संक्रामक रोग है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है ?

श्री मोहनराव कालिंगारायर : तामिलनाडु सरकार ने प्रत्येक पर 10 लाख रुपये खर्च करके 10 कोढ गृह खोले है और उसका लोग खूब लाभ उठा रहे है। हम कोढ़ तथा अन्य रोगों के रोगियों को एकत्रित करते है और उनका अच्छा इलाज करते है। हम उन्हें काम करने का अवसर भी देते है। क्या केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों में भी ऐसे कार्यक्रम चलाये है ?

डा० कर्ण सिंह : जी हां। पांचवी योजना में राष्ट्रीय कोढ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 140 नियंत्रण एकक, 116 सहायक केंद्र तथा 7,160 उप केंद्र स्थापित करके स्थानिकबीमारी (स्थानीय बीमारी) से ग्रस्त सारी जनसंख्या को लाभ पहुंचाने का विचार है। अतः हम यह प्रयास कर रहे है कि स्थानीय रोगों से ग्रस्त जनता को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लायें ताकि ज्यूहों कोढ़ के प्रथम चिन्ह या संकेत प्राप्त हों, इलाज शुरू कर दिया जाये। कोढ़ का इलाज हो सकता है और यदि आरंभ में ही इसका इलाज शुरू कर दिया जाये तो पूरी तरह यह रोग ठीक भी हो सकता है। इसलिये, यह दुर्भाग्य की बात है कि कोढ़ का इलाज इस समय किया जाता है जब कि वह असाध्य हो जाता है। इस हेतु, हमें रोगियों को प्रारंभिक समय पर ही इलाज के लिये लाना चाहिये। अब औषधें बन चुकी है और इस रोग का उपचार हो सकता है।

Shri Ram Dhan : Just now the hon. Minister has said in reply to shri Pandey's question that the sprays on the mosquitoes are proving ineffective and there has been complaints that the medicines meant for spraying have been found adulterated. Besides that the Vaccination too have proved ineffective because of their being outdated, in respect of their utility. Would the Hon. Minister therefore, ensure that the medicines are not adulterated ones and date-barred vaccine should also not be used. Would he take measures in this behalf?

Dr. Karan Singh : Obviously. The adulteration in medicines is very dangerous and whenever we get any such information we do take stern action and also continue to do so. We would always ensure that the medicines are not adulterated. In case there is any complaint from the hon. Member, we would certainly look into that.

Shri Bhagirath Bhanwar : Communicable diseases are often common in rural areas where people are illiterate and uneducated, and the patients there are not kept separate which results in the spreading of the diseases, like Malaria, Small-Pox etc. What measures have therefore been taken up by the Administration because neither the villages are aware of such precautions nor do your officials go there to educate them about all that? The teams do not go to deep in the villages and the diseases, break out. What steps are being taken to check that, and whether you propose enhance the monetary provisions in order to construct hospitals and educate the innocent villagers?

Dr. Karan Singh : Medical treatment in rural areas is a very important matter. Unfortunately the medical aids have now been available in the cities only. But now in our Fifth Plans we would reach every village and establishing healh centers and Sub-Centers. There should be one Center for every population of 10,000. So that the people in rural areas particularly the distant places could be approached by us. We would make special efforts during the next Five Year Plan to increase medical facilities in the rural areas.

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has just now stated that Rs. 10 crores have been allocated in the Fifth Plans whereas 31 lakhs people are suffering from leprosy. Is it a fact that only those people are more affected by this disease who live in dirty places and rural areas where medical facilities are not availbale? Today over 80 per cent popuiation lives in rural areas and only 30 per cent of that are benefited by medical facilities but remain 50 per cent are deprived of that. What progress has been made to provide medicine in benefit of this provision to the prople who dwell in dirty and slum areas.

Dr. Karan Singh : I have just now replied to that. We do admit that adequate medical facilities are not available in rural areas. We are making all efforts to that effect. I have said the same thing in reply to the question from the earlier questioner.

दिल्ली में सरकरी संगठनों के फार्मासिस्टों द्वारा हड़ताल

*223. †**श्री रानेन सेन :**

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी संगठनों में काम करने वाले फार्मासिस्टों ने बेहतर वेतन के लिये 11 फरवरी, 1974 से हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे और उनको मांगें क्या थीं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां । वे 11 और 12 फरवरी, 1974 को हड़ताल पर थे।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

फार्मासिस्टों की मांगें	उन पर जो कार्यवाही की गई
(1) फार्मासिस्टों को तकनीकी कर्मचारियों के रूप में घोषित करना और सभी फार्मेसिस्टों को 425–700 रुपये का वेतन मान देना ।	(1) चूकि इस में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संशोधन की आवश्यकता है, इसलिये इस मामले को सम्बन्धित अधिकारियों के साथ– उनकी मंजूरी प्राप्त करने के लिये उटाया गया है ।
(2) सेलेक्शन ग्रेड को बढ़ा कर । 20 प्रतिशत करना ।	(2) तदैव
(3) फार्मासिस्टों/स्टोरकीपर-कम-क्लर्क के लिये अलग से उच्च तर वेतनमान ।	(3) इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

(4) पदोन्नति के अधिक मार्ग देना।	(4) सहायक स्टोर अधीक्षक/स्टोर अधीक्षक के पदों के लिये भरती नियमों में आवश्यक परिवर्तन किये गये है जिस से कि इन पदों पर पदोन्नति के लिये फार्मेसिस्ट पात्र बन जायें।
(5) फार्मे ी अधिनियम, 1948 और औषधि अधिनियम, 1940 के उपबन्धों के अधीन केवल फार्मेसिस्ट द्वारा ही औषधियों का सम्भाला जाना और वितरण करना।	(5) कानूनी स्थिति को जांच की जा रही है।

डा० रानेन सेन : विवरण से यह स्पष्ट है कि हड़ताल समाप्त होने के बाद या हड़ताल के दौरान कुछ चर्चा हुई जिसके परिणाम स्वरूप कुछ कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार किया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हड़ताल से पूर्व सरकार ने फार्मेसिस्टों की मांगों पर विचार किया था, यदि नहीं, तो सरकार ने उनकी मांगों पर बिल्कुल ध्यान क्यों नहीं दिया ?

डा० कर्ण सिंह : वास्तव में फार्मेसिस्टों के साथ हड़ताल से पूर्व सरकारी स्तर पर और बाद में मेरे सहयोगी उप मंत्री श्री किस्कु से भी लम्बी बाचचीत हुई। हड़ताल से पहले मैं भी उनसे मिला और मैंने उन्हें स्पष्ट बताया कि आप लोग वेतन आयोग की सिफारिशों में सुधार चाहते है और हम मामले पर संबंद्ध प्राधिकारियों के साथ बात चीत करेंगे। यह दु:ख की बात है इन सब बातों के बावजूद उन्होने हड़ताल की और हमें इसमें कोई औचित्य नही दिखाई दिया। इसके बाद हमारी उनसे फिर बातचीत हुई और अब जो स्थिति है वह उतर में मैंने बता दी है।

डा० रानेन सेन : विवरण में फार्मेसिस्टों/स्टोरकीपर-कम-क्लर्क के लिए अलग से उच्चतर वेतनमानों का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि इस मामले पर विचार किया जा रहा है। मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ विषयों जैसे तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों आदि काफी विस्तृत विषय है पर कुछ ऐसे मामले जिस प्रकार यह है, यह मांग पहले क्यों नही पूरी की गई। यह मामला अभी भी लटक रहा है और यही कारण है कि फार्मेसिस्टों में बड़ा असंतोष है।

डा० कर्ण सिंह : हमारी इच्छा किसी भी मामले को बेकार में निलंबित करने की नहीं है। वास्तव में मैं तो चाहता हूं कि विचाराधीन मामले जल्दी से जल्दी निपटाए जाएं। विशेषकर ऐसे मामलों में जिनमें भर्ती नियमों में अथवा प्रक्रिया नियमों में परिवर्तन की बात शामिल है कुछ समय लगना अवश्यम्भावी है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि जहां तक मेरे मंत्रालय का संबंध है हम इन मामलों को शीघ्रता से निपटा रहे है।

नेशनल मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल कलकत्ता को गैर सरकारी उद्यम को सौंपा जाना

*225. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **स्वास्थ्य** और परिवार **नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी नियंत्रण वाली **नैशनल** मैडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल **कलकत्ता** को गैर सरकारी उद्यम को सोंपने की योजना है;

(ख) क्या मंत्रालय को किसी संगठन से ऐसा कोई ज्ञापन मिला है जिसमें केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है कि उक्त संस्था में इसे सरकारी नियंत्रण में लिये जाने से पूर्व जो भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद व्याप्त था उसकी जांच की जाये ; और

(ग) उक्त कालेज और हास्पिटल की वर्तमान वित्तीय तथा प्रशासनिक स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) इस संस्थान से संबंधित वित्तीय तथा प्रशासनिक मामलों का पूर्ण नियंत्रण पश्चिम बंगाल सरकार के हाथ में है ।

श्री सरोज मुखर्जी : मंत्री महोदय ने प्रश्न के (क) और (ख) भाग का उत्तर नहीं में दिया है । इस संस्थान को निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों को सोंपने के लिए एक शक्तिशाली बल कार्य कर रहा है चुंकि कुछ कांग्रेसी इसके पक्ष में नहीं है इस लिए संस्थान अब तक उन्हें सोंपा नही जा सका। वहां के स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार यह रिपोर्ट दी जाती रही है कि कालेज और अस्पताल से दवाइयों तथा उपकरणों की चोरी हो रही है तथा चारों ओर भ्रष्टाचार व्यप्त है। क्या मंत्री महोदय इस मामले में जांच का आदेश देंगे ।

डा० कर्ण सिह : हमने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछताछ की है और उन्होंने बताया है कि उनकी अस्पताल को किसी गैर सरकारी संस्थान को सौंपने की कोई योजना नही है और न ही हमें कोई ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है । यह पूरा अस्पताल पश्चिम बंगाल सरकार के नियंत्रधणाधीन है । यदि कोई शिकायत है तो वह उस सरकार को भेजी जाए।

श्री सरोज मुखर्जी : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है इस संस्थान से संबंधित्त वित्तीय तथा प्रशासनिक मामलों का पूर्ण नियंत्रण पश्चिम बंगाल सरकार के हाथ में है पर हमें यह रिपोर्ट मिली है कि उनके द्वारा संस्थान को अपने हाथ में लेने के बाद वहां की वित्तीय तथा प्रशासनिक स्थिति बहुत खराब हो गई है । आपका इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

डा० कर्ण सिंह : जैसा कि मैंने बताया कि हमें इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और यदि कोई ऐसी शिकायत हमें मिलती है तो मैं उसे राज्य सरकार को भेज दूंगा। जिसके नियंत्रण में यह अस्पताल है ।

डा० रानेन सेन : इस अस्पताल के महान विगत रेकार्ड को ध्यान में रखते हुए कि यह असहयोग आन्दोलन के दिनों में खोला गया और देशबन्धु चित्तरंजन दास आदि महान नेता इस संस्थान से संबद्ध थे क्या मंत्री महोदय थोडा गहराई में जाकर इस बात की जांच करेंगे कि अस्पताल के वर्तमान प्रबंधक वर्ग के प्रति जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनमें कुछ सच्चाई भी है अथवा नहीं क्योंकि अस्पताल में होने वाली अनियमितताओं के बारे में गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं और पश्चिम बंगाल सरकार इन आरोपों की जांच करना उचित नहीं समझती ।

डा० कर्ण सिह : नहीं महोदय, मैं ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता जो कि पूर्णतया राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है । जैसा कि मैंने कहा हमें कोई ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई और अगर इस आशय की कोई रिपोर्ट मिलेगी तो वह राज्य सरकार को भेज दी जाएगी ।

Issue of Inflation Resistant Saving Bonds

*227. †**Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri AtalBihari Bajpayee :

Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether as a result of constant price rise and decline in the value of the rupee, there has been corresponding deline in the value of Employees Provident Fund;

(b) the steps taken to safeguard the interests of the employees;

(c) whether Government's attention has been drawn to the suggestion regarding issuance of 'Inflation-resistant Saving Bonds; and

(d) if so, Government's reaction thereto ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) रुपए के मूल्य में कमी ने सारे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। तथापि, यह कहा जा सकता है कि कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों के खातों में जमा किया गया ब्याज वर्ष 1962-63 के लिये 33.75% से वर्ष 1972-73 और 1973-74 के लिये 6% तक बराबर बढ़ा है। ब्याज की दर में और भी आगे सुधार करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रस्ताव है कि सदस्यों को उनके भविष्य निधि संचयनों पर ब्याज की अधिकतम दर सुनिश्चित करने के विचार से निवेश के वर्तमान ढांचे को उदार बनाया जाये।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Balgovind Verma : We dont' have any proposal to issue 'Inflation-resistant Saving Bonds'.

Shri Jagannathrao Joshi : Due to constant decline in the value of rupee the people have lost their confidence and think if they will deposit their money in Banks or in Unit Trusts after ten or twenty years the value of that money will reduce to half. Consequently people will not deposit money in their savings account. Does the Government propose to set up any committee similar to the Henry Page Committee in U. K. for consideration of the subject. So that people do not loose their confidence even now the emp loyees are not getting the real value of their salaries and if on retirement also they are given full benefit of their labour it will be unjust. Will the hon. Minister take some concrete steps in this regard ?

Shri Balgovind Varma : We cannot introduce any scheme alone for employees Provident fund. It applies to all those persons whose money is deposited.

Shri Jagannathrao Joshi : Once before this question was raised in this House and in the answer the hon. Minister had stated that :

"This affects the economy in general and no remedial action can be taken in respect of provident fund Savings alone" but now in answer to this question the hon. Minister has said that the interest credited to the accounts of the member of the employees' Provident Fund has steadily increased from 3.75% for the year 1962-63 to 6% for the year of 1972-73 and 1973-74. There are so many irreularities regarding Provident Fund that the employees remain in loss. In view of the constant price rise and decline in the full value for his contribution at the time of his retirement it is in view of this that the question has been raised whether there is any proposal to issue saving resistent Bonds and also is there anyplant increase the rate of interest in future so that employees do not suffer as a result of constant price rise and decline in the value of rupee.

श्री पी० एम० मेहता : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को अहमदाबाद टैक्सटाइल लेबर ऐसोसियेशन की ओर से इस आशय की कोई मांग प्राप्त हुई है कि रुपए के मूल्य में गिरावट को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि 20 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद उनको लौटा दी जाये; यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : हमें कर्मचारियों की ऐसी कोई मांग प्राप्त हुई है और सरकार इस पर विचार कर रही है ।

श्री बी० वी० नायक : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि रुपए का मूल्य गिर रहा है पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रुपए के मूल्य में गिरावट की दर में विभिन्नता है । उदाहरणार्थ तमिल में एक रुपए का एक किलो चावल मिल जाता है पर बम्बई में एक रुपए का 250 ग्राम भी नहीं मिलता । इस असमानता को देखते हुए श्रम मंत्रालय की आर्थिक नीति क्या है ताकि देश के विभिन्न राज्यों में यह असमानता न रहे !

श्री बाल गोविन्द वर्मा : जैसा कि मैंने पहले बताया कि वित्त मंत्रालय आर्थिक नीति का निर्धारण करता है । अतः बेहतर यही होगा कि माननीय सदस्य यह प्रश्न वित्त मंत्रालय को भेजे ।

श्री एस० बी० गिरी : कई कर्मचारी 30 साल से नौकरी कर रहे हैं और वर्ष 1942-43 से भविष्य निधि में योगदान दे रहे है । तब से अब तक रुपए के मूल्य में काफी गिरावट आई है । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इन कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के समय फायदा पहुंचाने के लिये कोई ऐसे उपाय करेगी ताकि पिछले 30 वर्षों से संचित उनके धन के मूल्य पर ज्यादा प्रभाव न पड़े ।

श्री बालगोविन्द वर्मा : यह एक बहुत कठिन प्रश्न है । मूल्यबृद्धि सभी को प्रभावित करेगी, अतः कर्मचारियों के भविष्य निधि धन को अलग करना वांछनीय है ।

श्री एस० बी० गिरी : यह श्रमिकों के हितों को प्रभावित कर रहा है । यह एक सीधा प्रश्न है । श्रम मंत्रालय इस बारे में क्या कर रहा है । श्रम मंत्रालय का कार्य श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है श्रम मंत्री दूसरों की फिक्र न करें । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह मामले की जांच और श्रमिकों को सेवा निवृत्ति के समय उनको कैसे लाभ पहुंचाया जाए इस तथ्य की जाँच हेतु संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त करेंगे ।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु एक न्यासधारियों का बोर्ड है इसलिये एक पृथक समिति की नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता । वह श्रमकों के हितों की देखभाल करते है तथा अधिकतम लाभ की प्राप्ति हेतु वह विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए अतिरिक्त धन का विभिन्न श्रेणियों में विनियोजन करते हैं । नियमों के अनुसार हम केवल छः प्रतिशत ब्याज की दर अदा कर सकते । आयकर आदि के लिए भी कुछ नियम है । हमने वित्त मंत्री से अनुरोध कया है कि वह हमें कुछ छूट और दिला दे ताकि उनके लेखों में कुछ और दिया जा सके ।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में संविदा श्रमिक प्रणाली को समाप्त करना

*228. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविदा श्रमिक प्रणाली को समाप्त करने के सरकारी आश्वासन को सरकारी क्षेत्र के संस्थापनों में कार्यान्वित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र में जहां उड़ीसा के सबसे अधिक श्रमिक काम करते हैं यह प्रणाली कैसा काम कर रही है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ख) ठेका श्रमिकों का किसी प्रतिष्ठान में किसी भी प्रक्रिया, संक्रिया या अन्य कार्य में नियोजन ठेका श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और इसके अधीन निर्मित नियमों द्वारा प्रशासत होता है, जो कुछ प्रतिष्ठानों में इस प्रकार के रोजगार के विनियमन की तौर कुछ परिस्थितियों में इसके पूर्ण उन्मूलन की व्यवस्था करता है। इस्पात उद्योग सम्बन्धी एक संयुक्त मजदूरी वार्ता समिति ने एक समझौता किया है, जिसमें सिद्धांत रूप में यह स्वीकार किया गया था कि स्थायी या बारहमासी स्वरूप के कार्यों के लिये उद्योग ठेकेदारों के माध्यम से न तो श्रमिक भर्ती करेगा और न ही ठेकेदारों के श्रमिकों को लगाएगा। यह समिति अब इस समझौते की कार्यान्विति की प्रगति पर ध्यान दे रही है और यह स्वीकार किया गया है कि इस विषय पर संयंत्र स्तर पर विचार-विमर्श होने चाहिएं। इस बीच, ठेका श्रमिक के उन्मूलन/विनियमन के लिए राउरकेला स्टील प्लांट के प्रबन्धकों और इसकी मान्याता प्राप्त यूनियन के बीच 27 जुलाई, 1973 को एक समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते को कार्यान्वित करने के लिये प्रबंध-तंत्र द्वारा एक समिति गठित कर दी गई है।

श्री श्यामसुन्दर महापात्र : मैं मंत्री महोदय श्री मालवीय जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रश्न का उत्तर दें क्योंकि मैं ने प्रश्न के एक भाग में राउरकेला इस्पात संयंत्र के बारे में पूछा है। मैं श्रम मंत्री से यह बात जानाना चाहता हूं कि क्या संयंत्रवार लक्ष्य तिथि निर्धारित की जायेगी ताकि ठेका श्रमिक प्रणाली समाप्त की जा सके क्योंकि यह निर्णय करना बहुत कठिन है कि कौनसा कार्य स्थायी रूप से चलने वाला है और कौन-सा अस्थायी है। अधिकारियों और ठेकेदारों की सांठगाठ है। अतः क्या मंत्री महोदय, यह वर्षों से विचाराधीन हैं ऐसा न कहकर, सदन को इस बात का आश्वासन देंगे कि वह संयंत्रवार लक्ष्य निर्धारित करेंगे ताकि यह बुराई सदैव के लिये समाप्त की जा सके।

श्री बालगोविन्द वर्मा : तिथि अथवा संयंत्रवार लक्ष्य तिथि निर्धारित करना बहुत कठिन कार्य है। ठेका श्रमिकों के लिये हमारे पास केन्द्रीय परामर्शदात्री बोर्ड की व्यवस्था है जो इस संबंध में विस्तार से विचार करती है और जब कभी वे किसी बात की सिफारिश करते हैं हमें उनसे परामर्श मिलता है। उस पर विचार किया जाता है और तदनुसार कार्यवाही की जाती है।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न ठेका श्रमिकों की प्रणाली को समाप्त करने का है। उनका तात्पर्य सुधार आदि से नहीं है।

श्री बालगोविन्द वर्मा : माननीय सदस्य ने पूछा है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में सभी संयंत्रों से ठेका श्रमिक प्रणाली समाप्त की जानी चाहिये। हमारे पास एक केन्द्रीय परामर्शदात्री बोर्ड की व्यवस्था है जो निरन्तर ऐसे श्रमिकों के हितों पर विचार करती है और हमें परामर्श देती है। हम उसके अनुसार कार्यवाही करते हैं।

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इतना बताना चाहता हूं कि यह एक नीति का मामला है कि सरकार ठेका श्रमिक प्रणाली को खानों, इस्पात मिलों तथा अन्य उपक्रमों से पूर्णतया समाप्त करेगी अथवा नहीं। जहां तक मुझे पता है, सरकार ने ठेका श्रमिक प्रणाली को पूर्णतया समाप्त करने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया है।

श्री श्यामसुन्दर महापात्र : मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र के एक श्रमिक के लिये निर्धारित न्यूनतम वेतन तथा ठेका श्रमिक के वेतन में बहुत बड़ा अन्तर है। श्रमिक को न्यूनतम 240 रुपए वेतन मिलता है और ठेका श्रमिक को कठिनाई से 120 अथवा 130 रुपए। ठेका श्रमिकों के जीवनस्तर की स्थिति दयनीय है, मानवीय स्तर से नीची है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जब वह संयंत्र के दौरे पर जाये तब क्या वह वहां इस प्रकार के श्रमिकों की स्थिति पर विचार करेंगे और जब निविदायें मांगी जाये तब क्या इस बात की ओर ध्यान दिया जायेगा कि दरें ऐसी निर्धारित की जाये कि ठेका श्रमिकों का वेतन इस्पात संयंत्र के कर्मचारी के समान हो, न्यूनतम वेतन लगभग समान हो।

श्री बालगोविन्द वर्मा : केन्द्रीय परामर्शदात्री बोर्ड मामले से अवगत है । उन्होंने कुछ सिफारिशें की हैं जिनमें लोह अयस्क की खानों का संदर्भ दिया गया है । राउरकेला संयंत्र के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के बीच एक समझौता हुआ है । उन्होंने राउरकेला संयंत्र के संबन्ध में अब कुछ कार्य के लिये ठेका श्रमिकों की प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय किया है । इस उद्देश्य के लिये एक समिति नियुक्त की गई है । समिति इस संबंध में विस्तार से विचार कर रही है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं है । परन्तु श्रम मंत्रालय के उपमंत्री कुछ और ही बता रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक बात ठीक है । इसके बारे में भ्रम पैदा न कीजिये ।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : इस समय राउरकेला तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में ठेका श्रमिकों की संख्या कितनी कितनी है ? न्यूनतम वेतन के बारे में बताया गया है । मंत्री महोदय ने बताया है कि एक समझौता हुआ है और एक समिति ठेका श्रमिकों के वेतन के प्रश्न पर विचार कर रही है और उन्होंने कुछ सिफारिशें की हैं । ये सिफारिशें किस प्रकार की हैं ? राउरकेला तथा अन्य इस्पात संयंत्रों के मामले में इन सिफारिशों को कब तक कार्यक्रम दिया जायेगा ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : राउरकेला इस्पात संयंत्र के कार्य कर रहे ठेका श्रमिकों के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न में सही संख्या नहीं पूछी गयी है । आप प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दे सकते हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : भ्रमात्मक उत्तर देना चाहते हैं ।

श्री बालगोविन्द वर्मा : नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं कह देना पर्याप्त नहीं है । प्रो० मधु दंडवते ने ऐसी बात क्यों उठायी हैं ? प्रश्न स्वयं में भ्रमात्मक है । मंत्री महोदय क्या करें ? श्री दंडवते ने संख्या नहीं पूछी थी अब वह संख्या जानना चाहते हैं ।

श्री बालगोविन्द वर्मा : केन्द्रीय परामर्शदात्री बोर्ड ने ठेका श्रमिक प्रणाली समाप्त करने के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं । भिलाई इस्पात संयंत्र के अधीन लोह अयस्क की खानों के राजाहरण ग्रुप में ठेका श्रमिक प्रणाली समाप्त करने के प्रश्न पर बोर्ड की पहली बैठक में विचार किया गया था परन्तु पर्याप्त आंकड़े न होने के कारण कोई निर्णय नहीं किया जा सका, अत: इस मामले पर दूसरी बैठक में पुन: विचार किया गया और बोर्ड ने सिफारिश की कि समय-बाधित कार्यक्रम के अनुसार खानों के राजाहरण ग्रुप से ठेका श्रमिक प्रणाली समाप्त करने के मामले में खानों का मशीनीकरण करते हुए प्रगति की जाये ।

दूसरी सिफारिश यह थी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अन्तर्गत बैलाडिला लोह अयस्क परियोजना में ठेका श्रमिक प्रणाली समाप्त करने के प्रश्न पर बोर्ड की दोनों बैठकों में विचार किया गया और बोर्ड ने सिफारश की कि परियोजना में ठेका श्रमिक प्रणाली सुनियमित रूप से वर्ष 1976-77 तक चल सकती है । इस समय ठेकेदारों को ठेकाश्रमिकों को कुछ ठोस लाभ प्रदान करने चाहियें । (व्यवधान) पहले मैं सिफारिशों के बारे में बता रहा हूं बाद में निर्णयों के बारे में बताऊंगा ।

बोर्ड ने गैर कोयला खानों में कुछ श्रेणियों के कार्यों के बारे में ठेका श्रमिक प्रणाली समाप्त करने के प्रश्न पर भी विचार किया ।

इसने इस संबंध में कोई सिफारिश नहीं की है, तथापि चूनापत्थर तथा डोलोमाइट खानों पर ध्यान देने पर सहमति हो गई थी ।

इसके अतिरिक्त कोयला खान उद्योग के कुछ विशिष्ट श्रेणियों के कार्यों में ठेका पद्धति समाप्त करने के प्रश्न पर जैसा कि श्री बी० एन० बनर्जी की अध्यक्षता में द्वितीय अदालती जांच ने सिफारिश की थी, विचार किया गया ।

निर्माण उद्योग में ठेके पर श्रमिक रखने की पद्धति समाप्त करने के प्रश्न पर कि विचार हुआ था, इसके बाद—

अध्यक्ष महोदय : वे प्रश्न पूछ रहे हैं और जानकारी इतनी लम्बी दी जा रही है ।

श्री बालगोविन्द वर्मा : श्रमिकों तथा प्रबन्धकों में यह समझौता हुआ था कि रुरकेला इस्पात संयंत्र में ठेके पर श्रमिक रखने की पद्धति को समाप्त कर दिया जाय । वस्तुत: इस विषय पर विस्तार से विचार करने के लिए एक संयुक्त मजूरी समझौता समिति नियुक्त की गई थी तथा संयंत्र स्तर की एक समिति बनाई गई है । वे उपबन्धों के साथ इस पर विचार-विमर्श करेंगे तथा वे अपनी सुविधानुसार कार्य करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, अब और सवाल नहीं किये जायेंगे । हम अनेक प्रश्नों को नहीं ले सके हैं । लगभग 50 मिनट समाप्त हो गए हैं ।

श्री एस० बी० गिरि : मैं एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए, मैं और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा । प्रश्न हमेशा सीधे होते हैं । मैं और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा । पीठासीन अधिकारी से अनुमति मांगने का यह तरीका नहीं है । कृपया बैठ जाइए । हम पिछले 50 मिनटों में चार से पांच प्रश्न नहीं कर सके हैं । आप प्रश्न पूछते ही जा रहे हैं । आखिर अन्य सदस्यों ने भी प्रश्न पूछना है ।

मैं उनको बैठने के लिये कह रहा हूं, उनका कहना है कि यह रोचक प्रश्न होगा ।

श्री पी० एम० मेहता ।

उच्चतम न्यायालय द्वारा औषध तथा प्रसाधन अधिनियम में सुझाये गये परिवर्तन

+

†229. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने औषध और प्रसाधन अधिनियम में कुछ कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने इसमें परिवर्तनों का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) हाल के एक निर्णय में उच्चतम न्यायालय का यह कहना था कि चलती-फिरती गाड़ियों के लाइसेंस और किसी व्यापारी के कार्य-क्षेत्र से बाहर अस्थायी-वितरण-डीपुओं से संबंधित कानून कुछ त्रुटिपूर्णसा है ।

(ग) विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय से परामर्श कर इस बारे में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री पी० एम० मेहता : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उच्चतम न्यायालय ने यह सुझाव दिया है कि पंजीकृत गोदामों से बाहर ले जाने वाली जीवनदायी औषधियों के लिये शीतागार तथा वातानुकूलन की व्यवस्था की विशिष्ट लाइसेंस के अंतर्गत लाया जाये और यदि हाँ, तो देश में ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

डा० कर्ण सिंह : उच्चतम न्यायालय का निर्णय, जिसकी ओर माननीय सदस्य ने संकेत किया है, केवल यह कहता है कि पंजीकृत गोदामों से बाहर गोदामों तथा चलती फिरती गाड़ियों के मामले पर त्रुटि दिखाई देती है । हम इसकी जाँच कर रहे हैं । नियमों को अथवा अधिनियम तक को संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है । हम इसका अध्ययन निर्णय के संदर्भ में कर रहे हैं तथा जो भी आवश्यक हुआ, वह किया जायेगा ।

श्री पी० एम० मेहता : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से यह सुझाव दिया है कि जीवनदायी औषधियों के लिये पर्याप्त शीतागार की सुविधाएं तथा वातानुकूल की व्यवस्था करने के लिये इनको लाइसेंस के अन्तर्गत लाया जाये और यदि हाँ, तो इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये क्या उपाय अपनाए गए हैं ।

डा० कर्ण सिंह : यह निर्णय मेरे पास है लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि उन्होंने इस निर्णय पर विस्तार से विचार किया है कि किस प्रकार के गोदामों की आवश्यकता है । उन्होंने मोटे तौर पर जीवनदायी औषधियों को पंजीकृत गोदामों से बाहर ले जाने के प्रश्न पर विचार किया है । इस मामले में यह हुआ था कि औषधि को कारखाने से ले जाकर गोदामों में रखा जा रहा था । उस रात को छापा मारा गया और जहां यह रखा हुआ था, वह पंजीकृत नहीं पाया गया, इसलिये उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि चलती फिरती गाड़ियों तथा अन्य स्थानों को भी उचित रूप से लाइसेंस के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये ।

श्री पी० एम० मेहता : क्या सरकार यह प्रश्न उच्च स्तरीय समिति को सौंपने पर विचार करेगी जो कि उनके द्वारा औषध उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिये नियुक्त की जा रही है ?

डा० कर्ण सिंह : मुझे उस समिति के बारे में जानकारी नहीं है जिसका माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं । परन्तु जहां तक मेरे मंत्रालय का सम्बन्ध है, औषध तथा प्रसाधन अधिनियम तथा नियम प्रवर्तनशील कानून है और हम इसके अंतर्गत अपेक्षित कार्यवाही करेंगे ।

वृद्ध विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए पश्चिम बंगाल की बृहत् योजना

*230. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वृद्ध विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु केन्द्रीय-सरकार को भेजी गई बृहद योजना पर सरकार ने विचार कर लिया है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या देश के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों में विस्थापित व्यक्तियों के आगमन से उत्पन्न सभी अनिर्णीत जिम्मेदारियों को निपटाने की सरकार की कोई तत्कालीन योजना है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) और (ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है अर्थात् पुराने प्रवासी (जो 31-3-1958 तक आए) तथा नए प्रवासी (जो 1-1-1964 तथा 25-3-1971 के बीच की अवधि में आए)। इन दो वर्गों के पुनर्वास की स्थिति निम्न प्रकार है :—

पुराने प्रवासी :—पुराने प्रवासियों के पुनर्वास का कार्य पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में 1960-61 तक लगभग पूरा हो चुका था। पश्चिम बंगाल में प्रवासियों की अवशिष्ट पुनर्वास समस्या का 1961-62 में पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से मूल्यांकन किया गया था तथा और अधिक पुनर्वास उपायों के लिये 21.88 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी।

सितम्बर, 1972 में राज्य सरकार ने राज्य में रह रहे भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए पुराने तथा नए प्रवासियों के लिये किए जाने वाले कार्यक्रम तथा उपायों का एक मास्टर प्लान प्रस्तुत किया था।

पश्चिम बंगाल में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों के पुनर्वास की समस्या पर राज्य सरकार तथा योजना आयोग के परामर्श से विचार किया गया है। सरकार ने सरकार द्वारा संचालित तथा अनुमोदित अनधिवासी बस्तियों में रह रहे प्रवासियों को भूमि का निःशुल्क अधिकार तथा हक देने का निर्णय लिया है। इससे लगभग 1.25 लाख परिवारों को लाभ प्राप्त होने की आशा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि उन्मुक्त भूमि अधिकार के आधार पर तथा शहरी क्षेत्रों में नाम मात्र के किराये पर पट्टे के आधार पर दी जायेगी।

सरकार ने पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों में बसाए गए प्रवासियों को दिए गए टाइप-ऋणों में छूट देने योग्य ऋणो की न्यूनतम सीमा को 1,000 रु० से बढ़ाकर 2000 रु० करके और रियायत देने का भी निर्णय लिया है। यदि इस प्रकार की छूट देने क पश्चात् 1,000 रु० से अधिक बकाया राशि की भी छूट दे दी जाएगी। यह रियायत उन परिवारों के मामले में लागू नहीं होती है जिन्होंने शहरी (नगरपालिका) क्षेत्रों में भूमि क्रय करने के लिये ऋण प्राप्त किए थे क्योंकि उन्होंने उन्मुक्त भूमि अधिकार के आधार पर भूमि खरीद की होगी।

हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल में सकेन्द्रित शरणार्थी क्षेत्रों के लिये विशेष निधि उपलब्ध कराने के लिये योजना आयोग को प्रस्ताव भेजे हैं।

नए प्रवासी :—यह आशा है कि चालू वर्ष के अन्त तक शिबिरों में ऐसे लगभग 23,200 परिवार रह जाएंगे जिनका पुनर्वास करना होगा। पांचवी योजना की अवधि के दौरान 21,300 परिवारों को बसाने के लिये योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। इनमें से 15,600 परिवारों को कृषि भूमि तथा 5,700 परिवारों को गैर-कृषि व्यवसायों में बसाने की योजना है तथा शेष परिवारों को पुनर्वास देने के लिए भी प्रयत्न जारी रखे जाएंगे। तथापि, यह उपयुक्त भूमि का तथा पर्याप्त धन राशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

श्री बी० के० दासचोधरी : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि "पश्चिम बंगाल में भूतपूर्व पूर्वी पाकीस्तान से आए प्रवासियों के पुनर्वास की समस्या पर राज्य सरकार तथा योजना आयोग के परामर्श से विचार किया गया है"। उन्होंने कही भी उस विचार-विमर्श के परिणामों को नहीं बताया है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत 150 करोड़ रुपये के बृहद् कार्यक्रम का क्या हुआ है? समीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत अनेक सिफारिशों का क्या हुआ जो मेरे विचार में

लगभग 10 अथवा 20 करोड़ रुपये की थी? क्या इस पर गंभीरता से विचार किया जायेगा और उन्हें उचित रूप से क्रियान्वित किया जायेगा अथवा इसको भी स्थगित कर दिया जायेगा?

श्री आर० के० खाडिलकर : माननीय सदस्य तथा अन्य सदस्यों द्वारा उठाये गए प्रश्नों पर विचार किया गया था तथा यह सुझाव सामने आया कि विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के समूचे प्रश्न पर तथा जहां तक पश्चिम बंगाल की सरकार का संबंध है, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्वयं जांच की जानी चाहिये तथा तदुपरान्त हमें योजना भेजनी चाहिये, तदनुसार उन्होंने हमें योजना भेजी जिसका नाम उन्होंने "वृहद् योजना" रखा है । हमने उनकी सिफारिशों पर विचार किया तथा 26 जनवरी को, जैसा कि माननीय सदस्य अवगत होंगे, कुछ कार्यवाही की गई, जिसके अन्तर्गत विस्थापित व्यक्तियों को कृषि भूमि का हक दिया गया और पश्चिम बंगाल में सरकार द्वारा प्रायोजित तथा मंजूरशुदा स्कैटरज कालोनियों में घरों के लिये प्लाट दिये गये । अन्य व्यक्तियों को ऋणों के मामले में छूट दी गयी । इन दो कार्यवाहियों के बारे में घोषणा की गई है । अन्य प्रश्नों के बारे में योजना आयोग से विचारविमर्श करके यह निर्णय किया गया था कि स्थानीय विकास योजनाओं के साथ उनका तालमेल बिठाया जाना चाहिये । योजना आयोग का विचार यह है कि उनको अब विस्थापित न माना जाये तथा उनको सामाजिक ढांचे में समावेश कर लेना चाहिये । यह स्वीकार किया गया था तथा इसके लिये पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों के पुनर्वास हेतु कुछ आवश्यक योजनाओं की क्रियान्विति के लिए पांचवीं योजना में पुनर्वास मंत्रालय के बजट में 6 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई।

श्री बी० के० दासचौधरी : समीक्षा समिति की सिफारिशों का क्या हुआ है?

श्री आर० के० खाडिलकर : वृहद् योजना पर विचार करने के उपरान्त इस महीने के अन्त तक समीक्षा समिति कार्य करना बन्द कर देगी । जब कोई योजना नहीं थी तथा केन्द्र पश्चिम बंगाल में विस्थापितों को बसाने के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने की जिम्मेदारी ले रहा था तब यह समीक्षा समिति गठित की गई थी । पश्चिम बंगाल सरकार ने उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखा है ।

श्री बी० के० दासचौधरी : मंत्री महोदय के कथन में स्पष्ट विरोधाभास है । उनका कहना है कि भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की कुछ समस्याएं हैं और एक समीक्षा समिति नियुक्त की गई थी और इसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था । बाद में पश्चिम बंगाल सरकार ने 150 करोड़ रुपए लागत की एक वृहद् योजना भेजी थी; मंत्री महोदय अब कहते हैं कि कुछ बातों पर विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया है कि उन्हें भूमि का हक दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें क्या विरोधाभास है ?

श्री बी० के० दासचौधरी : क्या यह सच नहीं है कि समीक्षा समिति में अनेक सुझाव दिए गए थे जैसे कि औद्योगिक बस्तियों तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिये । क्या वे देश के विभाजन के समय दिए गए इस निष्ठापूर्ण वचन तथा आश्वासन पर पुनर्विचार करेंगे कि सभी अभागे विस्थापित व्यक्तियों की कठिनाइयों पर विचार किया जायेगा । हम इस बात को देखते हुए तथा इस तथ्य को देखते हुए कि इन विस्थापित व्यक्तियों को कुछ भी मुआवजा नहीं मिला है, क्या वह समीक्षा समिति की सभी सिफारिशें लागू करने पर विचार करेंगे और शरणार्थियों के आगमन से उत्पन्न होने वाली और समस्याओं को भी ध्यान में रखेंगे ताकि उन पर वर्ष-प्रति-वर्ष तुरन्त विचार किया जा सके जब तक कि वे हल न हो जाएं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : आप देखेंगे कि कोई विरोधाभास नहीं है क्योंकि जैसा मैंने बताया है कि बृहत योजना पश्चिम बंगाल सरकार की किसी टीम द्वारा किये गये काम का प्रतिफल है जिसने समीक्षा समिति की सभी सिफारिशों पर विचार किया है। वही बाद में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के लिये भी पूरी तरह जिम्मेदार होगी। यह कहना ठीक नहीं है कि विभाजन के बाद कुछ नहीं हुआ है। यदि आवश्यकता हो तो खर्च की गई राशि के आंकड़े मैं दे सकता हूं। इस घोषणा से सवा लाख लोगों को लाभ हुआ है। जहां तक पश्चिम बंगाल से बाहर के लोगों का प्रश्न है, वह तो दूसरी बात है।

श्री समर मुखर्जी : मंत्री महोदय के उत्तर में बृहत योजना के बारे में कुछ नहीं कहा गया। इसमें राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि :

> "पश्चिम बंगाल के शरणार्थियों की अधिकांश जनसंख्या बेकार, अल्प रोजगार और अलाभकर भूमि से उत्पन्न घटिया स्थिति में रह रही है।"

यह शरणार्थियों की संख्या 58 लाख बताई गई है। उन्होंने 150 करोड़ रुपए की मांग की है। मंत्री महोदय को ज्ञात है कि अपने अभ्यावेदन में मैंने उन्हें बताया है कि 150 करोड़ रुपए से भी पुनर्वास की समस्या हल नहीं होगी। इसका उत्तर मुझे मंत्री महोदय और योजना-आयोग दोनों से मिल गया है। एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि सरकार ने शरणार्थियों को शरणार्थी न समझने का फैसला किया है और कि उन्हें पश्चिम बंगाल के शेष लोगों में मिलाया जाएगा। क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि आप इन 58 लाख शरणार्थियों के पुनर्वास की जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं जिनमें से अधिकांश साधारण से कम स्तर पर रह रहे हैं ?

मंत्री महोदय द्वारा घोषित उपायों का कोई विशेष महत्व नहीं है उन्होंने कहा है कि 1947 से जिन जमीनों पर उनका कब्जा है उनका स्वामित्व उन्हें दे दिया जायेगा। इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। दूसरे ऋण माफी की बात भी कही गई है परन्तु लाखों बेकार शरणार्थियों के आर्थिक पुनर्वास का क्या होगा ? उनके लिये तो कुछ नहीं किया गया है अत: मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने पुनर्वास का उत्तरदायित्व समाप्त करने का फैसला कर लिया है। यह बहुत गंभीर समस्या है।

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं पुन: स्पष्ट करता हूं कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री मुझ से और योजना आयोग के उपसभापति से मिले थे और उसी के बाद यह योजना बनाई गई है। उत्तरदायित्व छोड़ने का प्रश्न ही नहीं है। प्राथमिकता भूमि वाले स्वामित्वहीनों को दी गई थी। इसकी पुष्टि कर दी गई है। निर्णय यह किया गया है कि सभी योजनाएं राज्य की विकास योजनाओं से संबंद्ध की जाये और उनके लिए धन की व्यवस्था प्रत्यक योजना पर विचार कर के योजना आयोग करेगा। अत: उत्तरदायित्व त्यागने की कोई बात नहीं है।

श्री समर मुखर्जी : पांचवीं योजना में मास्टर प्लान के लिये राज्य सरकार ने 150 करोड़ का सुझाव दिया था जिस के स्थान पर 6 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उत्तरदायित्व बिल्कुल त्याग दिया गया है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : योजना में दिखाई गई राशी संगत नहीं है क्योंकि पुनर्वास की पूरी समस्या पर चर्चा में हमारा उद्देश्य सभी शरणार्थियों के अपनत्व की भावना जगाना और समाज में उनका एकीकरण करना था। दूसरे 150 करोड़ का बार-बार उल्लेख करना अर्थहीन है क्योंकि इस योजना के लिये जितने भी धन की आवश्यकता होगी उतना धन राज्य की विकास योजना की परिधि में दे दिया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Sterilization of Innocent Adivasis

***221. Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether force and all sorts of temptations are being used to sterilise innocent Adivasis; and

(b) if so, the steps taken by the Government to check such incidents.?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Karan Singh) : (a) Such reports have been found to be baseless.

(b) It has been repeatedly impressed on the agencies implementing the Family Planning programme that the acceptance of Family Planning should be purely on a voluntary basis through educational and persuasive efforts, without any coercion.

पाकिस्तानी युद्धबन्दियों पर मुकदमे चलाने के प्रश्न पर बात-चीत करने के बारे में पाकिस्तानी प्रस्ताव

***224. श्री भान सिंह भोरा :**
श्री वाई ईश्वर रेड्डी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान पाकिस्तानी युद्धबन्दियों पर मुकदमे चलाने के प्रश्न पर भारत सरकार से बात-चीत करना चाहता है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली करार के अनुसार 195 युद्धबंदियों के प्रश्न पर, जिन पर बंगलादेश मुकदमा चलाना चाहता था, बंगलादेश, भारत और पाकिस्तान के बीच त्रिपक्षीय बैठक में विचार करके निर्णय लिया जायेगा। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा बंगलादेश को मान्यता दिये जाने से त्रिपक्षीय बैठक का बुलाना सम्भव हो गया है। बंगलादेश और पाकिस्तान की सरकारों के साथ परामर्श करके यह तय हुआ है कि यह त्रिपक्षीय बैठक 5 अप्रैल, 1974 को नई दिल्ली में होगी।

कोचीन पत्तन में हड़ताल

***226. श्री सी० जनार्दनन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन में हाल ही में श्रमिकों की हड़ताल हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां, 15 फरवरी, 1974 से 18 फरवरी, 1974 तक हड़ताल हुई थी।

(ख) यह हड़ताल, 8-2-74 से "धीरे कार्य करो" अपनाने के कारण गोदी श्रमिकों के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही और कोचीन पत्तन में 14-2-74 से आपात की घोषणा के विरोध में थी।

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में नियुक्तियां करना

*232. **श्री रामसहाय पाण्डे** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें चाहती हैं कि गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के संगठनों में नियुक्तियां रोजगार कार्यालयों के माध्यम से हों; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) इस संबंध में कुछ राज्य सरकारों से सुझाव प्राप्त हुए हैं ।

(ख) जहां तक केन्द्रीय सरकार की स्थापनाओं का संबंध है, पदों (उन पदों को छोड़कर जिनकी भर्ती संघीय लोक सेवा आयोग तथा अन्य समान अभिकरणों के माध्यम से की जाती है) की भर्ती रोजगार सेवा के माध्यम से की जानी चाहिये । जहां तक सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों का सवाल है, 500 रु० प्रतिमास से कम वेतन वाले सभी पद रोजगार सेवा के माध्यम से भरे जाने चाहियें ।

कुछ राज्य सरकारों द्वारा इसी प्रकार के अनुदेश जारी किए गए हैं । उन्होंने अपने अधीन स्थापनाओं के लिये रोजगार सेवा के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती करना अनिवार्य कर दिया है । शेष राज्यों से इस प्रक्रिया को अपनाने का अनुरोध किया गया है ।

निजी क्षेत्र में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती अनिवार्य करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों को मुआवजा

*233. **श्री पीलू मोदी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा सरकार उन भारत-मूलक लोगों को मुआवजा देने के लिये सहमत हो गई हैं जिन्हें वहां से बिना अपने सामान के निकलने के लिये बाध्य किया गया था;

(ख) किस प्रकार के मुआवजे पर सहमति हुई है; और

(ग) क्या वह पर्याप्त समझा जाता है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार बर्मा सरकार से इस मामले पर आगे बातचीत करने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 6 दिसम्बर, 1973 को बर्मा सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार व्यापार राष्ट्रीयकरण कानून 1963 और समाजवादी आर्थिक व्यवस्था प्रतिस्थापन कानून, 1965 के अधीन राष्ट्रीयकृत राष्ट्रीय एवं विदेशी स्वामित्व वाले उद्यमों को मुआवजा दिया जायेगा ।

(ख) इस अधिसूचना के अनुसार भवनों (जो सरकार के इस्तेमाल में हों), मशीनों, फर्नीचर कार्यालयी साज-सामान, मोटर-गाड़ियों तथा राष्ट्रीयकृत अन्य वस्तुओं का मुआवजा दिया जायेगा। जिन भवनों का सरकार उपयोग नहीं कर रही है उनके कानूनी स्वामित्व-अधिकार उनके मालिकों को लौटा दिए जाएंगे । इसी तरह, जो नगदी और बैंक-राशि राष्ट्रीयकृत की गई है वह कर आदि काट कर स्वामियों को लौटा दी जायेगी । 10,000 क्यात तक की राशि के मुआवजे की अदायगी एक-मुश्त की जायेगी । 10,000 क्यात से अधिक मुआवजे में से 10,000 क्यात की राशि पहली किश्त में दी जायेगी और शेष राशि सरकारी सिक्योरिटी बांडों में के रूप दी जायेगी जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा ।

(ग) संबंधित संपत्तियों का मुआवजा तय करने के लिये बर्मा सरकार ने एक बोर्ड बनाया है। मुआवज़े की पर्याप्तता का प्रश्न उक्त बोर्ड के निर्णय का पता चलने के बाद ही उठ सकता है। भारत-सरकार इस मामले में बर्मा सरकार से सम्पर्क बनाए हुए है।

इस्लामी देशों द्वारा वायु सेना की शक्ति बढ़ाया जाना

*234. **श्री के० लकप्पा :**

श्री रण बहादूर सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इस्लामी देशों द्वारा बढ़ाई गई वायु सेना की शक्ति से उत्पन्न स्थिति पर निगाह रखे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बढ़ी हुई शक्ति से भारत में चिन्ता पैदा हो गई है; और

(ग) स्थिति से निपटने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) ऐसी गतिविधियों पर ध्यानपूर्वक निगरानी रखी जाती है विशेष रूप से जब वे हमारे पड़ोस में होती हैं। इनपर हमारी रक्षा तत्परता की योजना बनाते समय अपनी राष्ट्रीय अग्रताओं के अन्तर्गत ध्यान दिया जाता है।

धनबाद कोयला क्षेत्रों में हड़तालें, "काम धीमा करो" और "नियमानुसार काम करो" आन्दोलन

*235. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद कोयला क्षेत्रों में 1973 की अन्तिम तिमाही में कितनी बार हड़तालें हुयी तथा 'काम धीमा करो' या 'नियमानुसार काम करो' के कितने आन्दोलन हुए;

(ख) उक्त हड़तालों, 'काम धीमा करो' या 'नियमानुसार काम करो' आन्दोलनों के कारण क्या थे; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) 1973 की अन्तिम तिमाही के दौरान हड़तालों के 123 मामले हुए। इस अवधि के दौरान 'धीरे काम करो' या नियम के अनुसार काम करो आन्दोलन का कोई मामला क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) धनबाद को सूचित नहीं किया गया।

(ख) ये यूनियनों की बीच प्रतिद्वन्द्विता, मजुरी बोर्ड की सिफारशों को संशोधित करने की मांग, सिजुआ में गोली चलाने के विरोध में तथा पदच्युति छंटनी, श्रमिकों के अन्तरण आदि जैसे मामलों के कारण थीं।

(ग) इनमें औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप, कोयला खनन उद्योग संबंधी मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों की कार्यान्विति, सी० आर० ओ० श्रमिकों का तथा बड़ी संख्या में ठेकेदारों के श्रमिकों को भी कोयला खानों के नियमित कर्मचारियों के रूप में खपा लेने, 15-11-1973 से 39 रुपए प्रति मास या 1.50 रुपए प्रतिदिन की दर से मजदूरी में अन्तरिम वृद्धि के भुगतान आदि सम्मिलित हैं।

एल्यूमिनियम का उत्पादन

*236. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1973 और जनवरी, 1974 के बीच अल्युमिनियम के विभिन्न कारखानों में गत वर्ष के इन्हीं महिनों की तुलना में, महीनेवार, कितना उत्पादन हुआ ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 6354/74]

पुरुष और महिला बीड़ी कर्मचारियों की मजूरी में अन्तर

*237. **श्री डी० बी० चन्द्र गोड़ा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में पुरुष और महिला बीड़ी कर्मचारियों की मजूरी में अन्तर है; और

(ख) यदि हां, तो, राज्यवार, उनकी मजूरी का अनुपात क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) बीड़ी उद्योग में भुगतान अधिकांशत: बनाई गई (लपेटी गई) बीड़ियों की संख्या से संबद्ध है और उपलब्ध सूचना के अनुसार अधिसूची दरों में पुरुष और महिला श्रमिकों के संबंध में कोई अन्तर नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के निर्यात से होने वाली आय

*238. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के निर्यात से होने वाली आय में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ख) आगामी वर्षों में क्या-क्या सुधार होने की आशा है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की निर्यात आय 1971-72 में 11.27 लाख रुपए से 1972-73 में 19.89 लाख रुपए बढ़ी और 1973-74 में यह 32 लाख रुपए तक पहुंच जाने की आशा है। 1974-75 के दौरान निर्यात 57 लाख रुपए हो जाने का अनुमान है निर्यात-आयात अधिकांशत: आय विदेशी ग्राहकों के लिये इंजनों के ओवरहाल तथा मरम्मत से है। एयरोइन्जन और हेलिकाप्टरों के उपकरण भी निर्यात किए जा रहे हैं। परिवर्तन लाने और निर्यात में वृद्धि करने के लिये योजनाओं पर कार्य हो रहा है।

वरिष्ठ और कनिष्ठ डिवीजनों के राष्ट्रीय छात्र सेना दल अधिकारियों के कमीशन प्राप्ति की अधिसूचना का भारत के राजपत्र में प्रकाशन

*239. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ और कनिष्ठ डिवीजनों के राष्ट्रीय छात्र सेना दल अधिकारियों के कमीशन प्राप्ति की अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो राजपत्र के प्रकाशन के लिये कौन प्राधिकारी जिम्मेदार है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) नेशनल कडेट कोर के महानिदेशक ।

लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश में संशोधन

*240. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश में संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परिवर्तन की क्या आवश्यकता है और प्रस्तावित संशोधन क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) इस्पात के वितरण की नीति की सतत् समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक होता है इसमें परिवर्तन किये जाते हैं, जिनमें लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश में आशोधन करना भी शामिल है ।

लोहे की कतरनों आदि का आयात

*2204. **श्री गजाधर माझी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिजली तथा भट्टी उद्योग के लिये छड़ों के निर्यात के बदले में लोह की कतरनों आदि के आयात की अनुमति देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्राय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) विद्युत भट्टियों/पुनर्बेलन क्षमता के अधिक उपयोग के लिये सरकार फैरस स्क्रैप के आयात तथा छड़ों और गोल छड़ों के निर्यात की एक योजना लागू करने पर विचार कर रही है ।

Financial Assistance to Madhya Pradesh for War Widows

2205. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Defence** be pleased to State :

(a) whether Government have recieved a request from Madhya Pradesh Government for financial assistance so that the scheme initiated by the State Government to help the war widows may be completed ;

(b) if so, the action taken by Government in this regard ; and

(c) if no action has been taken, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) (a) No, Sir. The Schemes formulated by the State Government have been financed by them as done in other State.

(b) and (c) Does not arise in view of (a) above.

सीमा सड़क संगठन

2206. **श्री वयालार रवि** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क संगठन का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वर्तमान टास्क फोर्सों में से कुछ को समाप्त करने का निर्णय किया है और कितने श्रमिकों की पहले ही छंटनी कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और संगठन से छंटनी किए जाने वाले कर्मचारियों के लिये अन्य रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करने के लिये क्या कायवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सीमा सड़क संगठन का निर्माण कार्य अभी चल रहा है ।

(ख) और (ग) वर्तमान टास्क फोर्सों को समाप्त करने के लिये कोई निर्णय नहीं लिया गया है । लेकिन ग्रैफ के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप 5500 पायॅनियर श्रमिकों को 1973-74 से शुरू होने वाले अगले तीन वर्षों के अन्दर घटा दिये जाने की आशा है । इससे वस्तुतः 1000 पायॅनियर प्रति वर्ष नौकरी से हटाए जाने पड़ेंगे और शेष को सामान्य क्षति पर समायोजित किया जा रहा है ।

उन्हें वैकल्पिक नौकरी दिये जाने के लिये, महानिदेशक (रोजगार और प्रशिक्षण) और पुर्नव्यवस्थापन महानिदेशक और ग्रह मंत्रालय तथा अन्य एजेंसियों की सलाह से जो निर्माण कार्य के लिये श्रमिकों को लगाती हैं, प्रत्येक सम्भव प्रयास किया जा रहा है ।

Assessment of Shortage of Drugs in Madhya Pradesh

2207. Shri G. G. Dixit : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether any estimate has been made regarding shortage of necessary drugs in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the results hereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Shri A. K. Kisku) : (a) and (b) The supply position of Drugs in the States is watched by the State Drugs Controllers. Information regarding cases of shortages of drugs are reported by the State Drugs Controllers to the Drugs Controller of India who pursues the matter with the concerned authorities. Shortage of "Anaesthetic Ether" in hospitals in Madhya Pradesh was brought to the notice of the Drugs Controller of India during February 1974. He has taken up the matter with the manufacturers of the drug, under intimation to the Drugs Controller, Madhya Pradesh.

कोयले की दोहरा मूल्य प्रणाली

2208. श्री एम० कतामुतु : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले की दोहरा मूल्य प्रणाली शुरु करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिण भारत में कोयले से भरपूर क्षेत्र

2209. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के दक्षिण भागों में कोयले से भरपूर क्षेत्र की कुछ पट्टियों पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इनके बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस बारे में कोई समुचित अध्ययन तथा सर्वेक्षण किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां । भारत के दक्षिण भागों में आंध्र प्रदेश का गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र मुख्य कोयलाधारी क्षेत्र है।

(ख) इन कोयला क्षेत्रों का भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा 1872 और 1878 के बीच प्रारम्भिक भूवैज्ञानिक मानचित्रण किया गया था तथा बाद में सिंगरैनी क्षेत्र में कुछ समन्वेषी भू-छेदन कार्य किया गया । उक्त क्षेत्रों में कोयले की खोज 1887 में शुरू की गई। क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य आयोजन के लिये भारतीय भूविज्ञान द्वारा पुन: सर्वेक्षण किया गया जिसके आधार पर विभाग ने 1964 से 1971 के दौरान 8 खंडों में भू-छेदन करके क्षेत्रीय अन्वेषण कार्य पूरा किया और आजकल गोदावरी खानी (रामागुंडम) क्षेत्र में 1970 से भू-छेदन के जरिये क्षेत्रीय समन्वेषण कार्य किया जा रहा है । नव गठित खनिज समन्वेषण निगम ने टेकमाटला क्षेत्र में विस्तृत समन्वेषण कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1974-79 के दौरान रेलवे कोच/वैगन निर्माण की क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव

2210. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-79 के दौरान रेलवे/कोच तथा वैगन निर्माण की क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) देश में उपलब्ध उत्पादन क्षमता का यदि ठीक प्रकार से उपयोग किया जाये तो यह पांचवीं पंच वर्षीय योजना की अवधि में देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त सिद्ध होगी ।

केरल के औद्योगिक एककों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू करना

2211. **श्री वयालार रवि** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में ऐसे औद्योगिक एककों की संख्या कितनी है जिनपर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू होता है और इन एककों के कुल कितने कर्मचारियों को भविष्य निधि के सदस्य बनाया गया है; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत न आने वाले एककों तथा कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और इन पर यह अधिनियम लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है । यह यथा-समय सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

केरल के लिये परिवार नियोजन कार्यक्रम

2212. **श्री वयालार रवि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में गत वर्षों में परिवार नियोजन के क्षेत्र में मिले उत्साहवर्द्धक परिणामों को देखते हुए क्या सरकार का विचार केरल राज्य में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अधिक जोरदार बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो पांचवीं योजना में सम्मिलित किये गये इस राज्य में क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यक्रम की संक्षिप्त रूप रेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) सारे देश में परिवार नियोजन संबंधी प्रयत्न तेज करने के सामान्य उद्देश्य के अनुरूप केरल में पांचवीं योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम को तेज किया जाएगा ।

(ख) कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में एक संक्षिप्त विवरण संलग्न है ।

विवरण

केरल के लिए पांचवीं योजना में सम्मिलित किये गए परिवार नियोजन कार्यक्रम की संक्षिप्त रुपरेखा :

1. पांचवीं योजना के लिए परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों के अन्तर्गत निम्नलिखित लक्ष्य अपनाए गए हैं :—

नसबन्दी . . .	6,25,000
गर्भाशयी गर्भरोधक (लूप) प्रविष्टियां	2,30,000
प्रचलित गर्भनिरोधक उपयोगकर्ता	इनकी संख्या योजना के पहले वर्ष में 80,000 से आरंभ होकर योजना के अंतिम वर्ष में 1,50,000 तक बढ़ाई जाएगी ।

2. राज्य परिवार नियोजन कार्यालय और राज्य सचिवालय एकांश, जिला परिवार नियोजन कार्यालय तथा वर्तमान नगरीय और ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केंद्रों को चालू रखना तथा 3 नए अतिरिक्त ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन और एक जिला कार्यालय की स्थापना ।

3. 8 प्रसवोत्तर केन्द्र चालू रखना तथा 3 अतिरिक्त केंद्रों की स्थापना ।

4. सघन जिला कार्यक्रम को चालू रखना ।

5. 2 क्षेत्रीय परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्रों, 5 सहायक नर्स धात्री प्रशिक्षण केन्द्रों तथा 2 महिला स्वास्थ्य वीक्षिका प्रशिक्षण केंद्रों को चालू रखना ।

6. दाइयों, होम्योपैथों तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति के व्यवसायियों का परिवार नियोजन के तरीकों में प्रशिक्षण ।

7. प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य :—

(1) स्कूल जाने से पूर्व की आयु के 36 लाख शिशुओं का डी० पी० टी० से प्रतिरक्षण ।

(2) 14 लाख गर्भवती माताओं का टिटेनस से प्रतिरक्षण ।

(3) 6–11 वर्ष की आयु के बीच के 16.50 लाख स्कूली बच्चों का डी०पी०टी० से प्रतिरक्षण।

(4) 30 लाख माताओं तथा बच्चों की पौषणिक रक्त क्षीणता से रोकथाम।

(5) विटामिन 'ए' की कमी के कारण होने वाले अन्धेपन के नियंत्रण के लिए 49 लाख बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम।

8. जनांकिकीय अनुसंधान केन्द्र को चालू रखना।

9. जन शिक्षा तथा प्रेरणा कार्यक्रम को तेज करना तथा निरोध और प्रचलित गर्भनिरोधकों की सप्लाई।

श्रीलंका से प्रत्यावर्ती

2213. **श्री वयालार रवि** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और श्रीलंका की सरकारों के मध्य हुए करारों के अधीन अब तक कुल कितने प्रत्यावर्ती भारत आ चुके हैं; और इस वर्ष कितने और व्यक्तियों के आने की आशा है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रत्यावर्तन-कार्य को तेज करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूप रेखा क्या है?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) 23 फरवरी, 1974 तक श्रीलंका से 1,26,569 प्रत्यावासी भारत आ चुके हैं। अप्रैल, 1973 में भारत तथा श्रीलंका के प्रधान मंत्रियों के बीच हुए विचार-विमर्श के बाद यह सहमति हुई कि भारत-श्रीलंका करार, 1964 में अपेक्षित 35,000 के आंकड़ों में प्रतिवर्ष प्रत्यावासन की दर में 10 प्रतिशत उत्तरोत्तर वृद्धि की जाएगी। इस आधार पर, यह अनुमान है कि 1974 के दौरान 42,000 व्यक्ति भारत लौटेंगे।

दिल्ली में दुकानों के खुलने और बंद होने के समय

2214. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में प्रशासन द्वारा दुकानों के खुलने और बन्द होने के निर्धारित समयों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और गत तीन मास के दौरान उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ख) दुकानों के खुलने और बन्द होने के निर्धारित समयों का कुछ उल्लंघन हुआ है परन्तु यह ध्यान में रखते हुए कि 190,000 से अधिक दुकानें और प्रतिष्ठान दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 के अधीन पंजीकृत हैं, ये उल्लंघन बहुत अधिक नहीं कहे जा सकते। निर्धारित समय के उल्लंघनों को रोकने के लिये, दिल्ली प्रशासन द्वारा निरीक्षकों, अधिकारियों और स्क्वाडों की मार्फत जांच की जाती है। निर्धारित समय के उल्लंघन के लिये गत तीन महिनों, अर्थात दिसम्बर, 1973 से फरवरी, 1974 तक, लगभग 3,000 अभियोजन चलाए गए। उल्लंघनों को रोकने के लिए एक पखवारे के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में विषेश स्क्वाडों के द्वारा एक विशेष आन्दोलन भी नवम्बर, 1973 में चलाया गया।

असैनिक तथा सैनिक क्षेत्रों के लिये छोटे विमान

2215. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असैनिक तथा सैनिक क्षेत्रों में 10 से 15 व्यक्तियों की क्षमता वाले छोटे विमानों के लिये बढ़ती हुई मांग पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की इन विमानों का निर्माण करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने वर्ष 1973 में इस विषय में विचार किया था; और

(घ) क्या इस बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) इस प्रकार के विमान के लिये मार्किट सर्वेक्षण से इसकी केवल सीमित आवश्यकता का पता चला है। ऐसे विमान के स्वदेशी डिजाइन तथा विकास की व्यवहार्यता विचाराधीन है। इस अवस्था में कोई ब्यौरे नहीं दिए जा सकते ।

सरकारी उपक्रमों में खाली पड़े अध्यक्ष के पद

2216. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी उपक्रमों के क्या नाम हैं जिनमें इस समय अध्यक्ष के पद खाली पड़े हैं और प्रत्येक उपक्रम में उक्त पद कितने समय से खाली पड़े हैं ;

(ख) उक्त पदों को न भरने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त पदों के कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से इस समय केवल इंजीनियरिंग प्राजेक्टस (इण्डिया) लि० में अंशकालिक अध्यक्ष का पद 31 अक्तूबर, 1973 से रिक्त है। इस पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव किया जा रहा है और इस पर शीघ्र ही निर्णय हो जाने की सम्भावना है ।

भारतीय विदेश सेवा में पदोन्नति और सीधी नियुक्ति का अनुपात

2217. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1974 को भारतीय विदेश सेवा में कर्मचारियों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी थी ;

(ख) इस समय कितने पद रिक्त पड़े हैं ; और

(ग) सीधी नियुक्ति की तुलना में प्रतिवर्ष अनुपात कितने पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :

(क)	(1) भारतीय विदेश सेवा	505
	(2) भारतीय विदेश सेवा (ख)	2552
	जोड़	3057
(ख)	(1) भारतीय विदेश सेवा	96
	(2) भारतीय विदेश सेवा (ख)	125
	जोड़	221

(ग) भारतीय विदेश सेवा : (1) भारतीय विदेश सेवा के अवर वेतन क्रम में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय विदेश सेवा और भारतीय प्रशासन सेवा के लिए सम्मिलित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियमित वार्षिक आधार पर की जाती है।

(2) भारतीय विदेश सेवा के प्रवर वेतन-क्रम में नियुक्तियां अवर वेतन क्रम के अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा की जाती है सिवाय इसके कि 15 प्रतिशत पद भारतीय विदेश सेवा (ख) के वर्ग 1 के अधिकारियों में से पदोन्नति देकर भरे जात हैं।

(3) भारतीय विदेश सेवा में प्रवर वेतन क्रम के सभी पद केवल पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

भारतीय विदेश सेवा (ख)

(4) सामान्य संवर्ग का वर्ग 1

इस वर्ग के सभी पद केवल पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

(5) सामान्य संवर्ग के समेकित वर्गों 2 और 3

भारतीय विदेश सेवा (ख) के वर्ग 4 से $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत पदोन्नति और $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों पर सीधे भर्ती द्वारा।

(6) सामान्य संवर्ग का वर्ग 4

भारतीय विदेश सेवा (ख) के वर्ग 5 से 25 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा और 75 प्रतिशत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों पर सीधे भर्ती द्वारा।

(7) सामान्य संवर्ग का वर्ग 5

इस वर्ग के सभी पद केवल पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

(8) सामान्य संवर्ग का वर्ग 6

90 प्रतिशत रिक्त स्थान सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर और 10 प्रतिशत रिक्त स्थान इस मंत्रालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

(9) आशुलिपिक उप-संवर्ग का चयन वर्ग

इस वर्ग के सभी पद केवल पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

(10) आशुलिपिक-उप-संवर्ग का वर्ग—1

इस वर्ग के सभी पद केवल पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

(11) आशुलिपिक उप-संवर्ग का वर्ग—2

भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशु-लिपिक उप-संवर्ग के वर्ग 3 से $37\frac{1}{2}$ प्रतिशत पदोन्नति द्वारा और $62\frac{1}{2}$ प्रतिशत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों पर सीधे भर्ती द्वारा।

(12) आशुलिपिक उप-संवर्ग का वर्ग—3

इस वर्ग के सभी पद केवल पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

मैसर्ज दरबशाह बी० करसेट जी एण्ड सन्स, बम्बई पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 लागू करने के बारे में ज्ञापन

2218. **श्री वाई ईश्वर रेड्डी :** क्या **श्रम** मंत्री मैसर्ज दरबशाह बी० करसेटजी एन्ड सन्स, बम्बई, पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 लागू करने के बारे में 13 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4614 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ने मैसर्ज दरबशाह बी० करसेटजी एण्ड सन्स बम्बई, जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 लागू नहीं है, के बारे में प्राप्त ज्ञापन के बारे में अपनी राय दे दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि बम्बई स्थित प्रतिष्ठान के मुख्य कार्यकलाप, स्टेवेडोरिंग, जहाजों पर माल लादना और उतारना और दुभासी (जहाज को सामग्री की सप्लाई) हैं, जो इस समय कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेन्शन निधि अधिनियम, 1952 की सीमा में नहीं आते। इसलिए प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र इस प्रतिष्ठान को अन्तर्गत नहीं ला सका। तथापि, प्रतिष्ठान से अनुनय किया जा रहा है कि वह उक्त अधिनियम की धारा 1(4) के अन्तर्गत कर्मचारियों को स्वेच्छिक रूप से भविष्य निधि का लाभ दे।

फिलीस्तीनी विद्यार्थियों द्वारा दिल्ली स्थित अरब लीग वाणिज्य दूतावास पर हमला

2219. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिलीस्तीनी विद्यार्थियों द्वारा दिल्ली स्थित अरब लीग वाणिज्य दूतावास पर हमला करने के सम्बन्ध के कोई राजनयिक कार्यवाही की है और यदि हां, तो वह क्या है ; और

(ख) क्या वर्तमान घटना से वर्तमान अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का पता लगा है और यदि हां, तो सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) अरब लीग ने इस सम्बन्ध में किसी "राजनयिक कार्रवाई" की मांग नहीं की और न किसी कार्रवाई की आवश्यकता समझी गई।

(ख) भारत-स्थित विदेशी मिशनों की सुरक्षा के वर्तमान प्रबन्ध पर्याप्त है।

इस्पात सम्बन्धी नीति

2220. **श्री डी० बी० चन्द्र गोडा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के उद्योग मंत्री ने यह प्रश्न उठाया है कि वर्तमान इस्पात संयंत्रों के विस्तार करने में क्या बुद्धिमता की जबकि उन्होंने निर्धारित अपनी क्षमता प्राप्त नहीं की थी ;

(ख) क्या उन्हों ने यह भी कहा था कि केन्द्र स्थित इस्पात निति निर्धारित करने वाले व्यक्तियों को दक्षिण में, जहां अनेक स्थान इस्पात कारखाने स्थापित करने की दृष्टि से उपयुक्त है; नये इस्पात संयंत्र स्थापित करने के बारे में भी जांच करनी चाहिए ;

(ग) क्या सरकार का यह विचार है कि बढ़ती हुई लागत पर वर्तमान तेल संकट के कारण दक्षिण में विजय नगर तथा अन्य स्थानों पर प्रस्तावित इस्पात संयंत्रों की प्रगति में विलम्ब होने से स्थिति और बिगड़ गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) : संभवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय 4 फरवरी, 1974 को बंगलोर में भारत में मिश्र इस्पात उद्योग पर विचार गोष्ठी के उद्घाटन के समय कर्नाटक सरकार के उद्योग मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी से है जिसमें उन्होंने वर्तमान इस्पात कारखानों के विस्तार का उल्लेख किया था और कहा था कि ये कारखाने अपनी निर्धारित क्षमता प्राप्त नहीं कर पाये हैं। उन्होंने दक्षिण में लगाये जाने वाले इस्पात कारखानों का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया था ।

(ग) और (घ) तीन नये इस्पात कारखानों का निर्माण कार्यक्रम धन की राशि उपलब्धि को देखकर बनाया जाएगा। हम यह समझते हैं कि इनको पूरा करने में विलम्ब होने से लागत बढ़ जाएगी और संसाधनों की उपलब्धि को देखते हुए इन प्रायोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए हर कोशिश की जाएगी ।

Indian Doctors in West Germany

2221 **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government will collect the information through the Indian Embassy in West Germany about the number of Indian Doctors in that country;

(b) whether there is any scheme under the consideration of Government to bring back and provide employment to Indian doctors living and working in foreign countries; and

(c) if so, the facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) The number of Indian doctors in West Germany as on Ist January 1972 was 124.

(b) No.

(c) Does not arise.

Persons of Indian Origin in U. S. A.

2222. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to collect the information about the number of persons of Indian origin residing in U.S.A. through the Indian Embassy; and

(b) if so, the facts thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra pal Singh) : (a) No., Sir.

(b) Does not arise.

Verification of Membership by Central Trade Unions

2223. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1690 on the 22nd November, 1973 regarding Verification of Membership by Central Trade Unions and state :

(a) the reasons given by organisations as have not furnished the claims for not supplying the information; and

(b) the reasons for delay in scrutinising the particulars and the time by which their scrutiny will be made ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Varma) : (a) The All India Trade Union Congress has stated that its General Council has decided not to participate in the general verification of membership as on 31-12-72 on the ground that "it is based on unequal rights for enrolment of members, one centre having a right to enter the factories and others not having such rights" and that as the new "Industrial Relations Bill" has been delayed "there is no reason why the old verification method which was postponed for many year be resumed".

The Hind Mazdoor Sabha has not yet sent any reply to the letter of the Chief Labour Commissioner seeking figures of claimed membership and other particulars of unions affiliated to it as on 31-12-72.

(b) The whole matter is under examination.

Family Pension Scheme in Textile Mills in M. P.

2224. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the number of employees in the Textile Mills in Madhya Pradesh who have accepted family pension scheme upto 31st October, 1971 and the total number of employees working in these mills;

(b) whether workers have shown no interest in the said scheme; and

(c) if so, the action being taken by Government to make the scheme popular ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Varma): (a) to (c) : The required information is being collected. It will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Stainless Steel to Production Units of Madhya Pradesh

2226. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the quantity of stainless steel given to the production units and other units in Madhya Pradesh during the last three years; year-wise;

(b) the total exports of stainless steel articles from Madhya Pradesh and the incentive given by Government to them; and

(c) the quantity of stainless steel asked for by Madhya Pradesh and the reasons why Government could not meet their demand fully ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

फैक्टरी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों की प्रति व्यक्ति दैनिक आय में कमी

2227. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैक्टरी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों की प्रति व्यक्ति दैनिक आय में वृद्धि-दर 1969 से प्रतिवर्ष बहुत घटती जा रही है, यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान फैक्टरियों में प्रति व्यक्ति दैनिक आय का ब्यौरा देने वाले आंकड़े क्या है ;

(ख) इस कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं, और पांचवी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष इस सम्बन्ध में वृद्धि-दर बढ़ाने के क्या लक्ष्य रखे गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) : 1969 से प्रति व्यक्ति दैनिक आय घटी नहीं है; फैक्टरी श्रमिकों (400 रु० प्रति माह से कम आय वाले) की प्रतिव्यक्ति दैनिक आय के आंकड़ें, मजदूरी भुगतान अधिनियम के अधीन विवरणियों के अनुसार, 1969, 1970 और 1971 (अनंतिम) के लिए क्रमशः 8.17 रुपये, 8.39 रुपये और 9.04 रुपये हैं।

भारत स्थित विदेशी दूतावासों की सुरक्षा के लिये उपाय

2228. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत स्थित जापानी दूतावास पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले के बाद सरकार ने नई दिल्ली स्थित जापानी दूतावास को कुछ ऐहतियाति सुरक्षा कार्यवाही करने की सूचना दी है ; और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) : नई दिल्ली स्थित जापानी राजदूतावास ने कुवैत-स्थित अपने राजदूतावास पर हाल में हुए "अभिग्रहण" को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा प्रबन्धों की मांग की। इस सम्बन्ध में किए गए सुरक्षा प्रबन्धों के बारे में जानकारी देना सार्वजनिक हित में न होगा।

ईंधन अनुसंधान संस्थान, ज्यालगौडा

2229. **श्री एम० आर० शर्मा :** क्या इस्पात और खान मंत्री इन्धन अनुसन्धान संस्थान ज्यालगौडा के बारे में 20 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5530 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्धन अनुसन्धान संस्थान आयोग ने 28/29 नवम्बर, 1971 को अपना कोई प्रतिवेदन पेश किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र 13 और 15 के कोयले में रख-रखाव की बाष्पशीलता और निश्चित कार्बन कितना-कितना है तथा वे किस किस श्रेणी के होंगे ; और

(ग) क्या एक वरिष्ठ खान इन्जीनियर और एक भूतपूर्व निदेशक ने अपने तकनीकी प्रतिवेदन में इस बारे में संकेत दिया था ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) : न्यू धर्मबन्ध कोयला खान की सीम सं० 13 तथा 15 के विश्लेषण के बारे में कोयला बोर्ड को केन्द्रीय इन्धन अनुसन्धान संस्थान से नवम्बर, 1971 में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेश मंत्री के विदेशी दौरे तथा उन पर हुआ खर्च

2230. **श्री छत्रपति अम्बेश :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष के दौरान उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया और उन दौरों पर कितनी राशि खर्च हुई ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : जिन देशों की यात्रा की गई, वे हैं :—

बर्मा, सीरिया, इराक, जर्मन, लोकतांत्रिक गणराज्य, चोकोस्लोवाकिया, फिनलैंड, स्वीडन, नार्वे, डेन्मार्क, इरान, कनाडा, अल्जीरिया, अमरीका, अफगाणिस्तान, बंगलादेश और भूटान।

व्यय : रुपये 2,71,000 (लगभग)

रुसी कम्पनी द्वारा भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची को सब मशीनों की सप्लाई न करना

2231. श्री स्वर्ग सिंह सोखी : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुसी कम्पनी ने भारी इंजीनियरिंग निगम राँची, को निर्धारित और पूरे उत्पादन के लिए आवश्यक सब मशीनों की सप्लाई नहीं की है जिसका पता प्रबन्धकों को हाल ही में उपलब्ध योजना सम्बन्धी कागजातों से लगा है ;

(ख) क्या सरकार का विचार भारी इंजीनियरिंग निगम को अब तक हुई हानि का मुआवजा रुस से प्राप्त करने के लिए अनरोध करने और इसकी वसूली उसे देय राशि में से करने का है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) सोवियत सहयोगकर्ताओ ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार एच० एम० बी० पी० के लिए सब उपकरण सप्लाई कर दिए हैं। संयंत्र के उत्पाद-मिश्र में संशोधन होने के कारण और यह निर्धारण कि अधिष्ठापित मशीनिंग अपर्याप्त साबित होने की संभावना है, संतुलन सुविधाओं की अतिरिक्त आवश्यकताएं राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम और सोवियत विशेषज्ञों के परामर्श से निर्धारित की जा रही है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उटते ।

बोकारो स्टील सिटी में माध्यमिक स्कूल

2232. श्री स्वर्ण सिंह सोखी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो स्टील लिमिटेड की इस्पात पिघलाने वाली दुकान का उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय योजना मंत्री ने इस पर सहमति प्रकट की थी कि बोकारो स्टील सिटी में एक डिग्री कालेज और अनेक माध्यमिक स्कूल खोले जायें ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कालेज कब तक खोल दिया जायेगा और वहां कितने माध्यमिक स्कूल खोले जायेंगे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) :(क) 31 जनवरी, 1974 को बोकारों की कुछ श्रमिक यूनियनों ने इस प्रकार की माँग योजना मंत्री के सम्मुख रखी थी। मंत्री महोदय ने कहा था कि इस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा ।

(ख) इस मामले पर शिक्षा मंत्रालय से बातचीत की जा रही है। बोकारो स्टील लि० बोकारो स्टील सिटी में एक डिग्री कालेज खोलने के बारे में भी बिहार सरकार से सम्पर्क बनाए हुए है।

रेल संकट के कारण सरकारी तथा गैर-सरकारी इस्पात संयंत्रों के उत्पादन में कमी

2233. श्री स्वर्ण सिंह सोधी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल के रेल संकट के कारण सरकारी तथा गैरसरकारी इस्पात संयंत्रों के उत्पादन में भारी कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो संयंत्र वार टनों में तथा मूल्य में कितनी राशि की हानि हुई हो और भविष्य में ऐसी हानियों को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

4—5 LSS/74

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) जनवरी और फरवरी, 1974 के महीनों में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के पांच मुख्य इस्पात कारखानों में इस्पात पिण्ड का कुल उत्पादन इन महीनों के लिए निर्धारित लक्ष्यों से लगभग, 2,79,000 टन कम रहा। चुंकि सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने का उत्पादन बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, अत: यह बताना कठिन है कि रेलवे संकट के कारण यातायात में रुकावट आने से प्रत्यक्ष रुप में उत्पादन की कितनी हानि हुई है (अथवा कितने मूल्य का उत्पादन नहीं हुआ है) यद्यपि उसका यह मुख्य कारण था।

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ द्वारा निर्मित स्कूटरों की विक्रय एजेंसियां

2234. श्री स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ द्वारा निर्मित स्कूटरों की विक्रय एजेंसिया गैर-सरकारी फर्मों को देने का है अथवा सरकार समस्त देश में अपनी बिक्री एजेंसियां स्थापित करेगी ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) और (ख): स्कूटर इण्डिया लिमिटेड द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार खुदरा अधिकरण जो देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जाएंगे, इंजीनियर मैनेजरों द्वारा चलाए जाएंगे। इंजीनियर-मनेजर बेरोजगार इंजीनियरों में से भर्ती किए, जायेंगे। इंजीनियर-मैनेजर को बिक्री पर कमिशन दिया जायेगा जिससे शोरुम और सेवा केन्द्र चलाने पर होने वाले व्यय के पश्चात उसको लगभग 1,000 रुपये से 1,500 रुपये तक की शुद्ध मासिक आय होगी। समुचित और अविलम्बित बिक्री-पश्चात सेवा को इंजीनियरों के लाभदायक रोजगार के अनुरुप बनाने का प्रयास है।

एल्यूमिनियम के प्रमुख उत्पादकों द्वारा एल्यूमिनियम की सप्लाई में कथित भेदभाव

2235. डा० महिपतराय मेहता : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्यूमिनियम के प्रमुख उत्पादक एल्यूमिनियम के गौण निर्माताओं को 'कर्माशियल ग्रेड एल्यूमिनियम' की सप्लाई में भेदभाव कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान कुछ प्रमुख उत्पादकों की एल्यूमिनियम के चुने हुए गौण निर्माताओं को एल्यूमिनियम की सप्लाई में जानभूझ कर कटौती करने की नीति की ओर ध्यान दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है कि ऐसे निर्माताओं को गत वर्षों में की गई सप्लाई के आधार पर ही एल्यूमिनियम की सप्लाई की जाए ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) : चुंकि वाणिज्यिक ग्रेड एल्यूमिनियम के वितरण पर कोई औपचारिक या अनौपचारिक नियंत्रण नहीं है, अत: विभिन्न उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक ग्रेड-एल्यूमिनियम की पूर्ति के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। वाणिज्यिक तथा विद्युत ग्रेड-एल्यूमिनियम की पूर्ति न किए जाने के बारे में विभिन्न स्त्रोतों से सिकायतें मिली हैं। प्राथमिक उत्पादकों से कहा गया है कि वे विविध उपभोक्ताओं को इस धातु के समान वितरण को सुनिश्चित करें।

इन्डिपेन्डेंट (सैकन्डरी) एक्स-ट्रेडर्स आफ एल्यूमिनियम

2236. **डा० महिपतराय मेहता : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डिपेन्डेन्ट (सैकन्डरी) एक्स ट्रेडर्स आफ एल्यूमिनियम का मूल उत्पादन कर्ताओं से वर्ष 1972–73 में मिलने वाली मात्रा के समान ही कर्मशियल ग्रेड एल्यूमिनियम की सप्लाई नहीं मिल रही है ;

(ख) क्या उनको कर्मशियल ग्रेड एल्यूमिनियम की सप्लाई में की गई कमी उसके उत्पादन में समूचे तौर पर कमी की प्रतिशतता के अनुरूप है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार (इन्डिपेन्डेन्ट सैकन्डरी) एक्स-ट्रेडर्स आफ एल्यूमिनियम को पिछले वर्षों में प्राप्त हुई सप्लाई जितनी ही सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (घ) चुंकि वाणिज्यिक ग्रेड के एल्युमिनियम के वितरण पर किसी प्रकार का औपचारिक अथवा अनौपचारीक नियंत्रण नहीं है अतः विभिन्न उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक ग्रेड एल्युमिनियम की सप्लाई के सम्बन्ध में सरकार को विस्तृत जानकारी नहीं है, 1973–74 में 2,00,000 मीट्रिक टन के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उत्पादन केवल 150,000 मीट्रिक टन होने की सम्भावना है (इसमें ई०सी० ग्रेड तथा वाणिज्यिक ग्रेड दोनों प्रकार का एल्यमिनियम सम्मिलित है) । वाणिज्यिक तथा विद्युत ग्रेड, दोनों ही प्रकार की धातुओं की सप्लाई न होने के सम्बन्ध में विभिन्न स्त्रोतों से सिकायतें आई हैं । प्राथमिक उत्पादकों से कहा गया है कि वे विभिन्न उपभोक्ताओं के बीच इस धातु का समान वितरण सुनिश्चित करें ।

संतति] निरोध के नये उपाय के लिये आई० आई० टी० तथा अखिल [भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, दिल्ली द्वारा प्रयोग

2237. **श्री लम्बोदर वलियार : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० आई० टी०, दिल्ली तथा अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान द्वारा संतती निरोध के लिए एक नये उपाय के बारे में प्रयोग किए जा रहे हैं ; और

(ख) इस प्रयोग के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है और यह उपयोग कितने समय के अन्दर सार्वजनिक उपयोग में आ सकेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) यह तरीका अभी भी विकास के चरणों में है ।

इस्को तथा टिस्को का बन्द होना

2238. **श्री विश्वनाथ झुझुनवाला : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी अब बन्द होने की स्थिति में है और टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी बन्द हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं । यह ठीक है कि फरवरी के आरम्भ में टिस्को की कई उत्पादन इकाइयों को बन्द करना पड़ा था परन्तु अब उन इकाइयों ने पुनः उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है। "इस्को" के बन्द होने की नौबत कभी नहीं आई है ।

(ख) पूर्वी क्षेत्र में रेलवे में औद्योगिक अशान्ति के कारण सभी इस्पात कारखानों को जिनमें टिस्को भी शामिल है कच्चे माल, विशेषतया कोयले की ढुलाई पर प्रभाव पड़ा था । अब स्थिति सुधर गई है ।

सरकारी कोटे में से कारों तथा स्कूटरों के आवंटन के बारे में जानकारी देने की प्रणाली

2239. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कोटे में से कारों और स्कूटरों के आवेदकों को जानकारी देने की प्रणाली बदल दी गई है ;

(ख) क्या जानकारी प्राप्त करने की वर्तमान प्रक्रिया बहुत कष्टदायक है और उसमें अधिक समय लगता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या पहले वाली प्रक्रिया को पुनः लागू किया जायेगा जो सुविधाजनक थी अथवा वर्तमान प्रणाली में सुधार किया जायेगा ताकि इस सम्बन्ध में पूछताछ में समय कम लगे ; और

(घ) क्या इस पूछताछ के काम को निपटाने के लिए और आवेदकों की आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए एक पूर्णकालिक अधिकारी को नियुक्त करने की वांछनीयता का मामला विचाराधीन है और यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) से (घ) : व्यक्तिगत पूछताछ के लिये उत्तर देने की प्रणाली में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर भी, जनता को जानकारी प्राप्त करने में उस समय कुछ असुविधा हुई थी जब पूछ-ताछ पटल (इन्क्वायरी काउन्टर) निर्माणाधीन था। अब एक काउन्टर खोल दिया गया है और सभी कार्य के दिनों में कार्यालय के समय में पूछ-ताछ का जवाब देने के लिए एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है, जिसके पास सभी प्रकार की जानकारी होगी, किसी को कोई असुविधा नहीं है ।

दिल्ली के अस्पतालों में कैंसर के उपचार के लिए ब्लड प्लाजमा प्लांट का उपलब्ध न होना

2240. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **स्वास्थ्य और परीवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली महानगर के सरकारी अस्पतालों में ब्लड प्लाजमा प्लांट नहीं है जो कैन्सर के रोगी के उपचार के लिए अत्यन्त आवश्यक है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के कैन्सर केन्द्रों में इस आवश्यक उपकरण को लगाने के बारे में पर्याप्त कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या देश के अन्य कैन्सर केन्द्रों में भी इसी प्रकार की कठिनाई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और प्रत्येक केन्द्र में इसको मंगाने तथा लगाने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) शहर के किसी भी सरकारी अस्पताल में सुखाया गया प्लाज्मा तयार करने के लिए कोई संयंत्र नहीं है ।

(ख) और (ग) कॅन्सर के रोगियों के लिये प्लाज्मा की कोई जरूरत नहीं पड़ती है इसलिये कोई मशीन प्रीप्त करने अथवा मशीन को लगाने की जरुरत नहीं है ।

रक्त दाताओं को भुगतान की दर

2241. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में रक्त दाताओं की भुगतान की दर काफी समय से बदली नहीं गई है ;

(ख) क्या रक्त दाताओं का शोषण करने के लिए एक बड़ा गिरोह है जिन्हें रोगियों के सम्बन्धियों के रूप में रक्त बेचने की अनुमति दी गई है और महीने में एक बार से अधिक उनका भी रक्त निकाल लिया जाता है जैसा कि स्वास्थ्य विनियमों के अन्तर्गत अनुमति नहीं दी गई है और उन्हें भुगतान भी कम किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो भुगतान की वर्तमान दर क्या है और ये दर कब से चल रही है और रक्त बेचने से सम्बन्धित कदाचार के कितने मामलों का पता लगाया गया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (ग) : दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में रक्तदाताओं को जिन दरों से पैसा दिया जा रहा है वह निम्न प्रकार है :- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मामले में ये दरें 1963 या उससे पहले से विद्यमान हैं ।

(1) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली ।	रक्तदाता को 15 रुपये 50 पैसे दिये जाते हैं ।
(2) विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली	रक्तदाता को 15 रु० दिये जाते हैं ।
(3) ईर्विन अस्पताल, नई दिल्ली ।	तदैव
(4) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा अस्पताल नई दिल्ली ।	तदैव
(5) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।	तदैव

उस रक्तदाता से रक्त नहीं लिया जाता जिनका रक्त निर्धारित किये गये न्यूनतम मानकों के अनुकूल नही होता । इस संबंध में कार्य करने वाले किसी गिरोह के बारेमें सरकार को कोई जानकारी नही है । भारत सरकारने सभी राज्य/संघ शासित सरकारों से अनुरोध किया है कि वे स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दें । इस बात पर भी जोर दिया गया है कि स्वैच्छिक रक्तदाता को उचित मान्यता दी जानी चहिए ।

तिरुपति में लघु इस्पात संयंत्र

2242. **श्री के० कोदंडा रामी रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के तिरुपति में 1.25 करोड़ रुपये की लागत का एक लघु इस्पात संयंत्र लगाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की रोजगार क्षमता, उत्पादन जैसी मुख्य बातें क्या हैं और इसमें कब तक उत्पादन आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा बिलेटों का निर्माण

2243. **श्री के० कोदंडा रामी रेड्डी : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में कोमगुडम के निकट संयुक्त उपक्रम के रूप में आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा नरम इस्पात और सख्त बिलेट बनाना के लिए एक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो संयंत्र की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के पास कोठागुडम के निकट एक औद्योगिक उपक्रम लगाने के लिए आशय पत्र है। इस कारखाने में साधारण इस्पात और हाई कार्बन इस्पात के बिलेट, तथा तार छड का उत्पादन किया जाएगा और इसकी क्षमता क्रमशः 50,000 टन और 20,000 टन प्रतिवर्ष होगी। यह कारखाना संयुक्त क्षेत्र में लगाया जा रहा है और इसके 1975-76 में उत्पादन आरम्भ करने की सम्भावना है।

आन्ध्र प्रदेश में स्पंज लोहा परियोजना की प्रगति

2244. **श्री के० कोदंडा रामी रेड्डी : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कोमगुडम के निकट संयुक्त राष्ट्र विकास के कार्यक्रम से सहायता प्राप्त 100 टन प्रति दिन वाली स्पंज लोहा परियोजना के काम की प्रगति क्या है ; और

(ख) इस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं और इसका काम कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का कोठागुडम के पास उस क्षेत्र में उपलब्ध लोह खनिज के प्रत्यक्ष अपचयन द्वारा प्रति दिन 100 टन स्पंज लोहे का उत्पादन करने के लिए स्पंज लोहे का एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस प्रायोजना को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा गया है।

आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने उस दिशा में कुछ कदम उठाए है, जैसे (1) स्थल निर्धारण (2) राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपूर में कच्चे माल का परीक्षण और (3) तकनीकी सलाहकारों की नियुक्ति आदि। ऐसी सम्भावना है कि यह कारखाना 1976-77 में उत्पादन करना आरम्भ कर देगा।

चीनी, कागज तथा वस्त्र उद्योगों के लिए संयंत्रों तथा मशीनरी के आयात पर प्रतिबंध

2245. **श्री एस० एम० संजीवीराव : क्या भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं योजना के दौरान चीनी, कागज तथा वस्त्र उद्योगों के लिए संयंत्रों और मशीनरी के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का है ;

(ख) क्या देश में स्थिति का मुकाबला करने के लिए प्रवन्ध किए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) संपूर्ण चीनी संयंत्रों और कपडा संयत्रो के आयात पर इस समय प्रतिबन्ध लगा है। कपड़ा मशीनों की श्रेणी में कुछ ऐसे उपकरणों के आयात करने पर, गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है जो देश की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए संख्याओं और मात्राओं में अभी देश में निर्मित नहीं किए जा रहे हैं। कागज मशीनों के आयात पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है क्योंकि संख्या और रेंज में देशी उत्पादन समय पर देश की आवश्यकताएं पूर्णतः पूरी नहीं कर सकेगा। सरकार ने इस बात का सुनिश्चय करने के लिए हर सम्भव कदम उठाए हैं कि समस्त कपड़ा और कागज़ मशीनों की आवश्यकताएं निकट भविष्य में देश में ही पूरी हो जायेगी।

ट्रैक्टरों के उत्पादन में कमी और उनका आयात

2247. **श्री वी० मयावन :**
श्री मुक्तियार सिंह मलिक :

क्या **भारी उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ट्रैक्टरों की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो देश में ट्रैक्टरों के उत्पादन की लाइसेन्स प्राप्त क्षमता क्या है ;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान कितने ट्रैक्टरों का आयात किया गया ; और

(घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ट्रैक्टरों के उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) जी नहीं। हां, एक विशेष मेक के ट्रैक्टर की बहुत बड़ी मांग है।

(ख) 1,47,000 संख्या प्रतिवर्ष ।

(ग) वर्ष 1972 में 5,048 ट्रैक्टर तथा वर्ष 1973 में 1300 ट्रैक्टरों का आयात किया गया था ।

(घ) 80,000 संख्या प्रतिवर्ष। लक्ष्य को पूरा करने के लिए अंशतः स्थापित एककों में से कुछ का विस्तार करके तथा अंशतः नए एककों की स्थापना करके पर्याप्त क्षमता पहले ही स्वीकृत कर दी गई है।

दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई में कोयला गैस संयंत्र की स्थापना

2248. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई में कोयला गैस संयंत्र स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो यह संयंत्र कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) योजना आयोग ने कोयला गैसीकरण के प्रौद्यो-आर्थिक अध्ययन के लिए जिसमें वैकल्पिक प्रौद्योगि की और अवस्थितियों की जांच तथा बम्बई और कलकत्ता के गैस सप्लाई उपक्रमों के यहां उपलब्ध सुविधाओं का अधिकतम उपयोग शामिल है, कार्यकारी दल स्थापित किए है। कार्यकारी दलों से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा उनकी अनुशंसाओं के आधार पर किए गए साध्यता अध्ययन के बाद ब्यौरा उपलब्ध हो सकेगा।

चीनी उद्योग में प्रवेश पाने के लिये इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड द्वारा तकनीकी ज्ञान का विकास

2249. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इण्डिया) लिमिटेड ने चीनी उद्योग में प्रवेश पाने के लिए पूरे तकनीकी ज्ञान का विकास कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे दो चीनी कारखाने एक सहकारी क्षेत्र में भीमसिंधी में तथा दूसरा आन्ध्र प्रदेश में मिरियालगुडा में स्थापित करने के ठेके प्राप्त हुए हैं।

(ग) क्या इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इण्डिया) लिमिटेड ने अन्य उद्योगों की अन्य शाखाओं के बारे में भी विशेष ज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इण्डिया) लिमिटेड ठेका करने वाली एक प्रमुख कम्पनी है जो टर्न की आधार पर औद्योगिक परियोजनाओं का कार्यान्वियन करती है। इस प्रयोजन के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इण्डिया) लिमिटेड ने चीनी उद्योग में प्रवेश पाने के लिए अपेक्षित जानकारी विकसित कर ली है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इण्डिया) लिमिटेड ने काफी मात्रा में सामान सम्भालने वाली परियोजनाओं, कोक भट्ठियों, विद्युत आर्क और रिडक्शन भट्ठियों, सीमेन्ट संयंत्रों, कम तापक्रम के कार्बनकरण और गैसीकरण संयंत्रों, इस्पात संयंत्रों जिनमें पेलेटाइजेशन और स्पंज लोहे के संयंत्र भी शामिल हैं, जैसे क्षेत्रों में टर्न की परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित विशेष ज्ञान और जानकारी का विकास कर लिया है तथा इसका और आगे विकास कर रहा है।

Loss Incurred in Poultry farm at Kondagaon

2250. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether poultry farm at Kondagaon, Dandakaranya Project has been in loss since 1959 uptil now continuously; and

(b) if so, the total loss sustained from 1971 to 31st December, 1973 and the concrete steps taken to check it?

The Deputy Minister in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

नकली औषध एककों का पता लगाना

2251. **श्री वसन्त साठे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नकली औषध एककों का पता लगाने के लिए पिछले 12 महीनों के दौरान औषध नियंत्रण कर्मचारियों द्वारा कितने छापे मारे गए हैं ; और

(ख) तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) राज्यों/संघों शासित क्षेत्रों से अब तक मिली सूचना के अनुसार 53 छापे मारे गए हैं।

(ख) इसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

दिल्ली 20 छापे। आठ स्थानों से नकली दवाइयां पकड़ी गई थीं और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था ।

केरल तीन छापे। तीन स्थानों से नकली दवाइयां पकड़ी गई । निर्माताओं का पता लगाया जा रहा है और जांच पूरी हो जाने पर शिकायत दायर कर दी जाएगी ।

पंजाब 18 छापे। नकली दवाइयों के दो मामले पकड़े गए और दवाइयों के जिन नमूनों का विश्लेषण किया गया था उन के परिणामों की प्रतीक्षा है ।

पश्चिम बंगाल 12 छापे। ब्यौरे की प्रतीक्षा है ।

नेताजी जांच आयोग को कर्नल हबीबुर्रहमान द्वारा दिये गये वक्तव्य का दिया जाना

2252. **श्री समर गुह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी जांच आयोग को रक्षा विभाग द्वारा जो दस्तावेज दिए गए हैं उनमें आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों के "रेड फोर्ट ट्रायल" के समय कर्नल हबीबुर्रहमान द्वारा रक्षा आसूचना विभाग के अधिकारियों को दिया गया अत्यन्त महत्वपूर्ण वक्तव्य नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या ऐतिहासिक अनुभाग में हुए "रेड फोर्ट ट्रायल" की फाईल में से कर्नल हबीबुर्रहमान द्वारा दिया गया वक्तव्य खो जाने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है; और

(घ) क्या सरकार ने खोए गए वक्तव्य का पता लगाने के लिए कोई प्रयत्न किया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) आरोपित दस्तावेज को ढुंढ़ने के सभी प्रयास असफल रहे हैं। वस्तुतः ऐसा कोई कागज ढुंढ़ना सम्भव नहीं हो सका है कि कभी अैसा कोओी वक्तव्य दिया गया था और अैसा दस्तावेज कभी था ।

मध्य प्रदेश में एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना के लिए रूस के साथ सहयोग

2253. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुसी सहयोग से मध्य प्रदेश में 1000 करोड़ लागत के एक एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और उसे कहां स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) भारत-रुस सहयोग की प्रस्तावित शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में सोवियत सहयोग से 1,000 करोड़ रुपए की लागत से एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मध्य प्रदेश में सोवियत सहायता से एल्यूमिनियम प्रद्रावक और गढ़ाई संयंत्रों का निर्माण हो रहा है,

जो भारत एल्युमिनियिम कम्पनी लिमिटेड की, कोरबा प्रयोजना के एल्यूमिनियम काम्पलैक्स का एक भाग है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में निम्न श्रेणी बाक्साइट निक्षेपों पर आधारित एक एल्यूमिना संयंत्र की स्थापनाहेतु प्रौद्यो-आर्थिक साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक सोवियत एजेन्सी की सेवाएं ली गई हैं।

बागानों में काम कर रहे श्रमिक

2254. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में चाय, काफी और रबड़ बागानों में कुल कितने श्रमिक काम कर रहे थे ;

(ख) एक बागान श्रमिक की कुल साप्ताहिक औसत आय कितनी है ; और

(ग) एक बागान श्रमिक को दी जाने वाली मजूरी की संगणना का आधार क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

पटसन उद्योग में हड़ताल के कारण पटसन के उत्पादन तथा निर्यात आय में हानि

2256. **श्री मिदिब चौधरी** :

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी और फरवरी में पटसन उद्योग में हुई हड़ताल के परिणामस्वरूप उत्पादन तथा निर्यात आय में अनुमानतः कितनी हानि हुई है ; और

(ख) क्या मंत्रालय देश की इस संकटकालीन स्थिति के समय इन हानियों से जिनसे बचा जा सकता था छुटकारा न पाने के उपाय निकालने के बारे में उद्योग तथा श्रम के प्रतिनिधियों से सम्पर्क बनाए हुए हैं।

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :(क) पटसन उद्योग की हड़ताल के परिणाम-स्वरुप उत्पादन और निर्यात आय में हुई अनुमानित हानि के सम्बन्ध में सूचना श्रम मंत्रालय के पास नहीं है।

(ख) जी हां।

Benefit to Employees working in the Offices of Provident Fund

2257. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether the employees of the Provident Fund Offices are deprived of the facilities available as a result of the acceptance of the recommendations of the Third Pay Commission;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action proposed to be taken by Government in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b) The employees of the Employees' Provident Fund Organisation, which is a statutory body, are entitled to such salary, allowances and other conditions of service as may be specified by the Central Board of Trustees with the approval of the Central Government in terms of Section 5D(7) of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act,

1952. The revised pay scales and benefits sanctioned for the Central Government employees on the basis of the recommendations of the Third Pay Commission do not, therefore, apply automatically to the employees of the Employees' Provident Fund Organisation.

(c) Revised pay-scales for the employees of the Employees' Provident Fund Organisation recommended by the Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund are under consideration of the Government.

अलवर में स्कूटर कारखाने की स्थापना

2258. श्री भागीरथ भंवर :
श्रीमती कृष्ण कुमारी :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलवर, राजस्थान में स्कूटर कारखाने की स्थापना की गई है जिसमें मई, 1974 से उत्पादन होने की सम्भावना है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है ; और

(ग) उक्त कारखाने में कितने और कौन-कोन से निदेशक हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मेसर्स राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल एण्ड मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटड को प्रतिवर्ष 24,000 स्कूटर बनाने के लिए अलवर राजस्थान में एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने की अनुमति दी गई है। एक नई कम्पनी अर्थात मेसर्स अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड को परियोजना कार्यान्वित करने के लिए निगमित किया गया है। उपर्युक्त एकक को स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाया जा रहे हैं। पहले से ही यह ठीक ठीक बताना सम्भव नहीं है कि उत्पादन कब प्रारम्भ होगा।

(ख) केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार द्वारा परियोजना को सीधे कोई भी धनराशि प्रदान नहीं की गई है। राजस्थान इण्डस्ट्रीयल एण्ड मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन ने इक्वीटी के रूप में तीस लाख रुपये प्रदान किए हैं और अस्थायी अग्रिम राशि के रूप में सैंतीस लाख रु० भी दिए हैं।

(ग) अरावली स्वचालित वाहन लि० के बोर्ड में इस समय सात निदेशक है। उनके नाम निम्नलिखित है :—

1. श्री पी० एन० काटजू
2. श्री एम० एस० सदाशिवन
3. श्री नरेश चन्द्र
4. श्री जे० एस० सिंधवी
5. श्री बिजय सिंह
6. श्री एम० एल० काला
7. श्री जय दास

निर्यात के लिए एल्यूमिनियम परियोजना की स्थापना

2259. श्री ई० वी० विखे-पाटिल : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केवल निर्यात के लिए ही एक एल्यूमिनियम परियोजना स्थापित करने का है ;

(ख) क्या कोई परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है और यदि हां, तो किसके द्वारा ; और

(ग) परियोजना की मोटी रूपरेखा क्या है और इसे केवल निर्यात प्रदान करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

कनाडा से एल्यूमिनियम का आयात

2260. श्री ई० वी० विखे-पाटिल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के भीतर एल्यूमिनियम की कमी को समाप्त करने के लिए उत्पादन-कर्ता-दरों पर 10,000 टन एल्यूमिनियम की सप्लाई करने के लिए कनाडियन फर्म के एक प्रस्ताव को भारत सरकार ने स्वीकार करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त फर्म का नाम क्या है ;

(ग) क्या इस धातु की कमी की मात्रा का भारत सरकार अथवा किसी सरकारी एजेन्सी ने कोई सर्वेक्षण किया है ;

(घ) क्या गैर सरकारी कारखानों को आयातित एल्यूमिनियम का आवन्टन करने सम्बन्धी सिद्धान्तों की घोषणा की गई है ; और

(ङ) बम्बई पत्तन पर आयातित एल्यूमिनियम का प्रति टन कितना मूल्य होगा और गैर सरकारी औद्योगिक कारखानों को इसी किसी मूल्य पर दिए जाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) इस धातु की सप्लाई के लिए कनाडा की किसी भी फर्म से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां । 1973-74 में 200,000 टन की अनुमानित मांग की तुलना में वास्तविक उत्पादन केवल 150,000 मीट्रिक टन होने की सम्भावना है ।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (क) को दृष्टि में रखते हुए, इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

Food Poisoning Cases in India

2261. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether by a survey conducted by the Consumers' Council of India, it has been found that there were 4087 poisoning cases in India due to consumption of poisoned and adulterated food;

(b) whether in 3024 cases, the harm was not much, only the victims were taken ill; and

(c) if so, the facts in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) :(a) to (c) The survey conducted by the Consumers' Council of India

indicates that during the period January to November, 1973, 4087 cases were reported on account of adulteration of foodstuffs, of which 1063 cases were fatal and 3024 non-fatal. The fatal cases were reported to be due to liquor poisoning, adulteration in foodstuffs, oil, cold beaverages, raw-water-ice, ice-cream and spices. The adulteration in other cases was reported to have resulted in diseases like paralysis, eczema, Gastro-enteritis, diarrhoea etc.

The authenticity of the report is being ascertained.

Evacuee Land and Housing property under Custodian

2262. Shri B. S. Chowhan : Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the area of land and the housing property that came in the possession of the Custodian at the time of the partition of India; and

(b) the land or property that has again been occupied by their real owners?

The Deputy Minister in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) The total number of evacuee properties and area of agricultural land taken over by the Custodian was as under :

(i) Urban properties : About 3.00 lakhs;

(ii) Rural properties : About 7.6 lakhs;

(iii) Agricultural land : About 60 lakh acres.

(b) It is presumed that the Hon'ble Member is referring to the restoration of properties to the original owners. If so, about 1.5 lakh Meos were exempted as a class from the operation of the Evacuee Property Law and tneir properties comprising agricultural lands and houses were restored to them.

Similarly in pursuance of the Nehru-Liaquat Pact of 1950, all the Muslim migrants from Uttar Pradesh who had left of West Pakistan (now Pakistan) during period from 1-2-1950 to 31-5-1950 were taken back and their properties were restored.

Apart from the properties of these classes of persons, thousands of other properties have also been restored to individual evacuees or their heirs under Section 16 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950.

Distribution of Custodian Land and Property among landless people

2263. Shri B. S. Chowhan : Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the State-wise acreage of custodian land upto the period 1973 in the country which has not yet been distributed among the landless people;

(b) the acreage of land or the number of residential houses distributed so far; and

(c) the time by which the remaining land is likely to be distributed?

The Deputy Minister in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) to (c) Information regarding distribution of evacuse land and properties among the landless in the different States is not readily available. This is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Establishment of Ayurvedic University in U. P.

2264. **Shri Mahadeepak Sing Shakya** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether an Ayurvedic University will be established in Uttar Pradesh;

(b) whether negotiations have been held with the University Grants Commission in regard to the place of its location; and

(c) if so, Government's policy regarding the special features of education there and by what time the construction work is likely to commence?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) The establishment of an Ayurvedic University in Uttar Pradesh is under consideration of the Government of Uttar Pradesh.

(b) No.

(c) In addition to Ayurveda, the studies in Unani and Homoeopathy are also envisaged. The latter part of the question does not arise at present.

पांचवी योजना में मेडिकल कालेजों की स्थापना

2265. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना की अवधि में सरकार द्वारा कोई नया मेडिकल कालेज नहीं खोला जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां।

(ख) पांचवी योजना में देश की जितने डाक्टरों की जरूरत होगी उसकी पूर्ति के लिए इस समय प्रति वर्ष जो लगभग 12,500 डाक्टर तैयार हो रहे हैं वे काफी होंगे।

पश्चिमी देश की फर्मों द्वारा उर्वरक के लिए दिये गये ठेके पर पुनर्विचार किया जाना

2266. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी फर्में दरों को बढ़ाने के विचार से उर्वरकों के सम्बन्ध में किए गए ठेकों पर पुनः विचार कर रही हैं और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान तेल स्थिति और कच्चे माल की कमी ऐसे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से फर्म ठेकों पर पुनः विचार करने के लिए जोर दे रही है।

विभिन्न ठेकों के अन्तर्गत की गई वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए सप्लायर्स के साथ समय समय पर बातचीत और विचार-विमर्श होता रहता है।

देश में उर्वरक की महत्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान म रखते हुए, जहां कहीं भी आवश्यक समझा जाता है, वृद्धि की अनुमति दी जाती रही है।

Tripartite talks on strike in Textile Industries

2267. Shri Shrikrishna Agrawal : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether tripartite talks were held among the Union (TIUC), management of the cotton taxtile industries and Government to hammer out the difficulties arising due to the strike going on the cotton extile industries;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the result thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) to (c) The matter falls essentially in the State sphere.

मिग विमान कारखाने से सम्बन्ध एक भूतपूर्व अधिकारी की गिरफ़्तारी

2268. श्री मनोरंजन हाजरा :
श्री गजाधर मांझी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़िसा के एक मिग कारखाने में 700 रुपये प्रति माह वेतन पाने वाला एक वरिष्ठ अधिकारी एक प्राइवेट फर्म में 1800 रु० प्रति माह वेतन का पद प्राप्त करने में सफल हो गया है और कुछ ड्राइंगों तथा कागजातों सहित राजनीतिक जासूसी के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या तथ्य हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कारोपुट प्रभाग के एक अधिकारी को उसके द्वारा पद से त्यागपत्र दिए जाने के कारण 18-12-73 (अपराह्न) को उसकी डयूटी से भारयुक्त कर दिया गया था । इस बीच यह सूचना प्राप्त हुई कि यह प्रबंधक के अनुमोदन के बिना कुछ सरकारी कागजात ले गया था । अत: इस मामले की स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट की गई जिससे तलाशी अधिपत्र प्राप्तकर अधिकारी के घर की तलाशी ली और कुछ कागजात पकड़े जो प्रतिबन्धित श्रेणी के थे । अधिकारी को पकड़ लिया गया है और मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

हिन्दुस्थान एयरोनाटिक्स में वह अधिकारी 750 रुपए मासिक वेतन पा रहा था । यह सूचित किया गया है कि वह किसी प्राइवेट फर्म में 1800 रुपए प्रति मास के मासिक वेतन पर नौकरी के लिए चुना गया था ।

आर्थिक और वैज्ञानिक सहयोग के लिये भारत-रूमानिया संयुक्त आयोग

2269. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक और वैज्ञानिक सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना करने और भारत तथा रूमानिया के योजना निकायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रूमानिया के साथ कोई करार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) रूमानिया की राज्य योजना समिति और योजना आयोग के बीच सहयोग संबंधी करार पर योजना मंत्री, श्री डी० पी० धर, और रूमानिया की राज्य योजना समिति के अध्यक्ष तथा मंत्रि-परिषद के उपाध्यक्ष श्री मानेआ मानेस्कू ने नई दिल्ली में 18 जनवरी, 1974 को हस्ताक्षर किए ।

भारत और रूमानिया के बीच भारत-रूमानिया आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग संयुक्त आयोग की स्थापना विदेश मंत्री तथा श्री मानेस्कू के पत्रों के आदान-प्रदान के जरिये नई दिल्ली में 14 जनवरी, 1974 को की गई ।

(ख) योजना करार से योजना के क्षेत्र में सहयोग के विषय पर भारत-रूमानिया संयुक्त विशेषज्ञ अध्ययन दल की स्थापना हुई है, जिसका मुख्य कार्य आर्थिक पूर्वसूचना, योजना विधितंत्र, परियोजनाओं और कार्यक्रमों का निर्माण और मूल्यांकन और अन्य सूचना के विनिमय के क्षेत्र में अनुभव और ज्ञान का आदान-प्रदान करना होगा ।

भारत-रूमानिया संयुक्त आयोग का कार्य दोनों देशों के बिच समूचे आर्थिक संबंधों का विस्तार करने और उन्हे सुदृढ करने की दृष्टि से उनकी समीक्षा और सिफारिशें करना होगा ।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड की गाजियाबाद यूनिट के लिए सामान का आयात

2270. श्री प्रबोध चन्द्र :
श्री राम सहाय पांडेय :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के गाजियाबाद एकक के लिये सामान का आयात किया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रतिशतता क्या है और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जिस उपस्कर का निर्माण किया जाना है उसके आधुनिकतम स्वरूप की दृष्टि से इस फैक्टरी की जरूरत के कतिपय उपकरणों और सामान का आयात करना होगा ।

(ख) उत्पादन के प्रथम वर्ष में, आयातित उपकरणों और असेम्बलीज की अनुमानित लागत लगभग 60 प्रतिशत है, परन्तु लगभग दो से तीन वर्ष के समय में यह प्रतिशत लगभग 40 प्रतिशत तक घट जाने का अनुमान है । स्वदेशी स्त्रोतों से जैसे-जैसे अधिक सामान/ उपकरण उपलब्ध होगा यह उत्तरोत्तर और घट जाएगा । इसमें लगने वाली कुल विदेशी मुद्रा किसी विशेष अवधि में वास्तविक उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करेंगे ।

पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होने से स्कूटरों की मांग

2271. श्री पी० गंगादेव :
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोल की कीमत में वृद्धि होने से मोटरगाड़ी उद्योग के सामने संकट उपस्थित हो गया है;

(ख) क्या स्कूटरों की मांग में वृद्धि हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो देश में अधिक स्कूटरों का उत्पादन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के कारण इस महत्वपूर्ण उद्योग में नीतियों और लक्ष्यों के बारे में पुर्नविचार और पुन: अनुमान लगाना निस्संदेह आवश्यक हो गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सरकार, प्रतिवर्ष 1,00,000 की क्षमता में स्कूटरों का निर्माण करने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना स्थापित कर रही है। कुछ राज्य औद्योगिक विकास निगम, जिन्हें स्कूटरों का निर्माण करने के लिए आशय पत्र दिए हैं, मे० स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाये जाने वाले स्कूटरों जैसे डिजाइन और माडल के स्कूटरों का निर्माण करने के लिए मे० स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के साथ लाइसेंसिंग व्यवस्था कर रहे हैं। तीन विद्यमान निर्माताओं को स्कूटरों का निर्माण करने के लिए क्षमता का विस्तार करने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, स्कूटरों का निर्माण करने के लिए अनेक नये उद्यमियों को औद्योगिक लाइसेंस/आशयपत्र जारी किए गए हैं। सरकार को विश्वास है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक स्कूटरों की सम्पूर्ण मांग देशी उत्पादन से पूरी हो जाएगी।

काली पनबिजली परियोजना के निकट एल्यूमिनियम संयंत्र

2272. श्री बी० वी० नायक : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली पनबिजली परियोजना के निकट एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव उन्हें प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वह कब प्राप्त हुआ; और

(ग) क्या उक्त मामले की जांच की गई है और इस पर निर्णय किया गया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) काली पनबिजली परियोजना के निकट एक एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करने के बारे में दो संसद सदस्यों से मार्च/अगस्त, 1973 में सुझाव प्राप्त हुए है। कर्नाटक राज्य सरकार, जिससे इस बारे में परामर्श किया गया था, का विचार है कि राज्य में बिजली की वर्तमान कमी पांचवीं योजना अवधि में भी बनी रहेगी तथा उस क्षेत्र में एक नए एल्यूमिनियम संयंत्र की परिकल्पना केवल तभी की जा सकती है जब बिजली उत्पादन की नई परियोजनाएं शुरु की जाएं। पुन: आर्थिक क्षमता किसी प्रद्रावक की स्थापना के लिए अपेक्षित किस्म के बौक्साइट के पर्याप्त भंडार की पुष्टि कर लेना आवश्यक होगा जो सात वर्ष तक पूर्ति देता रहे।

छम्ब के शरणार्थियों के एक प्रतिनिधिमण्डल की प्रधान मंत्री से भेंट

2273. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छम्ब के शरणार्थियों का एक प्रतिनिधिमण्डल 30 जनवरी, 1974 को प्रधान मंत्री से मिला था; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उनकी शिकायतें दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, हां। छम्ब के विस्थापित व्यक्तियों का एक प्रतिनिधिमण्डल 31-1-1974 को प्रधान मंत्री से मिला था।

(ख) उनकी शिकायतें उनके शीघ्र तथा सन्तोषप्रद पुनर्वास और इस बीच में राहत सहायता में सुधार करने से सम्बन्धित थीं। जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में छम्ब विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास प्राधिकरण के नाम से जाना जाने वाला एक केन्द्रीय प्राधिकरण पहले ही स्थापित किया जा चुका है। उनके पुनर्वास के लिए प्राधिकरण उपयुक्त योजनाएं तैयार करेगा और उनका उचित तथा समय पर निष्पादन सुनिश्चित करेगा।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित पिक्चर ट्यूबों की मांग

2274. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन सेटों के उत्पादन के लिए अपेक्षित पिक्चर ट्यूबों और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों के लिए देश के टेलीविजन उद्योग की सम्पूर्ण मांग को भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड नहीं पूरा कर पा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसी ट्यूबों और उपकरणों की कितनी मांग है और इसमें से कितनी मांग को भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड पूरा कर रहा है ;

(ग) क्या विदेशों में भारतीय टेलीविजन सेटों की अभी हाल में काफी मांग बढ़ी है और पिक्चर ट्यूबों, उपकरणों की कमी विदेशों की मांगों को पूरा करने में उद्योग के सामने बाधक सिद्ध हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इन उपकरणों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि उद्योग अधिक मात्रा में निर्यात कर सके ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड टेलीविजन सेटों के लिए पिक्चर ट्युबों और कुछ प्रकार के रिसीविंग वाल्वों और ट्रांसिस्टरों का निर्माण कर रहा है । इस समय देश में टेलीविजन सेटों का वार्षिक उत्पादन लगभग 1 लाख सैट है । केवल 1974-75 के बजट के समय मांग में अचानक तेजी आ जाने को छोड़कर, भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड टेलीविजन सेट निर्माताओं द्वारा दिये गए आर्डरों पर मांगे गए उपकरणों की सप्लाई करने में लगभग सफल रहा है । भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा इन टेलीविजन सेटों के लिए बनाए जाने वाले कुछ प्रकार के ट्रांसिस्टरों का उत्पादन और उन्हें मार्किट में भेजने का काम देश की कुछ अन्य फर्में भी कर रही है । हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की हैदराबाद डिवीजन भी कुछ विशेष प्रकार के उपकरणों का उत्पादन कर रही है ।

(ग) और (घ) : यद्यपि विश्व में सामान्य टेलीविजन सेटों के लिए भारी निर्यात की मांग है, लेकिन भारतीय निर्माताओं ने अभी शुरुआत ही की है और पिक्चर ट्यूबों अथवा अन्य उपकरणों के उपलब्ध न होने से उन पर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है । तथापि इलैक्ट्रानिक्स विभाग टेलीविजन उपकरणों के निर्माण के लिए स्वदेशी क्षमता को बढ़ाने के लिए पग उठा रहा है जिससे भविष्य में देश तथा विदेशी मांगों को पूरा किया जा सके ।

खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिये दण्ड

2275. सरदार बूटा सिंह :
डा० रानेन सेन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय नागरिक परिषद् ने ऐसे व्यक्तियों को कठोर दण्ड दिये जाने की सिफारिश की है जो मिलावट करने के लिए दोषी पाए जाएं;

(ख) यदि हां, तो परिषद् की मुख्य सिफारिशें क्या है; और

(ग) इन्हें क्रियान्वित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख): खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए केन्द्रीय नागरिक परिषद् ने निम्नलिखित सजा देने की सिफारिश की है ।

(1) जहां मिलावट स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो, उसके लिए कम से कम 5 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष की कड़ी कैद हो तथा उसके साथ 5000 रुपये से कम का जुर्माना न हो ।

(2) अन्य अपराधों के लिए कम से कम दो साल की कड़ी कैद जो अधिक से अधिक 5 वर्ष की हो। किन्तु अदालत अपने विवेक से विशेष मामलों में इस अवधि को घटा सकती है, जो छः मास से कम न हो। इसके साथ कम से कम 2,000 रुपये का जुर्माना होना चाहिए जो विशेष मामलों में घटाकर कम से कम 500 रुपये दिया जाए।

(3) एक ही किस्म के अपराध को दूसरी और अधिक बार करने पर कम से कम सजा को बढाकर दुगना कर दिया जाए।

(4) ऐसे सभी मिलावट के मामलों में, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर हों, लाइसेंस रद्द कर दिया जाय और व्यक्तियों के नाम छाप दिए जाएं।

(ग) केन्द्रीय नागरिक परिषद् की सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्रावधानों का संशोधन करने के लिए संसद के चालू अधिवेशन में एक विधेयक पेश करने का विचार है।

Tractor Factory in Pratapgarh U.P,

2276. **Shri Nageshwar Dwivedi** : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state:

(a) the time by which the Tractor Factory of District Pratapgarh, Uttar Pradesh will start functioning;

(b) the area of land required for the construction of this factory; and

(c) the number of the persons who will get employment in this factory?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) (a) As the construction of the factory has yet to be started, it is not possible to indicate at this stage when it will start functioning.

(b) They have indicated a requirement of 100 acres of land at Pratapgarh for the factory and another 50 acres for a demonstration farm.

(c) Housing requirements at Pratapgarh have been indicated as 500 for workmen and 80 for supervisory staff. Total employment is likely to be around a thous and when the plant is in full operation.

Setting up of Health Centres and Dispensaries in Madhya Pradesh

2277. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the names of the places in tribal areas in Madhya Pradesh where health centres and Dispensaries will be set up during the next one or two years and whether Central Government have received a report regarding their necessity and whether details have been asked for from the State Government in this regard;

(b) whether Government have received a proposal from Madhya Pradesh Government for setting up health centres and dispensaries; if so, their number and places, and the assistance sought therefor; and

(c) the decision taken with regard to part (b) above?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) to (c) The State Government propose to establish 67 Primary Health Centres during the 5th Five Year Plan in 28 tribal and backward districts of the State. A list

of such districts indicating the number of Primary Health Centres functioning therein is attached. No central assistance is available for establishment of Primary Health Centres to any State Governments from the beginning of Fourth Plan.

STATEMENT

List of Tribal and Backward Districts in Madhya Pradesh

Sl. No.	Name of Tribal & Backward Districts	No. of P.H.Cs. Functioning
(1)	(2)	(3)
1	Bastar	26
2	Botual (except Multai Teh.)	10
3	Bilaspur (Katghora & Bilaspur Teh.)	24
4	Chhindwara	11
5	Dhar (except Badwawar Teh.)	12
6	Chabua	12
7	Mandla	16
8	Khargone (Barwani, except Kasrawad & Barawaha)	16
9	Raigarh	17
10	Shahdol	11
11	Sooni	8
12	Sidhi	7
13	Surguja	24
14	Rajnandgaon (Durg)	24(Durg)
15	Raipur (Dhamatari, Mahesamund & Bindranawagarh Teh.)	23
16	Ratlam (Sailana Teh.)	6
17	Khandwa (Harsud Teh.)	10
18	Balaghat (Baihar Teh.)	10
19	Morena (Sheopur & Bijaipur Tehsils)	10
20	Chhatarpur	8
21	Guna	9
22	Panna	5
23	Raisen	7
24	Rajgarh (Biora)	6
25	Rewa	9
26	Shajapur	7
27	Shivpuri	8
28	Tikamgarh	6
	TOTAL	342

खेतिहर मजदूरों के लिये बढ़ी हुई मजूरी तथा रोजगार की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिये विधेयक

2278. श्री भान सिंह भौरा :

श्री एम० कतामुतु :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में खेतिहर मजदूरों को बढ़ी हुई मजूरी दिलाने तथा रोजगार की सुरक्षा के लिये संसद् में एक विधेयक लाये जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बजट अधिवेशन में लगाया जायेगा और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि केरल विधान सभा में चर्चा के लिए जो विधेयक लाया गया है उससे 20 लाख खेतीहर मजदूरों को लाभ होगा;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को ऐसे अधिनियमों को स्वीकार किये जाने के निदेश दिये है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : केरल कृषि सम्बन्धी श्रमिक विधेयक, 1972, भारत सरकार को भेजा गया था और राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि राज्य विधान सभा में उसके पेश किये जाने के बारे में कोई आपत्ति नहीं है ।

(ङ) जी, नहीं ।

Postponement of setting up of New Factories for Manufacture of Small Car

2279. Shri Atal Bihari Vajpayee :

Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) whether in view of the shortage of fuel, Government propose to postpone the construction of new factories manufacturing private cars;

(b) whether any dicision has been taken in regard to Maruti Limited and other such companies in this context; and

(c) if so, the facts in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : (a) to (c) : In view of the gestation period involved, Government do not consider it necessary to postpone such projects for the manufacture of cars as have already made some headway. Government do not, however, propose to issue any new letters of intent for the manufacture of cars for the present.

उड़ीसा के आदिवासियों की नसबन्दी

2280. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे परिवार नियोजन कार्यक्रम को तेजी से समाप्त होते जा रहे कुछ आदिवासियों पर भी लागू किया गया है जिससे उनकी संख्या में आगे कोई भी वृद्धि नहीं हो सके ; और

(ख) उड़ीसा में आदिवासियों की वर्तमान संख्या में से कितने आदिवासियों की नसबन्दी की गई है।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कोंड़ाजी बासप्पा) : (क) जी नहीं। आदिम जाति क्षेत्रों में परिवार नियोजन के बजाए स्वास्थ्य की देखभाल पर अधिक जोर दिया जाता है। तथापि परिवार नियोजन संबंधी शिक्षा और सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ख) नसबन्दी किये गए व्यक्तियों सम्बन्धी सूचना किसी जाति अथवा कबीले के आधार पर नहीं रखी जाती।

फ्रांस के नौसेना अधिकारी का भारत का दौरा

2281. श्री पी० ए० सामिनाथन :
श्री के० एम० मधुकर :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस के नौसेनाध्यक्ष ने फरवरी, 1974 में भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा की गई ; और

(ग) क्या भारत ने यह कहा है कि हिन्द महासागर में फ्रांस की नौसेना की उपस्थिति से भारत की सुरक्षा को भारी खतरा होगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) फ्रांस के नौसेनाध्यक्ष और हमारे नौसेनाध्यक्ष के बीच फ्रांसीसी नौसेना के विकास और सामान्य नौसैनिक हितों के बारे में चर्चा की गई थीं।

(ग) फ्रांस हिन्द महासागर में रीयूरियन और कोमोस ग्रुप के द्वीप समूह और लाल सागर के आईज़ाक और अफार्स थे के क्षेत्र को फ्रांसीसी क्षेत्र का भाग मानते हैं और इसलिए उनकी नौसैनिक और सैनिक उपस्थिति की बड़ी शक्तियों से तुलना नहीं की जा सकती। तथापि हिन्द महासागर में विदेशियों की उपस्थिति के बारे में हमारा सामान्य दृष्टिकोण फ्रांस पर भी बराबर लागू है, यद्यपि हमने इस प्रश्न पर विशिष्ट रूप से कार्यवाही नहीं की है।

इस्पात संयंत्र द्वारा सामान्य कार्य प्रारम्भ करना

2282. श्री पी० ए० सामिनाथन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रमुख इस्पात संयंत्रों में कच्चे माल की कमी के कारण हुई गड़बड़ के पश्चात् सामान्य काम प्रारंभ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस्पात संयंत्रों को कितने दिनों तक इन कठिनाइयों का सामना करना पडा ; और

(ग) इन संयंत्रों को धन के रूप में कितनी हानि हुई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सम्भवतः अभिप्रायः जनवरी/फरवरी, 1974 में रेलवे में औद्योगिक अशान्ति के कारण कोयले तथा अन्य कच्चे माल तथा तैयार उत्पादों की ढुलाई में बाधा के कारण इस्पात कारखानों के परिचालन में आई बाधा से है। लगभग फरवरी के मध्य से कोयले तथा अन्य कच्चे माल की सप्लाई की स्थिति में सुधार हो रहा है और यदि यह सुधार बना रहा तो निकट भविष्य में कारखाने में सामान्य रूप से उत्पादन होने लगेगा।

(ख) इन दो महीनों में इस बाधा का प्रभाव न्यूनाधिक रहा है।

(ग) सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने का निर्बाध परिचालन कई बातों पर निर्भर है इसलिए सही तौर पर यह बताना कठिन है कि प्रत्येक कारण के परिणामस्वरूप कितने मूल्य के उत्पादन की हानि हुई है। तथापि जनवरी तथा फरवरी, 1974 के महीनों में सभी पांच मुख्य इस्पात कारखानों में इस्पात पिण्ड का कुल उत्पादन इन महीनों के लिए निर्धारित लक्ष्यों से लगभग 2,79,000 टन कम हुआ है और इस कमी का मुख्य कारण रेल यातायात की कठिनाइयों के कारण आई बाधा है।

लघु इस्पात परियोजनाओं पर प्रतिबन्ध

2283. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु इस्पात में परियोजनाओं की स्थापना पर प्रतिबंध लगा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या देश में इस्पात के उत्पादन के लिए यह लाभदायक होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख): जी, नहीं,। रद्दी लोहे का प्रयोग करने वाली विद्युत् भट्टीयों से इस्पात बनाने की नई क्षमता स्थापित करने पर अब औद्योगिक लाइसेंस देने की प्रक्रिया लागू होती है। औद्योगिक लाइसेंस देने की उदार व्यवस्था जिसके अन्तर्गत उद्योग-पति ऐसी इकाइयां जिनमें एक इकाई में पुंजी निवेश एक करोड़ रुपये से कम होता था स्थापित कर सकते थे और अपने आप को पंजीकृत करवा सकते थे, पर्याप्त मात्रा में रद्दी लोहे की उपलब्धि न होने तथा बिजली की कमी के कारण 31-10-73 से समाप्त कर दी गई है। यह कदम रद्दी लोहे तथा बिजली जैसे आवश्यक आदानों की उपलब्धि के अनुसार उद्योग के विकास को विनियमित करने के लिए उठाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पहले से सृजित क्षमता का बेहतर उपयोग किया जा सके।

संगठित क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य में उद्योगवार रोजगार

2284. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार संगठित क्षेत्र के अन्तर्गत, उद्योग-वार तथा राज्यवार रोजगार की क्या स्थिति है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार तथा वर्ष-वार, सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में अलग अलग संगठित क्षेत्र के अन्तर्गत रोज़गार वृद्धि की प्रतिशतता क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : इस समय जो सूचना एकत्र की जा रही है वह अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र अर्थात सरकारी क्षेत्र की सभी स्थापनाओं और निजी क्षेत्र की ऐसे गैर-कृषि स्थापनाओं जिनमें दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, के संबंध में है। इस स्त्रोत पर आधारित तीन विवरण संलग्न हैं। [**ग्रंथालय में रखे गये। दखिये संख्या एल० टी० 6355/74**]

औद्योगिक विवाद

2285. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री सरोज मुखर्जी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में राज्य-वार तथा वर्ष-वार मुकदमेबाजी के कारण कितने औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुए ;

(ख) गत दो वर्षों में मुकदमेबाजी के कारण राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितने जन-दिवसों की हानि हुई ; और

(ग) गत दो वर्षों में राज्य-वार तथा वर्ष-वार औद्योगिक विवादों के कारण हुई मुकदमेबाजी के कारण कितने मूल्य के उत्पादन की हानि हुई ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है ।

इस्पात का उत्पादन

2286. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री कर्णी सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर-सरकारी तथा सरकारी इस्पात संयंत्रों की इस्पात की स्थापित क्षमता क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संयंत्र में कितना वास्तविक उत्पादन हुआ ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : निम्नलिखित-सारणी में देश के पांच मुख्य इस्पात कारखानों अर्थात् भिलाई इस्पात कारखाने, दुर्गापुर इस्पात कारखाने, राउरकेला इस्पात कारखाने, 'टिस्को' और 'इस्को' की अधिस्थापित क्षमता तथा वर्ष 1971–72, 1972–73 तथा अप्रैल 1973 से जनवरी, 1974 की अवधि में इस्पातपिण्ड का वास्तविक उत्पादन दिखाया गया है :—

(हजार टन)

कारखाना		इस्पात पिण्ड		विक्रेय इस्पात	
		अधिस्थापित क्षमता	उत्पादन	अधिस्थापित क्षमता	उत्पादन
1		2	3	4	5
भिलाई	1971–72 . .	2500	1953	1965	1568
	1972–73 . .	2500	2108	1965	1746
	1973–74 . . (अप्रैल' 73-जनवरी'74)	*2083.3	1618.6	*1637.5	1430.6
दुर्गापुर	1971–72 . .	1600	700	1239	432
	1972–73 . .	1600	723	1239	477
	1973–74 . . (अप्रैल' 73-जनवरी '74)	*1333.3	664.8	*1032.5	301.3
राउरकेला	1971–72 . .	1800	823	1225	598
	1972–73 . .	1800	1177	1225	765
	1973–74 . . (अप्रल' 73-जनवरी '74)	*1500	888.4	*1020.8	591.7
टिस्को	1971–72 . .	2000	1708	1500	1387
	1972–73 . .	2000	1690	1500	1458
	1973–74 . . (अप्रैल' 73-जनवरी '74)	*1666.6	1282	*1250	1009
इस्को	1971–72 . .	1000	617	800	493
	1972–73 . .	1000	431	800	347
	1973–74 . . (अप्रैल' 73-जनवरी '74)	*833.3	364	*666.7	295

*अप्रैल 1973 से जनवरी 1974 की अवधि में आनुपातिक क्षमता ।

ट्रैक्टरों के लिये अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि

2287. श्री राम सहाय पांडे : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ट्रैक्टरों के लिये अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि न किये जाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। फिर भी, ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिए लाइसेंस प्राप्त क्षमता में फिलहाल वृद्धि न करने का निश्चय किया गया है क्योंकि पांचवी योजना के अंत तक सम्भावित मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त क्षमता के लिए पहले ही लाइसेंस दिया गया है।

चीन-भारत सीमा के सम्बन्ध में रूसी मानचित्र

2288. श्री पीलू मोदी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने चीन-भारत सीमा के संबंध में संशोधित मानचित्र प्रकाशित कर दिया है जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया था ;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस प्रश्न को सोवियत सरकार के साथ फिर से उठाया है ; और

(ग) यदि हां, तो सोवियत सरकार की इस संबंध में यदि कोई प्रतिक्रिया है तो वह क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले एक वर्ष में ऐसा कोई नया सोवियत नकशा नहीं निकला गया है जिसमें चीन-भारत सीमा दिखाई गई हो।

(ख) भारत सरकार इस मामले में सोवियत सरकार को अपने विचारों से अवगत रखती आई है।

(ग) उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे हमारे विचारों को ध्यान में रखेंगे।

हड़तालों और ताला बन्दियों के कारण सरकारी क्षेत्र में निजी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जनदिवसों की हानि

2289. श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :
श्री नारायण चन्द पराशर :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हड़तालों, तालाबन्दियों तथा अन्य औद्योगिक झगड़ों के कारण सरकारी क्षेत्र में 1973 वर्ष में 1972 वर्ष की तुलना में अधिक जन-दिवसों की हानि हुई ;

(ख) निजी क्षेत्र में जन-दिवसों की हानि की तुलना में मास-वार आंकड़े क्या थे ; और

(ग) उत्पादन में कितनी कमी होने का अनुमान है और उसके कितने राजस्व की हानि होगी ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

सरकारी अस्पतालों में किये गये गर्भपात

2290. श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :
श्री धामनकर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद से सरकारी अस्पतालों में कानूनी तौर पर कितने गर्भपात किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : अन्तिम रिपोर्टों के आधार पर अप्रैल, 1972 से दिसम्बर, 1973 तक 51,203 गर्भों की चिकित्सीय समाप्ति की सूचना मिली है।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिकस लिमिटेड को हानि

2291. श्री फतहसिंह राव गायकवाड : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को गत वर्षों में हानि हुई है और यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(ख) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश में लोहा और इस्पात के कारखाने

2292. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र संघ विकास परियोजना आन्ध्र प्रदेश में लोहा और इस्पात के दो कारखानों की स्थापना में सहायता देने पर सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो जिस सहायता का वचन दिया गया है उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) कोठागुडम में 30,000 टन वार्षिक क्षमता का स्पंज लोहे का एक कारखाना लगाने का आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का प्रस्ताव सरकार द्वारा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अधीन सहायता के लिए गया है। मांगी गई सहायता मुख्य रूप से उपस्करों के आयात, तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाओं और विदेशों में प्रशिक्षण के लिए शिक्षा वृत्ति के लिए है।

आयुर्वेदिक औषधियों के दिल्ली के निर्माता

2293. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माता को लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी नहीं, दिल्ली के आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माताओं को लाइसेंस लेना पडता है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Persons Taken Ill of the Consuming Poisonous Bread

2294. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether 210 persons were taken ill in KEM Hospital in Bombay during December, 1973 by consuming poisonous 'Moradabadi' bread;

(b) whether there were 112 children among the persons taken ill;

(c) whether this poisonous bread was prepared by a bakery in Mahim in Bombay district; and

(d) if so, whether an enquiry was held into this incident and the outcome thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) 220 persons reported to KEM Hospital in Bombay in November, 1973 after consuming bread.

(b) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

(c) Yes.

(d) Yes, the enquiry revealed that groundnut oil used in the manufacture of bakery products was the cause of food poisoning. The Conductor of the bakery and 8 other persons have been arrested.

कोयला धोने की अतिरिक्त क्षमता

2295. श्री एम० ए० मुरुगनन्तम : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की कमी तब तक बनी रहेगी जब तक कोयला धोने के लिये अतिरिक्त क्षमता तैयार नहीं की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) शोधित कोयले की उपलब्धि में प्रत्याक्षित कमी को पूरा करने के लिए, पांचवी योजनाविधि में एक करोड़ टन कोयले को साफ करने की अतिरिक्त क्षमता लगाने का प्रस्ताव है ।

एल्यूमिनियम का बढ़ा हुआ मूल्य

2296. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एल्यूमिनियम का मूल्य बढ़ाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा 1 दिसम्बर, 1973 और 1 मार्च, 1974 को उत्पादन लागत कितनी थी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) : एल्यूमिनियम और इसके कुछ उत्पादों के लिए समान नियंत्रित मूल्य 24 मई, 1971 से लागू किए गए थे । इन्हें अभी तक बढ़ाया नहीं गया है । परन्तु, एल्यूमिनियम उत्पादक कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण एल्यूमिनियम के नियंत्रित मूल्यों को बढ़ाने के लिए दबाव डाल रहे हैं । औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो ने, जिनसे एल्यूमिनियम उद्योग के लागत ढांचे की जांच करने तथा नियंत्रित मूल्यों की वृद्धि के लिए उपयुक्त सुझाव देने का अनुरोध किया गया था, अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत कर दी हैं । ये सरकार के विचाराधीन हैं ।

वर्ष 1973-74 में सरकारी क्षेत्र के एककों का कार्य

2297. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :
श्री समर गुह :

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी उद्योग के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के एककों का कार्य गत वर्ष की तुलना में संतोषजनक रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973–74 के दौरान इन एककों के कार्य का ब्यौरा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारी उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के एककों की अप्रैल, 73 से जनवरी, 74 तक की अवधि की कार्यकुशलता का पता 1972–73 की इसी अवधि की तुलना में निम्नलिखित तालिका से चलता है :—

(लाख रुपये में)

	वास्तविक उत्पादन अप्रैल 72 से जनवरी, 73 तक	वास्तविक उत्पादन अप्रैल, 73 से जनवरी, 74 तक	वृद्धि की प्रतिशतता
1	2	3	4
1. हेवीइंजीनियरिंग कारपोरेशन . .	3963	4400	11.0
2. माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन .	774	1046	35.1
3. भारत हेवी प्लेट एण्ड वैसल्स . .	367	738	101.1
4. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड . .	219	369	68.5
5. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड . .	150	184	22.7
6. जेसप एण्ड कम्पनी . . .	1268	1841	45.2
7. ग्रेशम एण्ड क्रेवन . . .	64	84	31.3
8. ब्रेथवेट्स	590	818	38.6
9. रिचार्डसन एण्ड क्रुडास . . .	476	497	4.4
10. मशीन टूल कारपोरेशन आफ इण्डिया .	72	102	41.7
11. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स . . .	2152	2650	23.1
12. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एण्ड हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि०	9477	16909	78.4
	19572	29638	51.4

यह देखा जा सकता है कि भारी उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत उपर्युक्त सरकारी एककों के उत्पादन में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल, 1973 से जनवरी, 1974 तक की अवधि में 100 करोड़ रुपये से अधिक या 51.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह उपलब्धि इस अवधि के लिए निर्धारित किये गये 316 करोड़ रुपये के लक्ष्य की 94 प्रतिशत है। 1973–74 के पूरे वर्ष का लक्ष्य 429 करोड़ रुपये है, और इस समय की प्रवृत्ति को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह लक्ष्य बहुत कुछ हद तक पूरा हो जायेगा।

कोयला धोने के कारखानों के पास धुले हुये कोयले का जमा हो जाना

2298. **श्री एस० ए० मुरगनन्तम :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला धोने के कारखाने अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने में असमर्थ है क्योंकि वैगनों की अनुपलब्धता के कारण धुला कोयला जमीन पर जमा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और कोयला धोने के कारखानों को यह बताने के लिये कि रेलवे द्वारा पूरा धुला कोयला उठा लिया जायगा, क्या उपाय किये गये है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) कोयला शोधनशालाएं कई कारणों से अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रही है इन कारणों में कोयले तथा मिडलिंग्स की बड़ी मात्रा में ढुलाई के लिए अपेक्षित संख्या में रेल के डिब्बों की अनुपलब्धि भी शामिल है।

(ख) कोयला शोधनशालाओं से मिडलिंग्स तथा शोधित कोयले की नियमित ढुलाई सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित अभिकरण आपस में सतत् सम्पर्क बनाये हुए है।

गुजरात में भारी उद्योग कारखानों की स्थापना

2299. **श्री बेकारिया :** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में भारी उद्योग कारखानों की स्थापना के लिये कोई आवेदन-पत्र मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6356/74**]

गुजरात को सप्लाई किया गया इस्पात

2300. **श्री बेकारिया :**
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य को वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान उद्योगवार इस्पात का कितना कोटा सप्लाई किया गया ;

(ख) क्या जितना इस्पात सप्लाई किया गया वह उनकी आवश्यकता से बहुत कम है ; और

(ग) क्या सरकार यह कोटा बढ़ाने पर विचार करेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) : वर्तमान नीति के अन्तर्गत इस्पात के कोटे नही दिए जाते है और राज्यवार तथा उद्योगवार आबंटन भी नहीं किए जाते है।

गुजरात के जुनागढ़ जिले में परिवार नियोजन केन्द्र

2301. **श्री बेकारिया :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के जुनागढ़ जिले में कितने परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित किये गये हैं ;

(ख) वर्ष 1973-74 के लिये प्रत्येक केन्द्र के लिए परिवार नियोजन अभियान हेतु कुल कितनी राशि निर्धारित की गई ;

(ग) कितनी राशि खर्च की गई ; और

(घ) अब तक क्या परिणाम निकला ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Improvements In Indo-Egyptian Relations

2302. **Shri Bhagirath Bhanvar** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether the relations between India and Egypt have improved further;

(b) if so, the nature and extent thereof ; and

(c) whether India has discussed the question of danger on its borders?

The Minister of State in The Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) & (b): Relations between India and the Arab Republic of Egypt have always been close and friendly in all spheres. Close contacts have been maintained between the two countries in matter of common intrest and there are commercial and cultural agreements as well as an agreement for cooperation in the field of science and technology. The last Trade Plan for the period October, 1972 to the September 1973 achieved a total trade both ways of Rs.60 crores. A three-year Cultural Exchange Programme was signed between India and Egypt in March 1973 under the Indo-Egyptian Cultural Agreement.

The recent visit of President Sadat to India on February 24-25, 1974, was further evidence of the close and friendly ties between the two contries and provided an opportunity to the leader of Egypt and India to exchange views on all matters of mutual interest particularly with a view to further intensifying our cooperation in all fields.

(c) No, Sir.

कृषि श्रमिकों के लिये एक समान मजूरी नीति

2303. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि श्रमिकों के लिए एक समान मजूरी नीति बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख): कृषि श्रमिकों की मज़दूरियां अधिकांशत: न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के अधीन निर्धारित की जाती है। तमिलनाडु, पांडीचेरी और केरल में कृषि श्रमिकों की मज़दूरियों के निर्धारण कर सकने के लिए विशेष कानून भी बनाए गए है। कृषि में रोजगार अधिकांशत: राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है और समय समय पर केन्द्रीय सरकार उन्हें सलाह देती रहती है कि वे जीवन निर्वाह मूल्य में हुई वृद्धि और अन्य सम्बद्ध कारणों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत मज़दूरी की पुनरीक्षाओं संबंधी लम्बित कार्यों को पूरा करें।

बम्बई में कपड़ा श्रमिकों की यूनियनें

2304. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में कपड़ा श्रमिकों की सभी यूनियनें मान्यता प्राप्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : महाराष्ट्र में कपडा उद्योग के मज़दूर संघों को मान्यता देना, बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम के उपबन्धों के अधीन शासित होता है और इस हैसियत से यह मामला अनिवार्य रूप से राज्य के कार्य क्षेत्र में आता है।

एल्यूमिनियम उद्योग की बिजली सम्बन्धी समस्या के बारे में समिति

2306. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री आर० बी० स्वामीनाथन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एल्यूमिनियम उद्योग की बिजली सम्बन्धी समस्या की जांच करने हेतु एक समिति गठित करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) निर्णय शीघ्र हो जाने की संभावना है।

लाहोर में हुआ इस्लामी सम्मेलन

2307. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री वी० मायावन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 फरवरी, 1974 को लाहौर में हुए इस्लामी सम्मेलन में भाग लेने हेतु भारत को आमंत्रण मिला था ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने आमंत्रण स्वीकार नहीं किया ; और

(ग) वह आमंत्रण स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्रमिक अशांति

2308. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
सरदार मोहिन्दर सिंह गिल :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में श्रमिक अशांति फिर से व्यापक आधार पर फैल रही है ;

(ख) श्रमिक विवादों की संख्या बढ़ रही है और अधिक श्रमिक विवाद हिंसात्मक रूप ले रहे हैं ;

(ग) क्या हिंसात्मक घटनाओं में वृद्धि को कुछ सीमा तक अन्तः यूनियन प्रतिद्वन्द्विताएं कहा जा सकता है ; यदि हां, तो यह कहां तक सच है ;

(घ) क्या कुछ उद्योगों में वेतन बढ़ते जीवन निर्वाह व्यय से कम रह गए हैं ; और

(ड) क्या इसके परिणामस्वरूप श्रमिक अशांति उत्पन्न हुई है और औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ है ; यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ङ): औद्योगिक विवाद और काम रोध सभी लोकतंत्रवादी औद्योगिक समाजों के सामान्य लक्षण रहे हैं ; और भारत कोई अपवाद नहीं है । देश की वर्तमान आर्थिक परिस्थिति विशेषकर जीवन निर्वाह मूल्य में तीव्र वृद्धि और उसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में हुई कमी ने औद्योगिक सम्बन्ध स्थिति पर कड़े दबाव डाले हैं ; यूनियनों की बहुलता और यूनियनों के बीच प्रतिद्वन्द्वताएं भी औद्योगिक सम्बन्धों पर प्रभाव डालने वाले कारण रहे हैं ; सरकार का यह लगातार प्रयास रहा है कि विवादों की रोकथाम और उनके निपटान संबंधी कार्य-पद्धतियों और तंत्र को दोषरहित बनाया जाए ताकि मधुर औद्योगिक सम्बन्धों और निर्बाध उत्पादन को बढ़ावा मिले ।

Loss of Production Due To Coal Shortage in Public Sector Factories

2309. **Shri B. S. Chowhan** : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) whether production in some big public sector factories is badly affected due to coal shortage; and

(b) if so, the names thereof and the amount of loss likely to be suffered by them?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh):

(a) Production in some public sector factories under the Ministry of Heavy Industry has been adversely affected on account of shortage of coal.

(b) (1) Heavy Engg. Corporation Ltd., Ranchi (2) Mining & Allied Machinery Corporation Ltd., Durgapur (3) Tungabhadra Steel Products Ltd., Tungabhadra (4) Braithwaite & Co. Ltd., Calcutta (5) Gresham & Craven of India Ltd., Calcutta. Most of the Units are also indirectly affected due to coal shortage since it adversely affects the availability of steel and power. It has not been possible to quantify precisely the direct and indirect effects on the production due to coal shortage.

Creation of Posts of Assistant Commandant in Indian Army

2310. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the date when the post of Assistant Commandant was created in the Indian Army indicating the units where it was created;

(b) the nature of salaries and other facilities provided to them; and

(c) whether the salaries and other facilities provided to them are at par with that provided to the persons holding the posts equivalent to it?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) There are no posts of Assistant Commandants in the Army.

(b) and (c) Do not arise.

कोरबा एल्यूमिनियम प्रद्रावक संयंत्र

2311. **श्री ई० वी० विखे पाटिल : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरबा एल्यूमिनियम प्रद्रावक संयंत्र का निर्माण कार्य समय तालिका से पीछे चल रहा है; यदि हां, तो उसके क्या कारण है और अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) किन-किन प्रमुख ठेकेदारों/सरकारी अथवा अर्ध सरकारी संगठनों को संयंत्र के निर्माण को पूरा करने का कार्य सौंपा गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) कोरवा एल्यूमिनियम प्रद्रावक संयंत्र का निर्माण कार्य सामान्यतः निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार चल रहा है। यद्यपि सीमेंट पुनर्वलन इस्पात तथा अन्य दुर्लभ निर्माण सामग्री की पूर्ति के अभाव के कारण कुछ क्षेत्रों में बाधा पड़ी है। परन्तु, बेकार गए समय को कार्यक्रम की अवधि को कम करके पूरा किया जा रहा है ताकि संयंत्र का निर्माण और शुभारंभ निर्धारित अनुसूची के अनुसार हो सके।

(ख) कोरवा एल्यूमिनियम प्रदावक संयंत्र को पूरा करने के लिए जिम्मेदार मुख्य ठेकेदारों के नाम और पते संलग्न विवरण में किए गये हैं।

विवरण

(क) सिविल कार्य—

1 मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील वर्कस् कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड,
(भारत सरकार का उपक्रम)
5/1, कमसरियट रोड, हेस्टिन्ग्स, कलकत्ता-23

2 मैसर्स गैनन डन्करले एण्ड कम्पनी,
ए-4 मथुरा रोड, जंगपुरा-ए,
नई दिल्ली-14

3 मैसर्स सीमेंटेशन कम्पनी लिमिटेड,
पो०ओ० बॉक्स, 11006, स्टीलक्रीट हाउस,
दिनशावाचा रोड, बम्बई-20

4 मैसर्स रेडिओ फांउडेशन इंजीनियरिंग लि०,
एण्ड हजरत एण्ड कम्पनी,
254-डी, डा० एनीबेझंट रोड,
वँड बाक्सा हाउस, बम्बई-25 डी डी

(ख) यांत्रिक कार्य—

5 मैसर्स हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन,
(भारत सरकार का उपक्रम)
डाकखाना धुरवा,
रांची (बिहार)

6 मैसर्स मुकन्द आइरन एण्ड स्टील वर्क्स लि०,
लाल बहादुर शास्त्री मार्ग,
कुरला, बम्बई-400070

7 मैसर्स वेस्टर्न मैकेनिकल इण्डस्ट्रीज, (प्रा)० लि०,
इण्डस्ट्रीज मैनर,
बंगाल कैमिकल्स के सामने,
प्रभादेवी, बम्बई-400025 डीडी

8 दी मद्रास एल्यूमिनियम कम्पनी लि०,
जयलक्ष्मी, रेसकोर्स,
कोयम्बटूर (तमिलनाडु)

9 मैसर्स बैंको एल्यूमिनियम लि०,
पो० बाक्स 169, बड़ोदा, गुजरात

6—5 LSS (ND)/74

10 मैसर्स हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कम्पनी लि०,
डाकखाना रेनुकोट,
जिला मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)

11 मैसर्स किरलोस्कर पेन्युमेटिक कम्पनी लि०,
हाडपसर इण्डस्ट्रियल एस्टेट, पूना-13

(ग) **विद्युत् कार्य—**

12 मैसर्स हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०,
(भारत सरकार का उपक्रम)
पहले मैसर्स हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि०,
डाकखाना पिपलानी, भोपाल (मध्य प्रदेश)

13 मैसर्स इंस्टुमेंटेशन लि०,
(भारत सरकार का उपक्रम)
कोटा-5 (राजस्थान)

14 मैसर्स एनजी एफ लि०,
(मैसूर सरकार का उपक्रम)
पो० बाक्स 3876,
बंगलौर-560038

15 मैसर्स बजाज इलैक्ट्रिकल्स लि०,
15-17, विक्टोरिया रोड,
माझगांव,
बम्बई-400010 (डीडी)

16 मैसर्स फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज लि०,
31, चौरंगी रोड,
कलकत्ता-1

17 मैसर्स इंडियन केबुल्स लि०,
9, हेयर स्ट्रीट, कलकत्ता-1

(घ) **परामर्श—**

18 मैटलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टैंटस् लि०,
(भारत सरकार का उपक्रम)
डाकखाना हिनू,
रांची-1

19 राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम,
(भारत सरकार का उपक्रम)
चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली-1

गर्भ-निरोधक वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री पर खर्च हुई राशि

2312. श्री ई० वी० विखे पाटिल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने गर्भ-निरोधक वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री पर कुल कितनी राशि खर्च की है ;

(ख) क्या ग्रामीण जनता ने गर्भ-निरोधक वस्तुएं उत्साहपूर्वक प्राप्त की है ;

(ग) क्या देश के कतिपय समुदाय गर्भ-निरोधक वस्तुओं तथा परिवार नियोजन के अन्य उपायों को स्वीकार करने में हिचकिचा रहे हैं ; और

(घ) क्या जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर का मूल्यांकन करने की कोई व्यवस्था है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) सरकार ने निरोध (कण्डोम) बनाने के लिए हिन्दुस्तान लैटक्स लिमिटेड नामक एक सरकारी उपक्रम स्थापित किया है तथा उस पर 106 लाख की कुल पूंजी लगाई गई है ।

सितम्बर, 1968 में निरोध-व्यावसायिक वितरण योजना आरंभ होने से ले कर जनवरी, 1974 तक करीब 31.90 करोड़ निरोध बेचने पर कुल 362 लाख रुपये खर्च किये गये हैं ।

(ख) जी हां । 1972-73 तथा 1973-74 (अप्रैल-नवम्बर, 1973) के दौरान 'निःशुल्क वितरण योजना' के अन्तर्गत बांटे गए निरोध के आंकड़ों के आधार पर देश के कुल वितरण का करीब 75.0 प्रतिशत वितरण ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ ।

(ग) जी नहीं । बड़ौदा के आपरेशन्स रिसर्च ग्रुप द्वारा 1970-71 में किये गए एक अखिल भारतीय अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि परिवार नियोजन सभी समुदायों द्वारा अपनाया जा रहा है ।

(घ) जी हां । भारत के महा पंजीयक की नमूना पंजीयन योजना में राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर जन्म दरों और मृत्यु दरों का अर्ध-वार्षिक रूप से अनुमान लगाने की व्यवस्था है जिससे जनसंख्या की प्रति वर्ष की वृद्धि-दर का हिसाब लगाया जा सकता है ।

श्रमिकों को भविष्य निधि से अधिक प्रतिलाभ

2313. श्री ई० वी० विखे पाटिल : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्याज की दर में सर्वत्र वृद्धि को देखते हुए, भविष्य निधि जसी निधियों से, जिनका सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है, श्रमिकों को दिया जाने वाला प्रतिलाभ पर्याप्त नहीं है; और

(ख) क्या सरकार ऐसे निवेश से श्रमिकों को अधिक प्रतिलाभ देने पर विचार कर रही है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) यह सही है कि सरकारी प्रतिभूतियों में किये गये निवेश (जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किये गये कुल निवेशों का केवल कुछ प्रतिशत है) पर मिलने वाला लाभ तुलनात्मक रूप से कम है। तथापि, भविष्य निधि के धन के निवेश के पैटर्न की समय-समय पर इस दृष्टि से पुनरीक्षा की जाती है कि अंशदान देने वालों को ब्याज की उच्चतम दर सुनिश्चित हो ।

स्थल सेनाध्यक्ष तथा वायु सेनाध्यक्ष की सेवा-निवृत्ति आयु

2314. **श्री एस० एन० मिश्र :**
श्री एम० एस० पुरती :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्थल सेनाध्यक्ष तथा वायु सेनाध्यक्ष की सेवा-निवृत्ति आयु में परिवर्तन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय जल सेना का आधुनिकीकरण

2315. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जल सेना के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिए क्या धनराशि नियत की गई है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) माननीय सदस्य यह मानेंगे कि इस मामले में आगे सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

विवरण

हमारी नौसेना रक्षा योजना में हमारे पुराने पोतों को, स्वदेशी निर्माण द्वारा अथवा विदेश से प्राप्त कर, उत्तरोत्तर बदलने का प्रवध है। पुराने जहाजों के स्थान पर जो नए जहाज लाए जाते हैं उनमें आधुनिक हथियार और प्रौदयोगिकी आदि का प्रयोग किया गया है। उन कतिपय मामलों में जहाँ जहाज अपने जीवन के अन्त तक नहीं पहुंचे हैं, उनमें आधुनिक/सुधरे हुए हथियारों और उपस्कर की व्यवस्था कर, उन्हें आधुनिक बनाने के लिए उत्तरोत्तर कार्रवाई की जाती है ।

हमारी नौसेना को आधुनिक बनाने के लिए अन्य बातों का मरम्मत और प्रशिक्षण सुविधाओं जैसी अवस्थापना से सम्बंध है ।

इन्हें भी आवश्यकतानुसार अद्यतन आधुनिक बनाया जाता है। पूर्ण रूप से आधुनिकीकरण की योजनाओं का लगातार पुनरीक्षण किया जाता रहता है और उपलब्ध श्रोतों की सीमाओं के अन्दर आवश्यक अग्रताएं दी जाती है ।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को हानि

2316. **श्री राम भगत पासवान :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि यह आरोप लगाया गया है कि भारत कोकिंग कोल कम्पनी लिमिटेड की मई से सितम्बर, 1972 तक की आठ मास की अवधि में 2.58 करोड़ रुपये की हानि हुई और न कि 15 मास की अवधि में यह हानि हुई जैसा कि कुछ समाचार पत्रों में छपे उनके वार्षिक प्रतिवेदन में दावा किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) भारत कोकिंग कोल लि० को 2,57,38,533 रुपये की हानि 8 मास में अर्थात् मई से दिसम्बर 1972 की अवधि में हुई थी। सरकार खानों के अधिग्रहण से पूर्व तथा मई-दिसम्बर 1972 की अवधि के लिये कर्मचारियों की देय राशि, कर्मचारी भविष्य निधि के भुगतान तथा इस प्रकार के अन्य परिनियत दायित्वों, स्वामित्व और उपकर आदि के भुगतान की परिस्थितियों से अवगत है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के कारण विस्थापित हुये व्यक्तियों के पुनर्वास की योजना

2317. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिये भूमि का अर्जन इस बीच पूरा कर लिया गया है ;

(ख) क्या भूमि के अर्जन की प्रक्रिया में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की एक योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) अभी अर्जन कार्य चल रहा है।

(ख) और (ग) विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है, जो इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही आरम्भ करेगी।

Under Utilised Capacity of Public Undertakings

2318. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) the number and names of the public undertakings whose capacity is being under utilised; and

(b) the time by which their capacity will be fully utilised ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : (a) The following public sector undertakings under the Ministry of Heavy Industry have not attained their full installed capacity :—

(1) Heavy Engineering Corporation Ltd. (HEC)

(2) Mining and Allied Machinery Corporation Ltd. (MAMC).

(3) Triveni Structurals Ltd. (TSL).

(4) Bharat Heavy Plate and Vessels Ltd. (BHPV).

(5) Hindustan Machine Tools Ltd. (HMT)

(6) Machine Tools Corporation of India Ltd. (MTCI)

(7) Gresham and Craven of India Ltd.

(8) Braithwaite & Co. (India) Ltd.

(9) Jessop & Co. Ltd.

(10) Burn and Co. Ltd.

(11) Indian Standard Wagon Ltd. (ISW)

(12) Richardson and Cruddas (1972) Ltd.

(b) A number of measures have been taken or initiated to improve on the utilization of the capacity of these units. MTCI have started production only recently. Some others have been taken over by Govt., only in the recent past as they were sick units and it would take time to build up their production to the desired level. The gestation period for the heavy engineering units is also long. Nevertheless a 50% increase in the production of the Heavy Engineering Units in the public sector under the purview of this Ministry has been achieved during the period April, 1973 to January, 1974 as compared to the corresponding period in the last year. A further in crease of about 25% in production is aimed at during 1974-75 as compared to the current year. Increased utilisation of the capacity of these units is, however, dependent on timely inflow of orders in their profile of manufacture, the desired standardisation, timely availability of raw materials particularly steel, availability of wagons for transport and continued harmonious labour relations. Yet another serious constraint has been the adequate availability of power. It is, therefore, not possible to indicate the time by which the capacity of the above units will be fully utilized.

Export of Iron Ore to Japan

2319. Shri M. C. Daga :
Shri S. R. Damani :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether 80 million tonnes of iron ore was to be exported to Japan till the 31st March, 1972 from Kiriburu and Bailadila; and

(b) if so, the quantity of iron ore exported within the specified period and in case less quantity of iron ore was exported, the reasons therefor and the steps taken to supply it?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) and (b) The supply of 80 million tonnes of iron ore to Japan from Kiriburu and Bailadila iron ore mines is to be completed upto 30-4-1980, and not 31-3-1972.

Increase in number of Cats, Rats and Dogs in the Country

2320. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the number of dogs, rats and cats are increasing day by day and is creating a health hazard in the country; and

(b) whether Government would take measures to check the increasing population of dogs, cats and rats?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) and (b) The requisite information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Defence Assistance to Afro Asian Countries by India

2321. Srhi M. C. Daga : Will the Minister of **Defence** be pleased to state the nature of assistance provided by the Government of India to their friendly Afro-Asian countries on their request during the year 1972-73 for their defence needs and mobilisation of necessary resources indicating the names of those countries and the expenditure Government had to to incur thereon ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : It is the policy of the Government of India to assist friendly Afro-Asian countries in their efforts for building up their defence infra-structure, to the extent possible. During 1972-73, training facilities were extended to their personnel by allowing them training in our Defence Training Establishments as also by deputing suitable instructors, at their specific requests. We also endeavoured to meet request received from certain countries for supply of stores and equipments on commercial terms. It will not be in public interest to disclose any further details.

हड़तालों और तालाबंदियों को रोकने के विधेयक का प्रारूप

2322. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हड़तालों और तालाबंदियों पर रोक लगाने के विधेयक का प्रारूप अनेक मंत्रालयों में परिचालित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) जी हाँ। यथा-संभव, कानून को व्यापक बनाने का प्रस्ताव है ।

मच्छरों पर नियंत्रण

2323. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पश्चिम जर्मन दूतावास के बुलेटिन में एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें यह दावा किया गया था कि दिल्ली में मच्छरों पर नियंत्रण करने के लिये करोड़ों रुपयों की लागत का परीक्षण, जिस में मच्छरों की प्रजनन शक्ति को रासायनिक पदार्थ की प्रक्रिया से निष्प्रभावित किया गया था, असफल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर यह दावा किया गया है ;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् और विश्व स्वास्थ्य संगटन ने दिल्ली में पश्चिम जर्मन दूतावास के बुलेटिन के इस दावे को अस्वीकार किया था ; और

(घ) यदि हां ; तो उसके तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) एक फरवरी, 1974 के फैड्रल रिपब्लिक आफ जर्मनी के बुलेटिन जर्मन न्यूज़ के खण्ड 16 संख्या 2 में एक लेख अवश्य छपा था ।

(ख) प्रसंगाधीन लेख कोई वैज्ञानिक दस्तावेज नहीं है, अलबत्ते उसमें मच्छरों की उत्पत्ति नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन/भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के अनुसंधान एकक द्वारा एकत्र की गई सामग्री को प्रस्तुत किया गया है और उस पर विचार विमर्श किया गया है। अब तक अप्रकाशित इस सामग्री पर विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है और प्राप्त प्रारम्भिक निष्कर्ष इस लेख में व्यक्त विचारों का, जो एक वैज्ञानिक के विचार हैं, समर्थन नहीं करते हैं।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् की यह परियोजना एक मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में नहीं चलाई गई थी बल्कि वह उत्पत्ति पर नियंत्रण पाने की विधियों की व्यावहार्यता का पता लगाने की एक अनुसंधान परियोजना थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विशाखापत्तनम में रूसी नौसैनिक अड्डा होने का कथित समाचार

2324. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम देशों की सरकारों और समाचार एजेंसियों द्वारा लगाये गए इस आरोप की ओर दिलाया गया है कि भारत ने रूस को विशाखापत्तनम और अन्य स्थानों पर नौसैनिक अड्डा बनाने की अनुमति दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इन रिपोर्टों का कोई आधार नहीं है। भारत सरकार की घोषित नीति के अनुसार, किसी विदेशी शक्ति को अड्डे की सुविधाएं देने का प्रश्न ही नहीं उठता। सोवियत संघ नें ऐसी सुविधा नहीं मांगी है और न हमने किसी अड्डे की सुविधाएं ही दी हैं।

Malaria/Cancer/Filaria Cases in the Country

2326. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of Malaria, Cancer and Filaria cases every year in the country; and

(b) the measures being taken or likely to be taken by Government to check these diseases and for their treatment?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) Malaria, Cancer and Filaria are not notifiable diseases. However, the incidence of Malaria in the country during the last five years and the reported number of cases of Cancer and Filaria, according to the information available, from 1969 onwards are given below :—

Year	Malaria	Cancer	Filaria
1969	3,48,647	47,950	48,035
1970	6,94,647	49,423	30,307
1971	13,23,118	33,356	51,299
1972	13,62,806	Not available	85,111
1973 (upto Nov. '73)	13,87,385	Not available	Not available

(b) A statement showing the informaton is enclosed.

STATEMENT

Malaria

The National Malaria Eradication Programme has been made a Centrally Sponsored Scheme with 100% Central assistance during the Fourth Plan period. Under this scheme the operational cost over and above the committed level of expenditure is borne by the Government of India. Cost of material and equipment supplied to States is also borne by the Government of India in respect of units in the Attack and Consolidation phases. Partial assistane is also given to meet the expenditure on staff at Headquarters/Zonal level in the States.

2. In areas which have entered into Maintenance phase, 100% Central assistance is given for strengthening the Basic Health Services.

3. Steps have been taken to procure, in advance, insecticides for supply in time to various States for spray operations.

4. The old and unserviceable vehicles in Attack and Consolidation phase units are being replaced by new vehicles in a phased manner during the Fourth Plan period.

5. Adequate quantities of insecticides and antimalaria drugs are being supplied to States for spray operations and chemotherapeutic measures.

6. Alternate insecticides like BHC and Malathion are being substituted in areas where the mosquito vector has developed resistance to D.D.T./B.H.C.

7. Special investigations are being undertaken in persistent transmission areas.

8. The Urban Malaria Scheme under the ambit of National Malaria Eradication Programme has been launched in towns where Malaria was a serious problem, with effect from 1971-72, as a Centrally Sponsored Scheme as per approved pattern. The scheme is being implemented in 28 towns during the Fourth Plan period.

Cancer

The treatment of cancer is being carried out in the country at the following cancer institutes and cancer hospitals:—

1. Tata Memorial Hospital and Cancer Research Institute, Bombay.
2. Gujarat Cancer Research Institute, Ahmedabad.
3. Cancer Centre of the Safdarjang Hospital, New Delhi.
4. J. K. Institute of Radiology and Cancer Research, Kanpur.
5. Chittaranjan Cancer Research Centre and Hospital, Calcutta.
6. Cancer Wing of Sriram Chandra Bhang Medical College & Hospital, Cuttack.
7. Cancer Institute (W.I.A.), Adyar, Madras.
8. Radium Institute and Medical College, Trivandrum.
9. International Cancer Centre, Neyyoor.

In addition, the treatment of cancer is also being done in the various departments of surgery and radiotherapy in the various medical colleges which are well equipped.

A Cancer Assessment Committee to consider establishment of Regional Cancer Centres in the country was also set up by the Ministry of Health in 1972. The recommendations made by this committee in its report are being processed by the Government of India.

The Government of India is also giving grant-in-aid for reasearch work in cancer.

Filaria

National Filaria Control Programme has been made a Centrally Sponsored Scheme during the Fourth Five Year Plan. 100% Central assistance is given to States for operational costs besides free supply of material and equipment for anti-larval operations. Detection and treatment of Filaria cases/carriers is also being undertaken in the Filaria endemic regions under 'Medical Case Programme'.

Short-term Training Courses are organised at the National Institute of Communicable Diseases to impart knowledge to Municipal Commissioners/Public Health Administrators about the genesis of mosquitoes, their role in transmitting the filarial infection and available methods to prevent/control of disease.

Research is also being carried out by the National Institute of Communicable Diseases to find out new and more effective methods to control transmission of the disease.

Iron Ore Deposits in Madhya Pradesh

2327. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether sufficient deposits of iron-ore have been found in Manasa, District Mandsaur, and near Chokri, Kanjari and other villages of Rampur Plateau of Madhya Pradesh;

(b) whether any survey had been conducted in this regard in the past; and

(c) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) Small and minor occurrences of iron ore have been reported from parts of Mandsaur District.

(b) Directorate of Geology and Mining Madhya Pradesh conducted survey in part of this region in 1964-65 field season.

(c) The results are not encouraging as the occurrences are minor and grade variable.

Central Gratuity Fund

2328. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**
Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of **Labour** be pleased to state the action taken so far in regard to the decision taken on the 24th November last in the Twenty-fourth Conference of Labour Ministers for the creation of a 'Central Gratuity Fund' for employees?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : As recommended by the Labour Minister's Conference held in November, 1973, a Committee has been appointed to consider the question of setting up a Central Gratuity Fund. The Committee's report is awaited.

चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों की दैनिक मजूरी

2329. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में चाय बागान उद्योग के एक श्रमिक की दैनिक मजूरी विश्व में सब से कम है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार चाय बागान के श्रमिकों के मजूरी ढांचे को पुनरीक्षित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का है तो वह क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) इस प्रकार की तुलनाएं नहीं की गई हैं क्योंकि वे अर्थपूर्ण नहीं हैं। उस कार्रवाई से अलग, जो कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी की न्यूनतम दरों को सामयिक रूप से संशोधन करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा की जा सकती है, चाय उद्योग में श्रमिकों की मजदूरी द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय वार्ताओं के परिणाम स्वरूप भी तय की जाती है।

डालमिया नगर स्थित रोहतास इण्डस्ट्रीज कम्पलेक्स में कर्मचारियों की हड़ताल के कारण उत्पादन में हानि

2330. श्री जगन्नाथ मिश्र :
श्री एम० एस० पुरती :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डालमिया नगर स्थित रोहतास इण्डस्ट्रीज कम्प्लेक्स के कर्मचारियों द्वारा लम्बी हड़ताल के कारण केन्द्रीय तथा राज्य के राजस्व के रूप में बिहार को कितनी हानि हुई है ; और

(ख) क्या कर्मचारियों से बातचीत करने के बाद सरकार ने इस समस्या का कोई स्थायी हल ढूंढ लिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) यह विवाद अनिवार्य रूप से राज्य के क्षेत्र में आता है और सूचना उपलब्ध नहीं है; तथापि, मालूम हुआ है कि बिहार राज्य के श्रम मंत्री के हस्तक्षेप पर हड़ताल वापस ले ली गई है।

वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन

2331. श्री अरविन्द एम० पटेल :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन कर रही कम्पनियां कौन-कौन सी हैं ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार तथा कारखानावार कितने वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन किया गया ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) आवश्यक जानकारी निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	फर्म का नाम	निर्माण की गई गाड़ियों की संख्या		
		1971	1972	1973
1	मे० टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड, जमशेदपुर . . .	24,654	22,441	23,107
2	मे० अशोक लीलेंड लिमिटेड, मद्रास . .	5,456	4,244	5,659
3	मे० प्रिमीयर आटोमोबाइल्स लिमिटेड, बम्बई .	4,572	3,489	4,041
4	मे० हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, उत्तर पलड़ा, जि० हुगली, प० बंगाल . . .	1,609	1,547	2,324
5	मे० बजाज टेम्पो लिमिटेड, पूना . .	3,322	3,416	5,005
6	मे० महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड, बम्बई .	922	911	1,299
7	मे० स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लिमिटेड, मद्रास	330	1,418	965

लैटिन अमरीकी देशों में भारतीय मिशन और भारत में लैटिन अमरीकी देशों के मिशन

2332. **श्री डी० पी० जडेजा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लैटिन अमरीकी देशों में 31 दिसम्बर, 1973 को भारत के कितने मिशन कार्य कर रहे थे और वे किन-किन स्थानों पर थे ; और

(ख) भारत में लैटिन अमरीकी देशों के कुल कितने मिशन थे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) लातीनी अमरीका तथा कैरिबियाई देशों में 11 रिहायशी भारतीय मिशन हैं। ये मिशन जिन जगहों में हैं, वे इस प्रकार हैं : बुआनोस आइ-रेस (अर्जन्तीना), सांतियागो (चिली), ब्रासीलिया (ब्राज़ील), हवाना (क्यूबा), लिमा (पेरू), बोगोता (कोलम्बिया), कैराकस (वेनेजुला), जार्जटाऊन (गियाना), पोर्ट-आफ स्पेन (ट्रिनिडाड एंड टोबागो), पनामा सिटी (पनामा), और मेक्सिको सिटी (मैक्सिको)। इसके अलावा, 20 देश ऐसे हैं जहां समवर्ती प्रतिनिधित्व है और रिहायशी प्रतिनिधि नहीं हैं।

(ख) जिन लातीनी अमरीका और कैरिबियाई देशों के दिल्ली में रिहायशी प्रतिनिधि हैं, उनकी संख्या 12 (बारह) है।

खान में काम करने वाले श्रमिकों को जीवन बीमा और महिला श्रमिकों को प्रसूति सुविधायें

2333. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खानों के अन्दर काम करने वाले श्रमिकों का जीवन बीमा करने की व्यवस्था की है ; और

(ख) क्या महिला श्रमिकों को प्रसूति के समय तथा उससे पहिले और बाद में उचित सुविधाएं मिलती है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971, जो कोयला खानों में ऐसे श्रमिकों पर लागू होती है, जो कोयला खान भविष्य निधि के सदस्य हैं, सदस्य के सेवा में रहते हुए मर जाने की सूरत में परिवार पेंशन और जीवन बीमे के लाभ की व्यवस्था करती है।

(ख) प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961, जो खानों सहित कतिपय प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म से पूर्व और बाद की कतिपय अवधियों के लिए प्रसूति और अन्य लाभ प्रदान करने की व्यवस्था करता है।

पत्तन कर्मचारी मंडल के लिपिक और पर्यवेक्षी कर्मचारियों को अनुग्रहात बोनस अदायगी

2334. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

कलकत्ता, विशाखापत्तनम, मद्रास, कोचीन और मरमागाओ के पत्तन श्रमिक मंडल के लिपिक और पर्यवेक्षी कर्मचारियों को ऐसे ही अन्य पत्तन श्रमिक मंडलों के बराबर अनग्रहात बोनस अदायगी न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : जबकि पंजीकृत और सूचीबद्ध गोदी श्रमिकों को बोनस, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन उनके और उनके नियोजकों के बीच हुए पारस्परिक समझौतों के अन्तर्गत निर्धारित दरों पर दिया जाता है, गोदी श्रमिक बोर्डों के कर्मचारिवर्ग को बोनस के स्थान पर अनुग्रह-पूर्वक भुगतान, पत्तन कर्मचारियों को लागू दरों पर, किया जाता है।

गुजरात और अन्य राज्यों के उद्योगों के लिए कोयलें की कमी

2335. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोयले की कमी के कारण गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगभग 2500 छोटे इंजीनियरिंग कारखानें तथा पश्चिम बंगाल के बहुत से उद्योग पूर्णतया या आंशिक रूप से बंद हो गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो जिन कारखानों पर प्रभाव पड़ा है उन्हें कोयला सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) 1973 में कोयले का उत्पादन पिछले किसी भी वर्ष की तुलना में अधिक हुआ है। परन्तु हाल के महीनों में देश के विभिन्न उपभोक्ता उद्योगों को कोयला पहुंचाने पर अंशतः रेल कर्मचारियों द्वारा उत्पन्न संकट का तथा अंशतः बिजली घरों और इस्पात संयंत्रों को वैगनों के आबंटन में प्राप्त उच्च प्राथमिकता का प्रभाव पड़ा है जिसके फलस्वरूप अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता प्राप्त उपभोक्ताओं को कोयले की कमी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ कोयला उत्पादक संगठनों द्वारा कोयले का उत्पादन बढ़ाने हेतु तथा दूसरी ओर रेलवे द्वारा विभिन्न उद्योगों को कोयले की ढुलाई बढ़ाने के लिए किए जा रहे समन्वित प्रयासों के अतिरिक्त राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे चुने हुए स्थानों पर कोयले की टालें स्थापित करें तथा विभिन्न उपभोक्ताओं को सहकारी या अन्य एजेंसियों की मार्फत इन टालों से कोयला सप्लाई करें।

न्यूनतम मजूरी के सम्बन्ध में भारतीय श्रमिक सम्मेलन की सिफारिशें

2336. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **श्रम** मंत्री न्यूनतम मजूरी के सम्बन्ध में भारतीय श्रमिक सम्मेलन की सिफारिशों के बारे में 13 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4634 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह समझती है कि तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई 196 रुपये की न्यूनतम मजूरी वर्ष 1957 में आयोजित पंन्द्रहवें भारतीय श्रमिक सम्मेलन में सिफारिश की गई न्यूनतम मजूरी के अनुरूप है ; और

(ख) क्या सरकार यह समझती है कि तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई 196 रुपये की न्यूनतम मजूरी कृषि श्रमिकों सहित देश में प्रत्येक श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ख) इस मामले का तृतीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के भाग 1 के अध्याय 6 में पूरा ब्यौरा दिया गया है। आयोग ने सिफारिश की है कि पूर्ण कालिक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी की न्यूनतम मजदूरी उसके रोजगार के आरंभ में 185 रुपये प्रतिमास निर्धारित की जानी चाहिए ; सरकार ने इसे बढ़ाकर 196 रुपये प्रति मास कर दिया है।

इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड द्वारा नौसेना तथा सशस्त्र सेना को विभिन्न प्रकार के गैसों की सप्लाई

2337. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **रक्षा** मंत्री रक्षा उद्देश्य के लिए सप्लाई किए जाने वाले इंडियन आक्सीजन लिमिटेड के उत्पादन के बारे में 29 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2663 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड नौसेना तथा सशस्त्र सेनाओं के गैस सम्बन्धी सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करता है; और

(ख) यदि नहीं, तो स्थल सेना नौसेना तथा वायु सेना, और रक्षा उत्पादन उपक्रमों के गैस सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सप्लायरों के नाम क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) सूचना सहज ही उपलब्ध नहीं है और यह सशस्त्र सेनाओं तथा रक्षा उत्पादन उपक्रमों के विभिन्न संगठनों से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

इलेक्ट्रिकल शीट स्टील का निर्माण

2338. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रिकल शीट स्टील का निर्माण करने की एक परियोजना बनाने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) देश में गर्मबेलित डाइनेमो ग्रेड की वैद्युतिक इस्पात की चादरों के उत्पादन के लिए पहले ही सुविधाएं विद्यमान है । राउरकेला इस्पात कारखाने में ठंडी बेलित ग्रेन ओरियेंटिड वैद्युतिक चादरों के उत्पादनों के लिए सुविधाओं की व्यवस्थाओं करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

Arrears of EPF Due From Tea Plantations in Tamil Nadu

2339. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the number of tea plantation in Tamil Nadu against whom the arrears of Provident Fund are outstanding at present;

(b) the amount outstanding against each of them; and

(c) the measures being taken by Government to realise the same from them and the names of those tea plantation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : The Provident Fund Authorities have reported as under :—

(a) There are 17 tea plantations/tea estates in Tamil Nadu against whom the arrears of provident fund are outstanding as on 31-12-1973.

(b) and (c) A list of such establishments showing the amount outstanding against each of them and the measures being taken to realise the dues from them is enclosed.

Labour Courts in UP and Bihar

2340. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the number of Labour Courts in U. P. and Bihar at present and their locations;

(b) the number of cases that were filed before these courts during the last three years and the number of cases decided and those still pending;

(c) whether some labour unions have demanded the opening of more Labour Courts : if so, the names of those labour unions and the places where these courts have been demanded ; and

(d) the number of districts and Tehsils and the area to which the jurisdiction of one labour court extends and the number of industries having 20 or more workers that come under a court?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b) The Central Government utilises the services of State Government Tribunals/Labour Courts in different States, besides of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Courts set up by it. There are three Central Government Industrial Tribunals-cum-Labour Courts in Bihar located at Dhanbad; none in Uttar Pradesh. So far as these three Central Government Industrial Tribunals-cum-Labour Courts are concerned the information is as follows:—

(i) No. of cases/applications filed during 1-1-1971 to 31-12-1973.	261/913	
(ii) No. of cases/applications disposed of during 1-1-1971 to 31-12-1973.	336/913	(These includes carried forward cases/applications from previous years.)
(iii) No. of cases/applications pending as on 31-12-1973.	90/427	

(c) According to the available information no such demands have been received by the Central Government.

(d) Except for purposes of Section 33C(2) of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Courts have all-India Jurisdiction. So far as Section 33 C (2) is concerned, the jurisdiction of three Courts in Bihar is as follows:—

Labour Court (No. 1) Dhanbad:—The Districts of Purnea, Saharsa, Samastipur, Modhubani, Darbhanga and Dhanbad excluding the Sadar Sub-division but including the Baghmara sub-division in the State of Bihar.

Labour Court (No. 2) Dhanbad:—The Districts of Ranchi, Singhbhum, Palamau, Bhojpur, Rohtas, Saran, Siwan, Champaran East, Champaran West, Muzaffarpur, Vaishali, Sitamarhi in the State of Bihar.

Labour Court (No 3) Dhanbad:—The Districts of Gaya, Aurangabad, Nawadah, Monghyr, Bagusarai, Patna, Nalanda, Santhal Paragana, Bhagalpur, Hazaribagh, Giridih and the Sadar Sub-Division of the Dhanbad District in the State of Bihar.

It may be mentioned that Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur has been given jurisdiction under Section 33 C(2) over the whole State of Uttar Pradesh also.

साइक्लोमेट का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव

2341. **श्री के० एस० चावड़ा : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साइक्लोमेट का स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव के बारे में सरकार को किसी समाचार का पता चला है अथवा उसने स्वयं इस सम्बन्ध में कोई जांच करवाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कोका कोला सहित विदेशी सहयोग से बनने वाले अनेक शीतल पेयों (सॉफ्ट ड्रिंक्स) में साइक्लोमेट मिला होता है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जापान जैसे अनेक विदेशों ने शीतल पेयों (सोफ्ट ड्रिंक्स) में साइक्लोमेट के प्रयोग पर रोक लगा दी है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का यहां भी ऐसा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) 1969 में ऐसी सूचनायें मिली कि साइक्लोमेट्स से जिनका कृत्रिम-मिठास के लिये अत्याधिक प्रयोग किया जाता है, कैंसर पैदा होने का संदेह रहता है ।

(ख) देश में बने शीतल पेयों में जिनमें कोका-कोला भी सम्मिलित है, साइक्लोमेट्स का प्रयोग नहीं किया जाता ।

(ग) जी हां ।

(घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन भारत में शीतल-पेयों एवं अन्य खाद्यान्नों में साइक्लोमेट्स का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है ।

महाराष्ट्र के रत्नगिरी में एल्यूमिनियम परियोजना के लिए पांचवीं योजना में धन का आवंटन

2342. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र के (रत्नगिरी) में सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले एल्यूमिनियम परियोजना के लिए कोई धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई है ; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) कुल अनुमानित लागत 78.25 करोड़ रुपए के विपरीत 50 करोड़ रुपए।

(ग) यदि कार्यान्वियन के लिए अपेक्षित पूरी धनराशि प्राप्त हो गई तो मंजूरी की तारीख से पांच वर्षों के भीतर परियोजना के पूरा हो जाने की आशा है ।

वर्ष 1972-73 में भारतीय मिशनों पर हुआ व्यय

2343. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंदन स्थित हमारे उच्च आयोग और पैरिस, न्यूयार्क, मास्को, वार्सा और बेलग्रेड के हमारे दूतावासों पर वर्ष 1972-73 में कुल कितना व्यय हुआ ; और

(ख) वर्ष 1972-73 में विदेशों में हमारे दूतावासों के कितने नए कार्यालय खोले गए ?

बिदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक और बजट निमंत्रण के अन्तर्गत निम्नलिखित मिशनों पर हुआ व्यय :

	मिशन का नाम	(लाख रुपयों में)
(क)	भारत का हाई कमीशन, लंदन	122.82
	भारत का राजदूतावास, पेरिस	22.96
	भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क	50.55
	भारत का प्रधान कोंसलावास, न्यूयार्क	30.31
	भारत का राजदूतावास, मास्को	41.10
	भारत का राजदूतावास, वारसा	12.72
	भारत का राजदूतावास, बेल्ग्रेड	11.79

(ख) भारत का राजदूतावास, आबु धाबी
भारत का राजदूतावास, बोगोटा
भारत का राजदूतावास, कतार
भारत का सहायक हाई कमीशन, चटगांव
भारत का कोंसलावास, चियांगमयी

छोटी कार का निर्माण

2344. श्री मुक्तियार सिंह मलिक :
श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में छोटी कार की मांग की अद्यतन स्थिति क्या है ;

(ख) क्या उनमें से किसी फर्मों ने, जिन्हें छोटी कार के निर्माण के लिए आशयपत्र जारी किये गये थे इस सम्बन्ध में कोई प्रगति की है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक छोटी कार निर्माता को कितनी विदेशी मुद्रा की अनुमति दी गई ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार ने कारों का निर्माण करने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना स्थापित करने के प्रस्ताव पर कुछ समय तक कार्यवाही न करने का निश्चय किया है ?

(ख) तीन पार्टियों ने गाड़ी अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, अहमदनगर को परीक्षण हेतु अपनी कारों के आद्य-रुप प्रस्तुत कर दिए हैं । अन्य मामलों में आद्य-रुपों का विकास विभिन्न अवस्थाओं में है ।

(ग) यात्री कारों का निर्माण करने के लिए जिन पार्टियों को आशय-पत्र दिये गये हैं, उनमें से किसी को भी सरकार ने विदेशी मुद्रा की स्वीकृति नहीं दी है ।

श्रमिकों के लिए आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन

2345. श्री मुक्तियार सिंह मलिक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर के श्रमिकों के लिए आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन लागू करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ख) आजकल संगठित क्षेत्र में मजदूरियां सामान्यतया द्विपक्षीय वार्ताओं के द्वारा तय की जा रही है । ऐसी अवस्था में यह संबंधित पक्षों का कार्य है कि वे संबंधित उद्योग की परिस्थितियों के संदर्भ में आवश्यकता पर आधारित मजदूरी के प्रश्न पर विचार करें । इस समय सरकार का देश भर में सभी श्रमिकों के लिए आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मद्रास में लोह अयस्क निक्षेप

2346. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के त्रिवेनामल्ली में बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का निक्षेप तथा परमाणु धातु पाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वहां अनुमानतः कितना लौह अयस्क तथा परमाणु धातु का निक्षेप है ;

(ग) अयस्क से अनुमानतः कितना प्रतिशत कच्चा लोहा तथा परमाणु धातु निकाला जायेगा ; और

(घ) वहां कार्य कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) मद्रास के तिरूवन्नामलाई में अब तक किसी प्रकार के परमाणु खनिजों का पता नहीं चला है । अतः प्रश्न के भाग (ख), (ग) तथा (घ) में परमाणु धातु के बारे में मांगे गए ब्यौरों का सवाल ही नहीं उठता ।

जहां तक तिरूवन्नामलाई के निकट लौह अयस्क का सम्बन्ध है, भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने इन निक्षेपों का पता सब से पहले 1931 में लगाया । हाल ही के वर्षों में, तमिलनाडु खनिज विकास परियोजना ने बड़े पैमाने पर मानचित्रण निशान लगाने, खंदक खोदने और भूच्छेदन कार्य द्वारा व्यापक समन्वेषण किया तथा रासायनिक विश्लेषण और परिष्करण परीक्षणों के लिए क्रमबद्ध नमूने एकत्र किए ।

(ख) तमिलनाडु खनिज विकास परियोजना द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार लौह अयस्क का भण्डार लगभग 1,400 लाख टन (32—40 प्रतिशत) होने की सम्भावना है ।

(ग) राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला द्वारा किए गए परीक्षणों से उत्साहवर्धक परिणाम निकले हैं । 63 प्रतिशत लौह सांद्र उपलब्ध हुए हैं और इन सान्द्रों में 90% से अधिक लोहा है ।

(घ) तमिलनाडु खनिज विकास परियोजना प्राधिकरण ने आस्ट्रेलिया की खनिज विकास प्रयोग-शाला को परीक्षण के लिए काफी नमूने भेजे हैं । इनके परिणामों के आधार पर ही समुपयोजन विधि के बारे में निर्णय किया जायेगा । इस बीच तमिलनाडु खनिज विकास परियोजना द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से आगे का खोज कार्य जारी है ।

रक्षा कर्मचारियों को जीवन बीमा निगम एजेंसी के लिये प्रशिक्षण

2347. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशालय ने 1974-75 के दौरान रक्षा कर्मचारियों को जीवन बीमा निगम एजेंसी के प्रशिक्षण देने के लिये एक योजना तैयार की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) वर्ष 1974-75 में कुल कितने रक्षा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ; और

(घ) उक्त प्रशिक्षण किन श्रेणियों के कर्मचारियों को दिया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वरोजगार के लिए आगे और अवसर बनाने के लिए ।

(ग) लगभग 500 ।

(घ) सेना में जे० सी० ओज०/एन० सी० ओज० और नौसेना तथा वायुसेना में उनके समकक्ष जो अपनी सेवा के अन्तिम वर्ष में हैं ।

भारतीय क्षेत्र में चीन के सीमा बढ़ाने के दाव-पेंच के समाचार

2348. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन द्वारा अतिक्रमण किये जाने के बारे में प्रकाशित समाचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या चीन उस भारतीय क्षेत्र में अपनी सीमा बढ़ाने के लिए दाव-पेंच लगा रहा है जिस पर उससे वर्ष 1959 में बलात कब्जा कर लिया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां । सरकार ने 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में इस तरह की एक खबर देखी है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी सैनिक प्रतिनिधिमंडल की पाकिस्तान यात्रा

2349. श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल में चीन के एक सैनिक दल ने पाकिस्तान की यात्रा की है तथा उस देश के साथ एस० ए० एम० तथा अन्य बढ़िया किस्म के सामान में सहयोग करने के लिए समझौता किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) चीनी सैनिक प्रतिनिधि मंडल को पाकिस्तान की यात्रा की सरकार को जानकारी है परन्तु इसकी पुष्टि करने के लिए अभी तक कोई प्रामणिक सूचना नहीं है कि सैम तथा अन्य आधुनिकतम उपस्कर बनाने के लिए चीन और पाकिस्तान के बीच कोई समझौता किया गया है ।

(ख) पाकिस्तान में हुई सभी सम्बन्धित गतिविधियों पर हमारी रक्षा योजनाओं का पुनरीक्षण करते समय विचार किया जाता है ।

बंगला देश को सहायता

2350. श्री शंकर राव सावन्त : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश को उसके स्वतंत्र होने के बाद ऋणों, राजसहायता, खाद्यान्नों, सीमेंट औषधियों तथा अन्य वस्तुओं के रूप में क्या सहायता दी गई ;

(ख) क्या इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर भारती भार पड़ा है और मूल्य वृद्धि का यह भी एक कारण है ; और

(ग) ऋणों के कब तक चुकाये जाने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) बंगला देश जब से आजाद हुआ है उसके बाद से उसे जितनी वित्तीय सहायता दी गई है अथवा जिसका वचन दिया गया है उसकी कुल राशि 210 करोड़ रुपये है। इस सहायता का ब्यौरा संलग्नक में दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया/ देखिये संख्या एल० टी० 6358/74]**

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने बंगला देश को (क) माल गाड़ी के डिब्बे, रेल के डिब्बे, पम्प आदि जैसी मदों की सप्लाई के लिए 25 करोड़ रु० का विशेष बैंक ऋण और (ख) कपड़ा (लुंगी, साड़ी आदि) खरीदने के लिए अस्थायी तौर पर 365 दिन के लिए 15 करोड़ रुपए तक के बैंक उधार की सुविधा देने का वचन भी दिया है ।

(ख) जी नहीं । चूंकि इस सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली वस्तुएं, देश में इन वस्तुओं के कुल उत्पादन का एक लघु अंश ही होता है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि बंगला देश को जो सहायता दी गई है उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बोझ पड़ा है अथवा कीमतों के बढ़ने की वह कोई बड़ी वजह है ।

(ग) विभिन्न ऋणों की अदायगी की अवधियां संलग्नक के भाग दो में बतायी गई हैं । [**ग्रंथालय में रखी गयी/देखिए संख्या एल० टी० 6358/74**]

Mineral Deposits in Rajasthan

2351. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the names of the places in Rajasthan where there is possibility of finding mineral deposits;

(b) the names of places where the Union Government have conducted any experiments; and

(c) the extent of deposits ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukedev Prasad) : (a) to (c) Apart from the known mineral deposits in Rajasthan there are a number of areas in almost all districts of Rajasthan which may be potential sources of various minerals. Surveys for estimating the mineral resources were carried out and are still being continued in various parts of Rajasthan by Geological Survey of India. The reserves of major mineral deposits estimated so far are as follows :

Mineral	Location/District	Estimated Quantity of Reserves (in million tonnes)
Lead-Zine .	. Udaipur .	119.62
Iron ore .	. Jaipur, Udaipur, Sikar and Jhunjhunu	16.00
Limestone .	. Ajmer, Alwar, Banswara, Bundi Chittorgarh, Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Pali, Nagaur, Jhunjhunu, Udaipur, Sawaimadhopur & Sirohi	7335·55
Dolomite .	. Nagaur, Jodhpur and Pali	101.00
Phosphorite .	. Udaipur and Jaisalmer	48.13
Gypsum .	. Napaur, Bikaner, Jaisalmer Jodhpur, Ganganagar, and Barmer	7103.13
Bentonite .	. Barmer	66.99
China Clay .	. Bikaner, Udaipur, Jaipur and Sikar	8.86
Fire clay .	. Bikaner and Jaisalmer	5·197

Mineral	Location/District	Estimated Quantity of Reserves (in million tonnes)
Fullers Earth .	. Bikaner, Barmer and Jaisalmer	239·34
Barytes	. Alwar and Bundi	75,912 (Tonnes)
Steatite .	. Jaipur, Bhilwara, Udaipur Alwar and Sawai Madhopur	2·475
Pyrhotite	. Sikar	80·54
Vermiculite	Ajmer	4,000 (Tonnes)
Wollastonite	. Pali and Sirohi	62·00
Lignite . . .	. Bikaner	20·30

Production of Nirodh

2352. **Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of nirodh condoms produced during the last one year for family planning; and

(b) whether nirodh condoms are distributed free or they are available on payment only?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondajji Basappa) : (a) About 172 million pieces condoms were produced in the country during 1972-73.

(b) Nirodh is sold commercially as well as supplied free under the Family Planning Programme.

खानों, कारखानों और मिलों के चिकित्सीय रुप से अयोग्य श्रमिकों के सम्बन्धियों को रोजगार के मामले में प्राथमिकता देना

2353. **श्री के० मालन्ना :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खानों, कारखानों और मिलों में काम करने वाले कर्मचारियों को यह रियायत दी है कि यदि उन्हें काम करने के लिए चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उनके पुत्रों, पुत्रियों, पति अथवा सम्बन्धियों को रोजगार मिलना चाहिए जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) **और** (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

यूगोस्लाविया को वैगन सप्लाई करने के समय से वृद्धि

2354. **श्री के० मालन्ना :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तीन प्रमुख वैगन निर्माताओं, ब्रैथवेट, जेसप और टैक्समेको ने वैगन सप्लाई करने के युगोस्लाव ठेके की समयावधि में फिर वृद्धि का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या इस ठेके को पूरा करने में बढ़ते घाटों से पीड़ित होने के कारण वैगन निर्माण उद्योग के लिए ऐसा करना अनिवार्य हो गया है ;

(ग) क्या इस उद्योग पर अनियमित बिजली-सप्लाई और नौवहन सुविधाओं के अभाव का भी बुरा प्रभाव पड़ा है : और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकारी नीति क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मालगाड़ी के डिब्बे बनाने वाले तीन निर्माताओं ने सरकार के पूछने पर चालू डिलीवरी और मूल्यों की शर्तों की सीमा के अन्दर क्रया देशों को पूरा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) सरकार स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुधारात्मक उपाय कर रही है ।

भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स हरिद्वार को हुआ लाभ

2355. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिद्वार स्थित भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स अब लाभ में चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973 में इसे कितना लाभ हुआ ; और

(ग) वर्ष 1972 की तुलना में वर्ष 1973 में उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के हरिद्वार एकक के 1973-74 के अंत तक हानि रहित स्थिति में पहुंच जाने की आशा है । यद्यपि इस वर्ष में कोई लाभ या हानि नहीं होगी, किन्तु रुख से पता चलता है कि आगामी वर्ष में एकक को लाभ होगा ।

(ग) 1973-74 के उत्पादन में 1972-73 के उत्पादन की अपेक्षा लगभग 90%की वृद्धि होने की आशा है ।

पटसन कर्मचारियों की हड़ताल हल करना

2356. **श्री एस० एम० मुखर्जी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, कानपुर तथा अन्य स्थानों में पटसन कर्मचारियों की हड़ताल को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या सम्बन्धित मालिकों अथवा राज्य सरकारों को केन्द्रीय श्रम मंत्री का परामर्श मान्य नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) जूट उद्योग में जिस हड़ताल की धमकि दी गई थी, उसे टालने के लिए कई त्रिपक्षीय विचार विमर्श किए गए। इन विचार विमर्शों के पश्चात आई० जे० एम० ए० आदि के और आई० एन० टी० यू० सी०, एन० एफ० आई० टी० यू० एच० एम० एस० से सम्बद्ध जूट श्रमिकों की तीन यूनियनों के प्रतिनिधियों ने 13 जनवरी, 1974 को कलकत्ता में राज्य औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र के समक्ष एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। सी० आई० टी० यू०, ए० आई० टी० यू० सी०, यू० टी० यू० सी० आदि के नेतृत्व में शेष छः यूनियनों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से इस कारण इन्कार कर दिया कि उससे उनकी मांगों की पूर्ति नहीं होती। श्रमिकों के एक भाग ने 14 जनवरी, 1974 से हड़ताल कर दी। पश्चिम बंगाल में जूट श्रमिकों द्वारा की गई हड़ताल 15 फरवरी, 1974 से हड़ताल समाप्त कर दी गई और रायगढ़ (मध्य प्रदेश) को छोड़ कर अन्य राज्यों में जूट श्रमिकों ने हड़ताल समाप्त कर दी है।

सशस्त्र सेना में कमीशननों के लिये सीधी भर्ती और पदोन्नति के बीच अनुपात

2357. श्री बी० पी० नायक : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि थल सेना, नौसेना और वायु सेना में कमीशन के पद पर सीधी भर्ती और पदोन्नति पाने वालों के बीच अनुपात क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) स्थिति निम्नलिखित है :—

1. **सेना** :—अधिकारियों के कुल संवर्ग संख्या में से लगभग 5 प्रतिशत पदोन्नति वालों के लिए आरक्षित हैं।

स्थायी कमीशन रैंकों में कुल भर्ती का मोटे तौर पर 25 प्रतिशत 'वार्षिक' जो नीचे के रैंकों में हैं वे अभ्यावेदन दे सकते हैं और यदि प्राथमिक प्रशिक्षण के पश्चात् सभी प्रकार से उपयुक्त पाए जाते हैं तो कमीशन पा सकते हैं।

2. **नौसेना** :—नीचे के रैंकों से कमिशन रैंक पर पदोन्नति के लिए कोई कोटा आरक्षित नहीं है; परन्तु नीचे के रैंकों से कमीशन रैंक पर पदोन्नतियां, वरिष्ठता तथा सभी प्रकार से उपयुक्तता के आधार पर और परिवीक्षा सन्तोषप्रद पूरा करने पर, आवश्यक सीमा तक की जाती है।

3. **वायु सेना** :—फ्लाइंग तथा तकनीकी शाखाओं के कमीशन रैंकों में पदोन्नति वालों के लिए कोई सेवा आरक्षित नहीं है। तथापि, गैर तकनीकी ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में पदोन्नति के लिए निम्नलिखित आरक्षण उपलब्ध हैं :—

(1) प्रशासनिक शाखा .	$33\frac{1}{3}$ प्रतिशत
(2) लाजिस्टिक शाखा . . .	20 प्रतिशत
(3) शिक्षा शाखा .	
(4) लेखा शाखा	
(5) मैट्रोलाजिकल शाखा	

अनिवार्य परिवार नियोजन के लिये विधान

2358. श्री बी० बी० नायक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन को अनिवार्य बनाने का अर्थ मूल अधिकारों का हनन होगा ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस उपमहाद्वीप में जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए इस आशय के विधान पर विचार करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) सरकार को सलाह दी गई है कि एक निर्दिष्ट संख्या तक बच्चे हो जाने के पश्चात् माता-पिता में से किसी एक की अनिवार्य नसबन्दी करने संबंधी कानून सांविधानिक रूप से अनुज्ञेय बनाया जाए बशर्ते इसमें नैतिक और धार्मिक कारणों से वास्तविक आपत्तिकर्ताओं को छूट देने की व्यवस्था हो ।

(ख) इस संबंध में कानून बनाने का सरकार का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि सरकार का विचार है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम स्वैच्छिक होना चाहिए क्योंकि एक तरफ तो ऐसे कानून को लागू करना अव्यावहारिक होगा दूसरे किसी प्रकार के दबाव के बजाए ऐसा कार्यक्रम दम्पत्तियों को प्रेरित करने और उनकी शिक्षा पर आधारित होना चालू रखा जाना चाहिए ।

मथुरा तेल शोधक कारखाने के गन्दे पानी का प्रभाव

2359. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंने कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा है कि नगरपालिका जल-परिष्करणशालाओं में सामान्य परिष्करण के उपरान्त मथुरा तेल शोधक कारखाने का गन्दा पानी सिंचाई अथवा मानव द्वारा पिये जाने पर कोई संकट आदि न पैदा करे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मुख्य पुरातात्विक केमिस्ट का भी सहयोग लिया है ताकि आगर और मथुरा के ऐतिहासिक स्मारक तथा विशेषकर ताजमहल को किसी प्रकार का खतरा न पहुंचे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री० के० किस्कू) :

(क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मध्य प्रदेश में खनिज

2360. **श्री रणबहादूर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में खनिज निकालने के लिये कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) तथा (ख) खनिजों का समुपयोजन एक लगातार चलने वाला काम है और इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों के लिए समय समय पर योजनाएं तैयार की जाती है । मध्य प्रदेश में पांचवीं योजना में शुरु की जाने वाली महत्वपूर्ण खनन परियोजनाएं हैं—सुराकाचार अकोककर कोयला परियोजना, बैलाडिला लोह अयस्क परियोजना (निक्षेप संख्या 5), कोरबा एल्यूमिनियम परियोजना तथा मालंजखण्ड तांबा परियोजना । मध्य प्रदेश सरकार ने चूना पत्थर, बाक्साइट तथा लोह अयस्क के सरकारी क्षेत्र में समुपयोजन के लिए भी कुछ क्षेत्र आरक्षित किए हैं ।

चौथी योजना में कोयला उत्पादन का लक्ष्य

2361. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना का कोयला उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जी नहीं। चौथी योजना में कोयले का उत्पादन लक्ष्य 935 लाख टन था जबकि चौथी योजना की समाप्ति तक 790 लाख टन उत्पादन हो जाने की आशा थी। कमी मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से हुई : —

(1) महत्वपूर्ण उपभोक्ता क्षेत्रों जैसे कि इस्पात संयंत्रों आदि की मांग में कमी;

(2) 1970 की अन्तिम तिमाही से अपर्याप्त रेल परिवहन;

(3) लगातार बिजली का फेल होना तथा विशेषत: पूर्वी क्षेत्रों में निरंतर बिजली की कमी और हाल के महीनों में विस्फोटकों का अभाव ;

(4) चौथी योजना के शुरू में पश्चिमी बंगाल में कानून और व्यवस्था की अनिश्चित स्थिति के कारण अनेक खानों का बन्द होना;

(5) भूतपूर्व निजी खान स्वामियों द्वारा खानों में पर्याप्त पूंजी न लगाना तथा रेत भराई और अन्य उपायों की तरफ पर्याप्त ध्यान न देना।

संगठित क्षेत्र में श्रमिक असन्तोष

2362. श्री वसन्त साठे : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में संगठित क्षेत्र में श्रमिक असन्तोष बढ़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा औद्योगिक शांति को बनाये रखने के लिए क्या विशेष अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय अपनाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) कामरोधों के कारण हानि हुए श्रम दिनों (अन्तिम) की दृष्टि से देखा जाए तो वर्ष 1973, 1972 की अपेक्षा कम अशान्त रहा।

(ख) औद्योगिक शान्ति बनाये रखने और मधुर औद्योगिक सम्बन्धों को बढ़ावा देने, जिनके परिणामस्वरुप कि निर्बाध उत्पादन होता है, की ओर सरकार ध्यान देती आई है। सरकार का लगातार प्रयास यह रहा है कि विवादों की रोकथाम और उनके निपटान सम्बन्धी कार्यपद्धतियों और तंत्र को दोष-रहित बनाया जाए।

बांगला देश के प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा

2364. श्री नरेन्द्र सिंह : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 वर्षीय भारत बंगला देश मित्रता संधि के अंतर्गत समय-समय पर विचार-विमर्श के संबंध में बंगला देश के प्रधान मंत्री की आगामी यात्रा के लिए प्रारंभिक बातचीत 9 जनवरी, 1974 को ढाका में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या दोनों प्रधान मंत्रियों की बैठक के लिए इस बीच आधार तैयार कर दिए गए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) 9 जनवरी से 12 जनवरी 1974 तक ढ़ाका में जो बातचित हुई थीं, वह भारत और बंगला देश के विदेश कार्यालयों के बीच सरकारी स्तर पर त्रिपक्षीय वार्ता के सिलसिले में तीसरी बातचीत थी। इस प्रकार का सावधिक परामर्श भारत और बंगला देश के प्रधान मंत्रियों द्वारा 19 मार्च 1972 को ढ़ाका में जारी की गई संयुक्त घोषणा में निहित था। इस प्रकार की वार्ता दोनों देशों के बीच परामर्श की निरंतर प्रक्रिया का स्वरूप है और ऐसी बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलू आ जाते हैं। इस वार्ता का बंगला देश के प्रधान मंत्री की प्रस्तावित भारत-यात्रा से सीधा संबंध नहीं था।

(ग) दोनों प्रधान मंत्रियों की मीटिंग की तैयारियां हो रही है। बातचीत के विषयों को पहले से बताने की रीति नहीं हैं।

संसद सदस्यों और विधान मंडल सदस्यों को जीपों और मोटर साइकिलों का आवंटन

2365. श्री एच० एम० पटेल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में संसद सदस्यों और विधान मण्डल सदस्यों को कितनी संख्या में विभिन्न रक्षा डिपूओं से जीपों और मोटर साइकिलों का आवंटन किया गया ;

(ख) उक्त संसद सदस्य और विधान मंडल सदस्य किन-किन राजनीतिक दलों के थे ; और

(ग) उक्त जीपें और मोटर साइकलें किन-किन कीमतों पर बेची गई और उनको बिक्री से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) पहली जुलाई से 31 दिसम्बर, 1973 के दौरान आर्डनेंस डिपों से संसद सदस्यों/विधान-सभा सदस्यों/विधान-परिषद सदस्यों को बेची गई जीपों/मोटर साइकलों की संख्या निम्नांकित है : —

जीपें—62 (8 संसद सदस्यों को और 54 राज्य विधान सभा/परिषद के सदस्यों को)

मोटर साइकलें—2 (संसद सदस्य को 1 और विधान सभा/परिषद के सदस्य को 1)

(ख) 9 संसद सदस्य निम्नांकित दलों से संबंधित हैं —

कांग्रेस—7

जन संघ—1

निर्दलीय—1

55 विधायकों के दलों से संबंधित सूचना सहज ही उपलब्ध नहीं है। जीपों और मोटर साकइलों का आवंटन किसी दल का ध्यान किए बिना ही किया जाता है। आवंटन के लिए जो शर्त पूरी करनी होती है वह केवल यह है कि कोई विधायक अपने कार्यकाल के दौरान केवल एक मोटर-गाडी ही ले सकता है।

(ग) मोटर-गाडीयां उसी लोक प्रकार, श्रेणी के लिए गत छः वर्षों में प्राप्त विक्रय दर की औसत पर दी जाती है। ये मूल्य समय समय पर परिकलित किए जाते है। जोग/जोगा के लिए चालू मूल्य 5,822 से 12,096 रु० और मोटर-साईकल के लिए 1,931 रुपए से 4,160 रुपए के बीच आते है। प्रश्न के भाग (क) में दी गई जीपों/मोटर साईकलों के बारे में प्राप्त कुल धन राशि इस प्रकार है :—

जीपें 4,73,256.00 रुपये

मोटर-साईकलें—5,720.00 रुपये

Setting up of a Cancer Hospital in Delhi

2366. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether a Cancer Hospital is going to be set up in Delhi very soon where best arrangements will be made for diagnosing and treatment of cancer; and

(b) if so, the facts in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) (a) & (b) No proposal for the setting up of a new cancer hospital in Delhi is at present under consideration of the Government.

The Rotary District 310, comprising the Rotary Clubs in Punjab, Haryana, Delhi and Utter Pradesh have, however, established a Cancer Foundation in Delhi which has such a proposal.

Industrial Labour Policy

2367. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether Government have no intention of making any change in their declared industrial labour policy of 1973; and

(b) if so, the facts in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b) The labour policy of Government is being continuously reviewed in consultation with the interests concerned and structural and legislative changes are made from time to time in conformity with the changing requirements of socio-economic policies and the needs of economic development and growth.

Amendment to Cantonment Board Act, 1924

2368. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether a proposal to amend the Cantonment Board Act, 1924 has been under consideration of Government for years;

(b) if so, whether the proposal for amending the Act has now been given up by the Government; and

(c) if so, the reasons therefor and if not, whether Government propose to introduce a Bill in the current session of Parliament?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) to (c) A Task Force was set up by the Government *inter-alia* to suggest amendments to the Cantonments Act, 1924. The Task Force submitted its recommendations in June 1973. These are presently under consideration of the Government and are likely to take some more time. It will not, therefore, be possible to introduce a Bill in the current session of Parliament.

Memorandum to Minister of Defence Production on Behalf of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

2369. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether a memorandum was submitted on the 17th December, 1973 to the Minister of Defence Production on behalf of the Kendriya Sachivalaya Hindi Paarishad;

(b) if so, the contents thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) (a) No, sir.

(b) and (c) does not arise.

Elections to Danapur Cantonment Board

2370. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the **Minister of Defence** be pleased to State :

(a) whether elections to the Danapur Cantonment Board were held on the 10th February last;

(b) if so, the number of voters there and the number of voters who exercised their votes;

(c) the name of the persons who were elected; and

(d) the income and expenditure of the Cantonment Board in connection with the elections?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) Yes, Sir.

(b) Out of 9298 voters in the Cantonment 5739 exercised their votes.

(c) The names of the persons elected are as under :—

1 Shri Sarjug Lal
2 Shri Shambhu Nath Gupta
3 Shri Sita Ram
4 Shri Shyam Bihari Lal
5 Shri Hafizullah Rahi
6 Shri Ram Babu
7 Shri Kedar Nath Singh

(d) The income was Rs. 2376 and the expenditure was Rs. 2277.

Non-Issue of Receipts for E. P. F. Deductions by Express Cables (P) Limited Neora in Patna.

2371. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether the Express Cables Private Limited, Neora in Patna makes deductions from the salaries of all the labourers and the amount is deposited in the Provident Fund account in which the company also contributes its share ;

(b) if so, the deposits made so far; and

(c) whether the company has not issued receipts to the labourers against the amounts deposited during 1972-73 and if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) to (c) The Provident Fund Authorities have intimated that the information is not readily available and is being collected. It will be laid on the Table of the Sabha in due course.

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास

2372. **श्री समर गुह** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये कुल कितने शरणार्थी अभी तक पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं और विभिन्न शरणार्थी शिविरों में उनकी संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) उनके पुनर्वास की सरकारी योजना क्या है और इसकी समय-सारणी क्या है ;

(ग) क्या देवुली, राजस्थान सहित विभिन्न शिविरों के शरणार्थियों ने सरकार से अपील की है और ज्ञापन भेजे हैं कि उन्हें अंडमान द्वीपसमूह में बसाया जाय ; यदि हां, तो ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6359/74**]

(ख) इन में से 2,13,000 परिवारों को पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में बसाने के लिए योजनाएं तैयार की जा चुकी हैं । इनमें से 15,600 परिवारों को कृषि पर और 5,700 परिवारों को गैर-कृषक व्यवसायों में बसाए जाने की योजना है । शेष परिवारों के पुनर्वास के लिए भी प्रयास जारी रहेंगे । फिर भी यह उपयुक्त भूमि तथा पर्याप्त निधि की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

(ग) जी, हां । देवली शिविर के प्रवासियों ने अनुरोध किया है कि उन्हें 'अण्डमान' में बसाया जाय । उन्होंने बताया है कि उन द्वीपों की भूमि बंगला देश की भूमि की भांति है जबकि राजस्थान की भूमि उनकी खेती के लिए योग्य नहीं है ।

(घ) जहां तक 1974-75 के दौरान परिवारों को लिटिल अण्डमान भेजने का सम्बन्ध है, इसके लिए उन्हें माना शिविर से चुनने का प्रस्ताव है । बाद के वर्षों में इन परिवारों के चुनाव पर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा ।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पुनः बसाये गए व्यक्ति

2373. श्री समर गुह : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970 से वर्ष 1973 के बीच अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कितने व्यक्ति पुनः बसाये गए ;

(ख) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका से आये शरणार्थियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य व्यक्तियों की अलग-अलग संख्या कितनी है जिन्हें उक्त अवधि में वहां बसाया गया ;

(ग) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में उपरोक्त श्रेणियों के व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में सरकार की मूल नीतियां क्या है ; और

(घ) पुनर्वास की योजना और सरकार द्वारा इसे लागू करने के समय आदि की रुपरेखा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों, श्रीलंका से लौटे प्रत्यावासियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के बारे में जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है । [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिय संख्या एल० टी० 6360/74**] बर्मा से लौटे प्रत्यावासियों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

(ग) और (घ) सरकार की नीति के अनुसार, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों में ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं हाथ में ली जाती हैं जो विस्थापित व्यक्तियों, प्रत्यावासियों और भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए उपयुक्त हों । पुनर्वास प्रयोजनों के

लिए भूमि उद्धार के कार्य को लकड़ी काटने, उसे तैयार तथा निपटान करने की व्यवस्था से समन्वित किया जाता है। इस सम्बन्ध में विचाराधीन व्यवस्था के संदर्भ में तथा अन्य सुसंगत तथ्यों पर विचार करके अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों में पुनर्वास की गुंजाईश की समीक्षा की गई है। अब पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों तथा श्रीलंका से आए प्रत्यावासियों के लगभग 2000 परिवारों और भूतपूर्व सैनिकों के 400 परिवारों को भूमि पर और भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों के 200 परिवारों को गैर-कृषि व्यवसायों में बसाया जाएगा।

बर्मा से आए प्रत्यावासियों के लिए पुनर्वास सहायता की एक सामान्य योजना है जिसके अधीन लघु व्यवसाय या व्यापार चालू करने के लिए राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता मंजूर करने के अधिकार दे दिए गए हैं। यह योजना अण्डमान और निकोबार द्वीपों में भी लागू है।

इस्पात कारखानों के कार्यकरण में कथित बाधा

2374. **श्री आर० के० उलगनम्बी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक उग्रवादी राजनीतिक दल सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के विभिन्न समेकित इस्पात कारखानों में इस्पात उत्पादन में कथित बाधा डाल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई है ; और

(ग) इसके तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार को इस्पात के उत्पादन में बाधा डालने के इस प्रकार के दुष्प्रयत्न के बारे में जानकारी नहीं है।

पश्चिम बंगाल में कच्चे लोहे और कोयले की कमी

2375. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे लोहे और कोयले की कमी के कारण पश्चिम बंगाल के लगभग 950 लघु उद्योग गम्भीर संकट से गुजर रहे हैं और इन के 5,00,000 श्रमिकों को बेकारी का सामना है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप प्रति मास लगभग 4 करोड रूपये तक का घाटा हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए सरकार की क्या योजनायें हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) यह कहना ठीक नहीं है कि कच्चे लोहे तथा कोयले की कमी के कारण पश्चिमी बंगाल के लघु उद्योगों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। तथापी कुछ कमी हो गई थी और कोयले का उपयोग करने वाले सभी क्षेत्रों पर कुछ हद तक इसका प्रभाव पडा है।

(ग) धातुकार्मिक उद्योगों को साम्मिक वितरण सुनिश्चित करने के लिए जुलाई 1973 में हार्ड कोक के वितरण तथा परिवहन पर पुनः नियंत्रण लागू कर दिया गया था। उपलब्ध कच्चे लोहे के वितरण तथा कोक की सप्लाई में समन्वय स्थापित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने के लिए एक समिति भी बनाई गई है। पाँचवीं योजनावधि में कोक की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए एक अन्य समिति भी बनाई गई है कच्चे लोहे के निर्यात के लिए कोई नया करार नहीं किया जा रहा है। घरेलू मडियो में सप्लाई की स्थिति में सुधार होने तक कच्चे लोहे के निर्यात के पुराने करारों को आस्थगित करने के प्रयत्न किए जा रहे है एक रेलवे परिवहन समन्वय कक्ष भी खोला गया है। जिस में सभी सम्बन्धित अभिकरण सक्रिय रूप से भाग लेंगे।

कर्नाटक और केरल के लिए इस्पात का नियतन

2376. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों ने गत चार तिमाहीयों में अपना-अपना इस्पात का नियतन क्रमशः 225 और 275 प्रतिशत तक बढ़ाया लिया है ;

(ख) क्या इस अवधि में पश्चिम बंगाल का नियतन काफी कम हो गया हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वैगन निर्माण कारखानों का बन्द होना

2377. **श्री ए० के० एम० इसहाक :**
श्री पी० आर० शिनाय :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वैगन निर्माण कारखाने कितने हैं और प्रत्येक में कितना वार्षिक उत्पादन होता है ;

(ख) कितने कारखाने बन्द हैं और प्रत्येक क्यो बन्द है और उन्हें पुनः खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) क्या सरकार बन्द पड़े और संकटग्रस्त कारखानों को अपने नियंत्रण में लेने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो कौन-कौन से कारखाने सरकारी नियंत्रण में आ चुके हैं और शेष में से प्रत्येक का प्रबन्ध कब तक संभाल लिया जाएगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इस समय देश में मालगाड़ी के डिब्बों का निर्माण करने वाले 16 एकक हैं। गत तीन वर्षों का उनका एकक-वार वार्षिक उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6361/74**]

(ख) इन 16 एककों में से इस समय 5 बन्द हैं । उनके बन्द होने का एकक-वार कारण निम्नलिखित है :—

फर्म का नाम	बन्द होने के कारण
1. मे० आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी	(i) प्रबंधकों के बीच विवाद होने के कारण । (ii) प्रबंधकों द्वारा बिजली के बिलों का भुगतान न करने के कारण बिजली की सप्लाई रोक देने के कारण ।
2. मे० ब्रिटानिया इंजीनियरींग कम्पनी लिमिटेड (मोकामा)	कुप्रबंध के कारण खराब वित्तीय स्थिति के होने के कारण ।
3. मे० मेकजीज लिमिटेड	कुप्रबंध के कारण खराब वित्तीय स्थिति के होने के कारण ।
4. मे० रेयमन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड ।	फरवरी, 1968 से चल रही तालाबन्दी के कारण ।
5. मे० सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड	श्रमिक कठिनाइयों के कारण फर्म ने माल गाडी के डिब्बों का निर्माण करने वाले एकक को बन्द कर दिया ।

मे० आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी और मे० ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड के प्रबंध का अधिग्रहण कर लिया गया है । मे० मैकेंजीज लिमिटेड और मे० रेयमन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के बारे में निर्णय लिया गया था कि इन उपक्रमों का अधिग्रहण न किया जाये, क्योंकि इनकी आर्थिक जीव्यता में अत्यधिक संदेह था । जहां तक मे० सिंह इंजिनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, का संबंध है, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत उनकी जांच करना आवश्यक नहीं समझा गया था ।

(ग) प्रबंध अधिग्रहण का सरकारी निर्णय कई बातों पर निर्भर है, जिनमें उत्पादन की जटिलता और तकनीकी-आर्थिक क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है ।

लघु इस्पात संयंत्रों की संख्या

2378. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार 5,10,15 और 20 टन क्षमता वाले लघु इस्पात संयंत्रो (बिजली भट्टी कारखानों) की संख्या क्या है ;

(ख) अगले तीन वर्षो में राज्यवार प्रत्येक श्रेणी में इस्पात का वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(ग) गत तीन वर्षों में देश के कुल इस्पात उत्पादन में लघु इस्पात संयंत्रों का कितना योगदान था ;

(घ) इस अवधि में लघु इस्पात संयंत्रों को क्या कठिनाइयां पेश आई और सरकारने उत्पादन बढाने की निति के अनुसरण में उन्हें सहायता देने के लिए क्या कदम उठाये तथा उनका क्या परिणाम रहा ; और

(ङ) इस संबंध में भावी योजना क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) निम्नलिखित वितरण में देश में स्थापित (राज्यवार) इस्पात पिंड/बिलेट का उत्पादन करने वाली 1-5 टन क्षमता से 21-25 टन क्षमता वाली विद्युत भट्टी इकाइयों* की संख्या दिखाई गई हैं :—

	भट्टी क्षमता (टन)				
राज्य	1–5	6–10	11–20	20 से ऊपर	जोड़
आन्ध्र प्रदेश	2	..	..	..	2
असम . .	..	..	..	..	..
बिहार .	..	2	..	1	3
गुजरात . .	2	2	..	..	4
हरियाणा . .	11	6	..	..	17
कर्नाटक . .	1	4	..	..	5
केरल . .	..	2	..	..	2
मध्य प्रदेश . .	..	3	..	..	3
महाराष्ट्र . .	9	6	3	4	22
पंजाब . .	5	3	..	..	8
राजस्थान . .	1	..	..	..	1
तमिल नाडू	..		..	*2	*2 एक इकाई लगाई जा रही है।
उत्तर प्रदेश .	12	19	2	..	33
पश्चिमी बंगाल .	9	3	2	..	14
जोड़ . .	52	50	7	7	116

*1-2-1974 की स्थिति। सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने तथा ढ़ली हुई वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयां शामिल नहीं है।

(ख) और (ग) प्रत्येक राज्य में भट्टी के आकार के अनुसार उत्पादन के आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं, फिर भी, समस्त विद्युत भट्टियों का गत तीन वर्षों का उत्पादन लगभग इस प्रकार है :—

वर्ष	लाख टन
1970–1971 . . .	8.06
1971–72 . . .	10.08
1972–73 . . .	10.04

गत तीन वर्षों में देश के कुल इस्पात उत्पादन में विद्युत भट्टी इकाइयों का योगदान लगभग 15 से 18 प्रतिशत रहा है।

8—5 LSS/74

(घ) और (ङ) विद्युत चाप भट्टियों में मुख्य कच्चे माल के रूप रद्दी लोहे का प्रयोग किया जाता है। समय समय पर बिजली की कमी के अलावा जो सभी विद्युत धातुकर्मी इकाइयों में सामान्य रूप से हुई थी, विद्युत भट्टी चालकों से और कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है। तथापि रद्दी लोहे और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की कमी है। वर्तमान आयात नीति में वास्तविक उपभोक्ताओं को उनकी स्क्रैप की आवश्यकताओं का 20 प्रतिशत तक आयात करने की अनुमति है। विद्युत आर्क भट्टियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का भी आयात किया जाता है। विद्युत चाप भट्टी इकाउयों के इस्पात के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सामान्यतः भविष्य में नई इकाइयों को, रद्दी लोहे, बिजली और अन्य आदानों की उपलब्धि को देख कर लाइसेंस दिए जाएगें।

पश्चिम बंगाल के लिए इस्पात का कोटा

2379. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि खुले बाजार में इस्पात के ऊंचे मूल्यों और संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा दिये गये अपर्याप्त कोटे के कारण अनेक आवश्यक सिंचाई बिजली तथा अन्य परियोजनाएं रुकी पडी हैं :

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को इस्पात का आयात करने की अनुमति दे दी है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य की इस्पात की कुल आवश्यकता कितनी थी और उसे कितना इस्पात अलाट किया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में लघु इस्पात संयंत्र

2380. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में तीन लघु इस्पात संयंत्रों लगाने की सोच रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो कितने संयंत्र लगाये जायेंगे और कब तक ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) हाल में इस्पात पिंड बनाने के लिए पश्चिमी बंगाल में विद्युत भट्टियां लगाने के लिए निम्नलिखित तीन पार्टियों को लाइसेंस दिए गए है :—

(1) पंच स्टीलज लि० शाहगंज

(2) सिद्धार्थ स्टीलज लि० कलकत्ता

(3) सिलीगुरी स्टीलज, सिलीगुरी

उपर्युक्त के अलावा, पश्चिमी बंगाल में ऐसी इकाइयां स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी पार्टियों से बहुत से आवेदन पत्र प्राप्त हुए है और उन पर विचार किया जा रहा है।

तेल के मूल्यों में वृद्धि से उद्योगों को खतरा

2381. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के मूल्यों में वृद्धि से हमारे उद्योगों को खतरा उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ; और

(ग) इस खतरे से निपटाने के लिए उन का मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। तेल की कीमतों में वृद्धि से भारी उद्योगों के वित्तीय कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि इसके साथ-साथ कीमतें बढ़ती हैं, इंधन, तेल और सम्बद्ध उत्पादों के मिलने में भी कमी होती है तो इससे इन उद्योगों के उत्पादन पर तद्नुरुपी प्रभाव पड़ेगा।

(ख) ईंधन की उपलब्धता में कटौती के बारे में ठीक-ठीक जानकारी के अभाव में यथार्थतः यह बताना सम्भव नहीं है कि इसके कारण उत्पादन में कितनी हानि हुई है।

(ग) कोयला और बिजली जैसे वैकल्पिक ईंधनों का इस्तेमाल करने के विषय में पता लगाया जा रहा है। उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम उत्पादन करने की दृष्टि से उपयोग की क्षमता बढ़ाने के अर्थोपायों का भी पता लगाया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन केरल की औद्योगिक परियोजनाएं

2382. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र सरकार के पास विचाराधिन पड़ी केरल की मुख्य औद्योगिक परियोजनाएं कौन सी हैं ; और

(ख) लाइसेंस जारी करने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं और प्रत्येक मामले में कब तक लाइसेंस दे दिए जाएंगे ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) केरल में भारी उद्योग के क्षेत्र में वस्तुओं का निर्माण करने के लिए औद्यौगिक लाइसेंस स्वीकृत करने हेतु आवेदनपत्रों के बारे में अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6362/74 ।]**

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय के कर्मचारी

2383. **श्री अम्बेश :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन के मंत्रालय में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कितने-कितने कर्मचारी है;

(ख) उक्त कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हैं;

(ग) संघ लोक सेवा आयोग (छूट परामर्श) विनियम 1958 के अन्तर्गत किन पदों के लिए सीधी भर्ती की छूट दी गई है ; और

(घ) यदि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या निर्धारित प्रतिशतता के अनुरुप नहीं है तो इसके लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) केवल स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है:—

प्रथम श्रेणी	87
द्वितीय श्रेणी	276
तृतीय श्रेणी	412
चतुर्थ श्रेणी	228

(ख) उपयुक्त संख्या में से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है:—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
प्रथम श्रेणी	3	1
द्वितीय श्रेणी	19	3
तृतीय श्रेणी	43	12
चतुर्थ श्रेणी	50	6

(ग) तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों को संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958 के अन्तर्गत छूट दी गई है।

(घ) यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों से संबंधित योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होत तो कार्मिक तथा प्रशासन सुधार विभाग के साथ परामर्श करके उस भरती वाले वर्ष में पदों को असुरक्षित करने के बाद उनके लिये आरक्षित पदों को आम उम्मीदवारों में से भरा जाता है और आरक्षण के बैकलाग को अगले तीन भरती वाले वर्षों में बढ़ा दिया जाता है। यदि अभी भी आगे बढ़ाये गये आरक्षित रिक्त स्थानों के लिये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते तो आरक्षण समाप्त हो जाता है और इन पदों को आम उमीदवारों में से भरा जाता है। संगठित सेवाओं के बारेमें कार्मिक तथा प्रशासन सुधार विभाग कार्यवाही करता है।

आन्ध्र प्रदेश में फैल रही रहस्यमयी बीमारी

2386. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आन्ध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में दिसम्बर, 1973 में एक विशेष प्रकार की रहस्यमयी बीमारी फैली थी;

(ख) क्या इससे कोई मृत्यु हुई थी;

(ग) क्या इस महामारी पर काबू पा लिया गया है; और

(घ) क्या देश के किसी अन्य भाग से भी इस बीमारी का समाचार मिला है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चमकीली छड़ (ब्राइट बार) की उत्पादन क्षमता

2387. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चमकीली छड़ (ब्राइट बार) की अधिष्ठापित उत्पादन-क्षमता क्या है ;

(ख) इसमें से कितनी क्षमता का उपयोग किया गया है ;

(ग) बेकार पड़ी क्षमता, यदि है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) :

(क) लाइसेंस प्राप्त एकक 75,900 मी० टन प्रति वर्ष ।

लाइसेंस प्राप्त एककों के अतिरिक्त तकनीकी विकास के महानदिशालय में पूंजीकृत एकक 1,48,060 मी० टन प्रति वर्ष ।

(ख) अनुमानतः 52,000 मी० टन।

(ग) चूंकि यह उद्योग इस्पात पर आधारित है, जिसकी कि देश में कमी है। इसलिए उत्पादन में तब तक वृद्धि करना कठिन है, जब तक कि उद्योग के लिये आवश्यक किस्म का इस्पात उपलब्ध न हो। इसके अतिरिक्त, तकनीकी विकास के महानिदेशालय में अभी हाल ही में बहुत से एकक पंजीकृत किये गये हैं, या अभी हाल ही में चालू किये गये हैं। आगामी वर्षों में उनके उत्पादन के आरम्भ हो जाने या उनमें उत्तरोत्तर वृद्धि होने की संभावना है।

(घ) सरकार समेकित इस्पात संयंत्रों में इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने पर बहुत बल दे रही है। इसके अतिरिक्त विद्युत भट्ठी उद्योग से मिश्रधातु, विशेष और मध्यम प्रकार के इस्पात का अधिकतम उत्पादन करने के लिए सरकार सभी संभव प्रयत्न कर रही है। इस्पात के अधिक मात्रा में उपलब्ध होने से चमकीली छड़ (ब्राइट बार) उद्योग की क्षमता उपयोग स्थिति में सुधार हो जाने की आशा है।

दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र

2388. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त बिजली की सप्लाई न होने के कारण दुर्गापुर स्थित मिश्र इस्पात संयंत्र में उत्पादन बिल्कुल ठप्प हो गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) यद्यपि बिजली की सप्लाई में कमी के कारण दुर्गापुर स्थित मिश्र इस्पात कारखाने के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है तथापि उत्पादन बिल्कुल ठप्प नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Acquisition of Land by Faridabad Development Board

2389. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether 466 acres of land were acquired by the former Faridabad Development Board;

(b) whether only 107 acres of land have been utilised for industrial development so far and the remaining land is in the possession of the land owners; and

(c) if so, the reasons therefor and the action taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) 107 acres of land have been utilised for industrial purposes, 40 acres included in the Township. 40 acres utilised for construction of approach roads to the Township and 27 acres leased out for cultivation. Ownership of the remaining 252 acres was got transferred in the name of the Ministry but the owners allowed to cultivate the land pending the determination of the amount of compensation and its payment to the erstwhile owners. Proceedings for determination of the compensation payable by the Central Government to them are pending before the Arbitrator.

बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन

2390. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 से 1973 के बीच प्रत्येक सरकारी इस्पात संयत्न में वर्षवार बिक्री योग्य इस्पात का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) इसी अवधि में प्रत्येक संयंत्र में उत्पादित बिक्री योग्य इस्पात की वर्षवार कितनी बिक्री हुई ;

(ग) वर्ष 1971 तथा जनवरी, 1974 को प्रत्येक संयंत्र में कितना बिक्री योग्य इस्पात जमा था ;

(घ) हाल ही में बिक्री योग्य इस्पात की जमा मात्रा में वृद्धि होने के क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) निम्नलिखित सारणी में सरकारी क्षेत्र के भिलाई, दर्गापुर, और राउरकेला के तीन इस्पात कारखानों में वर्ष 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 में प्रत्येक कारखाने का विक्रय इस्पात का उत्पादन दिखाया गया है :—

(हजार टन)

कारखाना	1970–71	1971–72	1972–73
भिलाई	1,549	1,568	1,746
दुर्गापुर . . .	413	432	477
राउरकेला . .	684	597	765

(ख) निम्नलिखित सारणी में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला स्थित सरकारी क्षेत्र के तीनों इस्पात कारखानों में प्रत्येक का वर्ष 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 में उत्पादित विक्रेय इस्पात की बिक्री दिखाई गई है :—

(करोड़ रुपये)

कारखाना	1970-71	1971-72	1972-73
भिलाई	161.0	163.6	227.4
दुर्गापुर	70.1	67.3	83.2
राउरकेला	123.9	115.3	156.2

(इन आंकड़ों में उत्पादन शुल्क तथा भाड़ा शामिल हैं)

(ग) दिसम्बर, 1971 तथा जनवरी, 1974 के अन्त में प्रत्येक इस्पात कारखाने में विक्रेय इस्पात के स्टाक की स्थिति इस प्रकार थी :—

(हजार टन)

कारखाना	दिसम्बर, 1971 के अन्त में	जनवरी, 1974 के अन्त में
भिलाई.	65.0	151.0
दुर्गापुर	39.0	35.4
राउरकेला	34.4	59.6

(घ) पिछले कुछ महीनों में विक्रेय इस्पात का स्टाक जमा हो जाने का मुख्य कारण रेल यातायात की कठिनाई है।

चाय बागान के श्रमिकों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी

2391. श्री सी० जनार्दनन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में चाय-बागान श्रमिकों के गत दिसम्बर में आयोजित हुए दो दिवसीय सम्मेलन में श्रमिकों के लिए आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी निश्चित करने के लिए चाय-बागान के मालिकों तथा श्रमिकों की एक बैठक बुलाने की मांग की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) इस विषय पर सरकार के पास सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलना

2392. श्री सी० जनार्दनन :
श्री वर्के जार्ज :

क्या **विदेश** मंत्री केरल में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने के बारे में 15 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 715 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बारे में कोई निर्णय इस बीच कर लिया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : जी, हां। केरल में प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय खोलने का निर्णय कर लिया गया है।

पाकिस्तान द्वारा सीमा सड़कों का निर्माण

2393. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने सीमा-सड़कों का निर्माण किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तानी चुनौति का सामना करने की तैयारियां कर ली है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) वर्तमान सड़कों के सामान्य सुधार के अतिरिक्त, भारत-पाक सीमा के साथ-साथ सीमा सड़कों का कोई निर्माण **हमारे** ध्यान में नहीं आया है। पाकिस्तान के साथ मिली हुई हमारी सीमा में सड़कों का वर्तमान जाल हमारी सुरक्षा आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त है। तथापि, सीमा के पार सभी संबंधित गतिनवियों पर, हमारी रक्षा योजनाएं बनाते समय विचार किया जाता है।

कारों के मूल्य में वृद्धि के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

2394. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारों के मूल्य में प्रत्येक छः महीने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सरकार ने आगे क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या इस संबंध में कोई कानून बनाया जा रहा है और यदि हां, तो कब ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, सरकार कारों का मूल्य हर छः महीने में पुनः निर्धारित करती रही है।

(ख) जी, नहीं।

भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम में संशोधन

2395. श्री मधु दण्डवते : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा संघ ने सरकार से भारतीय चिकित्सा परिषद् में उसके प्रतिनिधि को शामिल करन के लिये भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम में संशोधन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् का गठन भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत किया गया है। इसमें राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, पंजीकृत चिकित्सा स्नातकों, पंजीकृत चिकित्सा लाइसेंसियेट्स तथा केन्द्रीय सरकार के मनोनीत व्यक्तियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस परिषद् में पहले ही काफी प्रतिनिधि हैं और यह आवश्यक नहीं समझा गया है कि भारतीय चिकित्सा संघ तथा अन्य इसी प्रकार के संघों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाये।

गार्डन रीच वर्कशाप में घाटा

2396. श्री रानेन सेन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड को रांची इंजन परियोजना में भारी घाटे तथा बोकारो योजना में कुप्रबंध के फलस्वरूप वर्ष 1972-73 के तुलन-पत्र में एक करोड़ रुपये का घाटा हुआ है; और

(ख) यदि नहीं, तो तुलन-पत्र में दिखाये गये घाटे के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) वर्ष 1972-73 के दौरान कलकत्ता में गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड को 103.81 लाख रुपये की हानि हुई। इस हानि के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) जहाज निर्माण संविदाओं में हानि। ये हानि अधिकांशतः स्रोतों और जलयानों का निर्माण पूरा करने में देरी के कारण हुई जिस के कई एक कारण थे जैसे—

(क) आयातित तथा स्वदेशी दोनों ही स्रोतों में उपस्कर की प्राप्ति में देरी ;

(ख) गार्डन रीच वर्कशाप के विभिन्न वर्कशापों में क्षमताओं में प्रत्याशित वृद्धि को समय पर कार्यान्वित नहीं किया और मशीन और उपस्कर की प्राप्ति में देरी।

(2) बोकारो स्टील प्लांट के लिए तकनीकीय उपस्कर और इमारत के निर्माण और स्थापित करने के लिए कतिपय संविदाओं में मूल्य को स्वीकृत करने जो अलाभकर रहे।

(3) उत्पादन की व्यवहार्य दर प्राप्त करने में कमी के कारण रांची में मरीन डीजल इन्जन प्लांट में हानि हुई ; और

(4) कतिपय अन्य अप्रत्याशित आकस्मिक व्यय के अतिरिक्त वैधानिक उपदान, वेतन और मजदूरी में संशोधन के कारण खर्च में वृद्धि।

जापान द्वारा उर्वरकों की सप्लाई में कमी

2397. श्री मान सिंह भौरा : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भारत को दिये जाने वाले उर्वरकों की मात्रा में कमी करने और इसके मूल्यों में वृद्धि करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) जापान के साथ किये गये अनेक ठेकों के अन्तर्गत उर्वरक की मात्रा में कोई कमी नहीं हुई है। तेल संकट और कच्चे माल की कमी के कारण मूल्य में कुछ वृद्धि की मांग की गई थी और इस प्रकार के मामले निपटान के लिए समय समय पर बातचीत की जाती है। वर्तमान मूल्य संबंधी बातचीत के ब्यौरों का बताना जनहित में नहीं होगा।

त्रिपुरा राज्य को परिवार नियोजन के लिए केन्द्रीय सहायता

2398. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा राज्य को वर्ष 1972-73 में परिवार नियोजन के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई थी ; और

(ख) शुरु की गई योजनाओं का मुख्य ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) 6,21,070 रुपये (इसमें वस्तु क रूप में दी गई सामग्री का मूल्य भी सम्मिलित है)।

(ख) 1972–73 के दौरान राज्य की निष्पत्ति इस प्रकार रही :—

(1) 25 ग्रामीण उप-केन्द्रों के अलावा 23 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 32 ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों को चालू रखा गया। एक स्वैच्छिक संगठन के अधीन एक नगरीय परिवार नियोजन केन्द्र को भी चालू रखा गया।

(2) 2367 नसबन्दियां की गई और 208 महिलाओं को लूप पहनाये गये। राज्य में उक्त अवधि के दौरान प्रचलित गर्भनिरोधकों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या 2110 थी ।

(3) प्रति वर्ष 15 सहायक नर्स धात्रियों के प्रशिक्षण क्षमता वाले स्कूल को चालू रखा गया।

(4) प्रसूति एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत दाइयों के प्रशिक्षण और डी॰पी॰ टी॰ से शिशुओं तथा स्कूल पूर्व आयु वाले बच्चों और टिटेनस से गर्भवती माताओं के प्रतिरक्षण से संबंधित योजनाओं को चालू रखा गया।

दार्जिलिंग स्थित चाय बागान के श्रमिकों द्वारा हड़ताल

2399. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल राज्य में उत्तर बंगाल के चाय बागान में समन्वय समिति द्वारा की गई एक दिन के हड़ताल के समय दार्जिलिंग के चाय बागान के श्रमिकों ने क्या मांगें पेश की थीं; और

(ख) श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए संम्बद्ध मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की थी ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ख) चूंकि यह मामला राज्य के कार्यक्षेत्र में आता है, इसलिए श्रम मंत्रालय के पास इस विषय पर कोई सूचना नहीं है।

ब्रिटिश राष्ट्रिकों को पेंशन

2400. **श्री शशि भूषण :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे ब्रिटिश राष्ट्रिक हैं जो अब तक भारत से पाऊंड स्टर्लिंग में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राष्ट्रिकों की संख्या कितनी है और ये किस वर्ग के हैं, और पेंशन के रूप में उन पर प्रति वर्ष कितना व्यय होता है ; और

(ग) ब्रिटिश राष्ट्रिकों को अभी तक पाऊंड स्टर्लिंग में पेंशन दिये जाने के क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरों का पक्का पता लगाया जा रहा है और प्रत्येक श्रेणी के कारण बताते हुए सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि० की हुई हानि

2401. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि०, कलकत्ता की कोई वित्तीय हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी राशि कितनी है; और

(ग) घाटा होने के क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) इस कम्पनी को आज तक कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है। यह बात वित्त वर्ष 1972-73 पर भी लागू होती है, जिस के लिए लाभ और हानि के परीक्षित विवरण उपलब्ध है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

त्रिपुरा में चाय परिष्करण कारखाने

2402. **श्री शंकर नारायण सिंह देव :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय त्रिपुरा में कितने चाय परिष्करण कारखाने काम कर रहे हैं;

(ख) इन कारखानों में काम कर रहे श्रमिकों को कितनी न्यूनतम मजूरी तथा महंगाई भत्ता दिया जाता है; और

(ग) क्या ऐसे कारखानों पर भी जो बिजली तथा भाप से चलते है, कारखाना अधिनियम लागू नहीं है तथा श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी का भुगतान नहीं किया जाता है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एक की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

बोकारो में "स्टील मेल्टिंग शाप" के चालू होने के समय गड़बड़ी

2403. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना मंत्री द्वारा बोकारो में 'स्टील मेल्टिंग शाप' के चालू किये जाने के समय कुछ गडबड़ी पैदा होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या गडबड़ी संयंत्र के अफसरों में आपसी प्रतिद्वन्द्विता के ही कारण पैदा हुई न कि मजदूर संघ के कारण; और

(ग) यदि हां, तो इसकी जांच करने के बाद सरकार का क्या कार्य करने का बिचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) यह मामला जांच के लिए स्वतंत्र सरकारी अभिकरणों को भेज दिया गया है। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बुनकरों को सूती धागे की सप्लाई में भारी कमी

श्री नरसिंह नारायण पांडे (गोरखपुर) : मैं वाणिज्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें :—

"उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा अन्य राज्यों में बुनकरों को सूती धागे तथा स्टेपल धागे की सप्लाई में भारी कमी से उत्पन्न गंभीर स्थिति ।"

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : ध्यानाकर्षण सूचना में सूत और स्टेपल धागे का हवाला दिया गया है ।

2. जहां तक सूत का सम्बन्ध है, मौजूदा हालत यह है कि 80 एस काऊंट तक के सूत पर कीमत या वितरण सम्बन्धी कोई नियंत्रण नहीं है । 80 एस से अधिक काऊंटों के बारे में भी कोई कीमत नियंत्रण नहीं है किन्तु इस प्रकार के सूत पर वितरण नियंत्रण चल रहा है ।

3. ये नियंत्रण हटाये जाने से सामान्य व्यापारिक माध्यमों ने कार्य आरम्भ कर दिया है । इस तथ्य को देखते हुए कि हाल के महीनों में रुई का उत्पादन सन्तोषजनक रहा है, ऐसी आशा है कि सप्लाई की स्थिति सामान्य हो जायेगी । जनवरी और फरवरी के महीनों में बम्बई और कोयम्बटूर की मिलों में हुई हड़ताल के कारण कुछ क्षति हुई है लेकिन अब चूंकि ये मिलें पूरी क्षमता से चल रही हैं, अतः ऐसी संभावना है कि उत्पादन सामान्य स्तर पर होने लगेगा । नियंत्रण हटाते समय यह व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकारें टैक्सटाइल मिलों से सूत के सीधे आबंटन के लिए हथकरघा बुनकरों की एसोसिएशनों/सहकारी समितियों को स्पान्सर कर सकती हैं और ये आबंटन करने की शक्तियां वस्त्र-आयुक्त में निहित हैं । बुनकरों की वास्तविक जरूरत और आबंटित माल उठाने के सम्बन्ध में उनकी वित्तीय क्षमता के बारे में राज्य सरकारों को अपना समाधान करना होगा । इस व्यवस्था का उद्देश्य राज्य स्तर पर सन्तोषजनक वितरण अवस्थापना के विकास को बढ़ावा देना है जिससे कि उपयुक्त समय आने पर हथकरघा बुनकरों को मिलों से सीधे सप्लाई की जा सके ।

4. हमें इस सूचना में उल्लिखित किसी राज्य सरकार से पिछले कुछ अर्से के दौरान सूत की कमी के बारे में कोई खास शिकायत नहीं मिली है ।

5. जहां तक स्टेपल धागे (विस्कोस स्टेपल फाइबर स्पन यार्न) का संबंध है, मैं० ग्वालियर रेयन्स के लकड़ी की लुगदी के संयंत्र में 145 दिन की लम्बी हड़ताल तथा तालाबन्दी के कारण 1973 में उत्पादन में गिरावट आई है । उत्तर भारत में विभिन्न राज्यों के लिए इस धागे की आवश्यकताएं मैन-मेड फाइबर स्पिनर्स एसोशिएशन के सदस्यों द्वारा तथा दक्षिण भारत के राज्यों की आवश्यकताएं सदर्न इंडिया मिलओनर्स एसोसिएशन द्वारा पूरी की जाती हैं । वितरण का कार्य केवल उत्तर भारत के सम्बन्ध में उस स्वैच्छिक करार के अनुसार किया जाता है जो मैन-मेड फाइबर स्पिनर्स एसोसिएशन तथा बुनकर एसोसिएशनों के बीच हुआ था । धागे का वितरण राज्यों के उद्योग निदेशकों के माध्यम से किया

जाता है । विभिन्न बुनकर एसोसिएशनों ने धागे की सप्लाइयों में कमी की ओर सरकार का ध्यान दिलाया था तथा धागे के वितरण की समस्याओं पर बुनकरों तथा कत्तिनों के प्रतिनिधियों के साथ अनेक बैठकों में विचार किया गया है । वस्त्र आयुक्त ने पिछली कमी का हिसाब लगाया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि इस पिछली कमी को यथाशीघ्र पूरा किया जाए । संयुक्त वस्त्र आयुक्त के पद के एक अधिकारी को इस काम के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया गया है कि वह धागे के उत्पादन तथा केवल वर्तमान आबंटनों के आधार पर ही नहीं बल्कि पिछली कमी के आधार पर भी इसके डिस्पच के काम का निरीक्षण करे । विस्कोस स्टैपल फाइबर का उत्पादन 15 जनवरी, 1974 से फिर से सामान्य स्तर पर आ गया है तथा आशा है कि धागे का उत्पादन भी अपनी सामान्य मात्रा में होने लगेगा । वस्त्र आयुक्त द्वारा निरन्तर निरीक्षण किये जाने से धागे के वितरण की समस्याएं भी न्यूनतम हो जाएंगी ।

6. यह आशा की जाती है कि उपलब्धता में सुधार होने से अगले कुछ महीनों में बुनकरों को धागे की सप्लाई में भी सुधार हो जाएगा ।

Shri Narsingha Narain Panday : When ever Lok Sabha is in session, there is discussion in regard to cotton yarn and staple yarn. The condition of our Handloom weaver has been deterioating day by day due to non-availability of Cotton yarn and staple yarn. The distribution system of the yarn is so defective that the weavers especially handloom weavers are experiencing great difficulties. Various Committees were set up to look into the matter. These Committees submitted some proposals to the Government so as to help these handloom weavers. Ashoka Metha Committee has said that after 1963 handloom industry has remained always second to powerloom industry. The millowner and their agents started the setting up of power industry. This has effected the handloom industry adversely. In our state we require 11 thousand bales of yarn, but only 3 thousand bales of yarn is supplied there. This is the situation in other states also. It is being said that no complaint has been received from the State Government. The State Government has been stressing time and again upon the Central Government in this regard. I had myself handed over a memorandum to the Commerce Minister and a copy of that memorandum was sent to the Planning Minister, Shir D.P. Dhar. The Planning Minister has admitted in his letter addressed to me that the condition of handloom industry is pitiable. He has also written that after discussing this matter with the Commerce Minister and the State Government, he has decided to set up a Committee to look into the condition of the handloom industry. But it seems that the statement, which has now been made by the Commerce Minister, has been prepared by some cotton mill owner. This statement does not reveal the reality.

I want that the Hon'ble Minister should look into the matter so that the handloom industry may be saved.

Arrangement should be made for the advancement of loans thrugh the working capital Finance State Bank to the cooperatives of the Handloom industry. I want to know whether the Government propose to extend the Differential interest Rate Scheme to the independent weavers? The Government should control the distribution of yarn under the Essential Commodities Act. Will the Government extend the exemption in excise duty on yarns to the handloom industry, so that this industry may be benefited and then the production may be increased. Will the Government consider to standardise the production of cloth, so that it may be exported.

Mr. Speaker : Please finish your speech.

Mr. Narsingh Narain Pandey : I am going to finish my speech. Will the Government provide export incentives on handloom fabrics? If this is done, the lakhs of people would be able to adopt some alternative way by which they may be able to increase their production.

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : श्री पांडे जी ने कई बातें उठायी हैं। व्यस्त ग्रीष्म ऋतु में भी स्थिति इस प्रकार है। हमने सोचा कि जब उत्पादन में कमी हो तो नियंत्रण करने की बात ठीक है और जब उत्पादन सामान्य स्तर पर होने लगे, तो हम इस प्रकार बुनकरों की सहायता नहीं करेंगे। बुनकरों की दशा की ओर हमारा ध्यान है और इसने हमारे सोचने के ढ़ंग को भी प्रभावित किया है।

शिवरमन समिति ने बुनकर समुदाय की समस्याओं के बारे में गहनता से विचार किया। आप भी इस बात की सराहना करेंगे कि हम समूचे रूप से हथकरघा उद्योग के लिये सही और वैज्ञानिक निर्णय लेने के लिये सही सूचना का होना नितान्त आवश्यक है। सब से पहले हमें करघों के बारे में गणना करनी होगी। यह सुनिश्चित करने के लिये धन का नियतन किया गया है कि वास्तव में कितने लोग हथकरघा उद्योग में लगे हुये हैं, ताकि सूचना एकत्र की जा सके और हम इस मामले में दीर्घकालीन और सही निर्णय कर सकें।

हम ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि कई और कताई मिलें स्थापित की जाये ताकि बुनकरों की समस्याओं का समाधान किया जाये। हम ने उन्हें बहुत ही स्पष्ट रूप से बता दिया है कि सरकारी क्षेत्र में इन्हें वरीयता दी जानी चाहिये और यदि एसा नहीं किया जा सकता, तो सहकारी क्षेत्र में इन्हें स्थापित किया जाये।

राज्य सरकारों को यह बात अच्छी तरह ज्ञात है कि केन्द्रीय सरकार की नीति अधिक कताई कारखानो की स्थापना को प्रोत्साहन देने की है, ताकि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र को बड़ी मात्रा में धागा उपलब्ध किया जाये। यह काम तभी पूरा हो सकता है, जबकि राज्य सरकारें हमारी इस नीति का पूरी तरह समर्थन करें। कुछ राज्य सरकारों ने और कताई कारखानों की स्थापना करने के लिये प्रस्ताव भेजे हैं और हम उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं। उत्पादन शुल्कों का उल्लेख किया गया है। इस वर्ष के बजट से पता चलता है कि विद्युतचालित करघे पर उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया गया है किन्तु हथकरघे पर इसे नहीं बढ़ाया गया है।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : इसे हटा दिया जाना चाहिये।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं इस सुझाव को ध्यान में रखूंगा।

Shri Madhu Limaye (Banka): The hon. Minister has stated that there has been a decline in the production due to the strike by the Cotton workers, resulting in the shortage of yarn. The hon. Minister should have stated the causes of their strike. I want to tell the Hon. Minister that when the member of the anti-price rise committee of women in Bombay went to see the members of the Mill Owners Association they were told in clear word that they were ready to give Rs. 12 crores to the workers but Mr. Rajni Patel stressed upon then to give only Rs. 8 crores to them and to give Rs. 65 lakhs to the Congress Fund. Will he conduct an inquiry into Bombay strike and will stringent action be taken against those people who forced this strike on Bombay workers in the interest of Political Fund?

The Hon'ble Minister has said nothing about the increase in the prices of yarns. There has been considerable increase in their prices.

The Hon'ble Minister should tell us as to why the agreement, which was signed only for northern workers, has not been extended to the workers of other areas? I want to know whether this voluntary agreement would be extended to other units also which are earning huge profits?

I want to tell the Hon'ble Minister one thing more. He has stated that this is the responsibility of the State Governments. Please let me know whether the Central Government have been asking the State Governments to send monthly report in this regard and have

been collecting information to the effect whether the distribution system has been satisfactory? I want to know specifically about Bhagalpur district. The weavers of Bhagalpur and Banka have been usually complaining that the staple yarn is not being made available to them. Will the Government ask the State Government and their officials to perform their responsibilities in this regard,

I want the full details from the Hon'ble Minister.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं ने केवल तथ्यों का ही उल्लेख किया है । श्रमिकों को हड़ताल का पूरा कानूनी अधिकार प्राप्त है ।

धागे के मूल्य के बारे में मैं सूचना दे सकता हूं । यदि वह चाहे तो मैं श्री लिमये को इस संबंध में और साहित्य दे सकता हूं ।

श्री लिमये ने स्वैच्छिक समझौते का उल्लेख किया है । मैं ने कहा है कि यह उत्तरी भारत में लागू किया गया है । यह करार मैन-मेड फाईबरस स्पिनर्स एसोसियेशन और बुनकरों की विभिन्न एसोसियेशनों के बीच हुआ है । इस मात्रा को राज्य सरकार के उद्योग निदेशालय द्वारा सरणीबद्ध किया जाता है । दक्षिणी क्षेत्र में उपभोक्ता सीधे कताई करने वालों से माल लेते हैं । ये उन्होंने अपनी इच्छा से स्वीकार किया है, हम इस बात के विशेष विरोधी नहीं हैं । यदि वे उसे राज्य के उद्योग निदेशालय के द्वारा सरणीबद्ध कराना चाहते हैं; तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

इस शिकायत का एक और कारण यह है कि कई और अनधिकृत करघे हैं जो इस कम मिलने वाली कच्ची सामग्री की मांग कर रहे हैं । इस से समस्या और भी जटिल हो गयी है ।

सैंच्युरी एनका और श्री सिंथेटिक्स के बारे में भी कहा गया है । मैं ने सदन में कहा था कि इन्हें भी स्वैच्छिक समझौते के अधीन लाया जायगा किन्तु एक बात है कि चूंकि वे कुछ बाद में उत्पादन क्षेत्र में आये हैं, इसलिये उनका हिसाब किताब विशेष ढंग का है । मैं पुनः यह कहता हुं कि यह दायित्व उन पर डाल दिया जाएगा । इस बारे में कोई मतभेद नहीं हो सकता ।

जहां तक बिहार सरकार के अधिकारियों का सम्बन्ध है, मेरे विचार में अब सरकार बदल जाने से वे अधिक रूचि लेंगे ।

बम्बई के बारे में दी गयी सूचना निराधार, अनावश्यक और गलत है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा से बाहर के किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाता है तो मंत्री महोदय को अग्रिम सूचना दी जानी चाहिये ।

श्री राम गोपाल रेड्डी और डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय अनुपस्थित हैं । श्री श्यामसुन्दर महापात्र ।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासोर) : हमारे देश में बुनकरों की वर्तमान दुखद दशा यह है कि वे लगभग भुखमरी की स्थिति में हैं ।

प्रो० चट्टोपाध्याय ने 28 फरवरी, 1973 को इस सभा को बताया था कि सरकार धागे की जमाखोरी और चोरबाजारी को रोकने के लिये ऋण नियंत्रण के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है । उन्होंने यह भी बताया था कि अधिकृत कते हुये धागे के बुनकरों

[श्री श्याम सुंदर महापात्रा]

को धागे का आबंटन करना कठिन होगा । मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि उनके पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि हमारे देश में कितने हथकरघे हैं और उनमें कितने बुनकर काम कर रहे हैं । आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि हमारे देश में 10 लाख बुनकर हैं । हम उनकी दुखद स्थिति की उपेक्षा नहीं कर सकते ।

हर बार सरकार सभा में यह तर्क देती रही है कि वे इस मामले पर विचार कर रहे हैं । हमें विशेष रूप से यह बताया जाना चाहिये कि सरकार ने इस मामले के बारे में क्या किया है, ताकि सदैव के लिये हम इस समस्या का समाधान कर सकें ।

क्या सरकार कताई मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में विचार कर रही है ? क्या मंत्री महोदय कम से कम किसी प्रकार का नियंत्रण लागू करने के बारे में विचार कर रहे हैं, ताकि गरीब बुनकरों को कुछ लाभ हो सके ?

जहां तक उड़ीसा राज्य का संबंध है, वहां हजारों बुनकरों की बहुत ही दुखद दशा है । यही स्थिति पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या तमिल नाडू की भी है । देश भर में बुनकरों की दशा शोचनीय है । क्या सरकार इस बारे में भी विचार कर रही है कि जमाखोरी और चोरबाजारी को किस प्रकार रोका जाये और वितरण पद्धति की, जो बहुत अधिक भ्रष्ट हो चुकी है, देखभाल किस प्रकार की जाये ?

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या औद्योगिक क्षेत्र में धागे के मूल्यों के बारे में स्वैच्छिक अनुशासन को लागू करने के लिये कुछ उपाय किये हैं और यदि हां, तो कौन कौन से ?

कपास के मूल्यों और वस्त्रों के मूल्यों को स्थिर करने के लिये सरकार क्या करना चाहती है ? सरकार को इस मामले में ठोस निर्णय करना चाहिये ताकि हमारे देश के इस पिछड़े समुदाय को हमारे समाज और हमारी अर्थव्यवस्था में उपयुक्त स्थान मिल सकें ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं पहले ही बता चूका हूं कि तर्कसंगत नीति विकसित करने के लिये हमें अधिक सूचना एकत्र करने की आवश्यकता है और इसी के अनुसार उपयुक्त उपाय किये जा सकते हैं । मैं पहले ही उन उपायों के बारे में बता चूका हूँ जो हम ने किये हैं । राज्य सरकार को ही इस संबंध में पहल करनी होगी । हम उन्हें सहायता देने के लिये तैयार हैं ।

उत्पादन स्थिति में कुछ सुधार हुआ है और इसलिये कठिनाई का प्रश्न नहीं है । कपास के मूल्य की ओर हम ध्यान दे रहे हैं । समस्यायें दो प्रकार की है : यदि उत्पादकों को उचित मूल्य मिलता है, तो हमें चिन्ता नहीं करनी चाहिये, किन्तु अनुचित वृद्धि को रोका जाना चाहिये और हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

प्रोटोकाल, व्यापार तथा भुगतान संबंधी करार और भारत और बल्गारिया के बीच पत्रों का आदान प्रदान

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : मैं निम्नलिखित दस्तावेजों की, जिन पर 6 मार्च, 1974 को हस्ताक्षर किये गये, एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) आर्थिक, तकनीकी तथा वैज्ञानिक सहयोग संबंधी करार, जिस पर औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम तथा बल्गारिया के मशीन निर्माण तथा धातु विज्ञान मंत्री एंग टोंको चकारोव द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6342/74]**

(2) व्यापार तथा भुगतान करार जिस पर वाणिज्य मंत्री प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय और बल्गारिया के विदेश व्यापार मंत्री श्री इवान नदेव द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6343/74]**

(3) पारपत्रों की पारस्परिक समाप्ति के संबंध में करार, जिस पर विदेश मंत्रालय के सचिव श्री बी० सी० त्रिवेदी तथा बल्गारिया के विदेश उप-मंत्री श्री नेनको चेनदीव द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं । **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 6444/74]**

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर के 1972–73 के कार्यकरण की समिक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेख तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6345/74]

भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड का वर्ष 1972-73 का तथा भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदनों की समीक्षा तथा वाणिज्यक वाहन (पुर्नविक्रय पर प्रतिबन्ध) आदेश, 1974

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) भारत हैवी प्लेट एण्ड वसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6346/74]**

(दो) (क) भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 6347/74]**

(2) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अधीन जारी किये गये वाणिज्यिक वाहन (पुर्नविक्रय पर प्रतिबन्ध) आदेश,

[श्री दलबीर सिंह]

1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 11 जनवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 27(ङ) में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6348/74]**

टनकपुर, उत्तर प्रदेश में जी० आई० सी० स्टोन (बाजरी) क्वारी में हुई घातक दुर्घटना और उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड की घुरमा चूना पत्थर खान में हुई घातक दुर्घटना तथा कोयला खान कुटुम्ब पेंशन (तीसरा संशोधन) स्कीम, आदि

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) 29 दिसम्बर, 1972 को जी० आई० सी० स्टोन (बाजरी) क्वारी, टनकपुर (उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा डिवीजन) में हुई घातक दुर्घटना सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6349/74]**

(2) 2 सितम्बर, 1973 को उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड की घुरमा चूना पत्थर खान, मिर्जापुर जिला (उत्तर प्रदेश) में हुई घातक दुर्घटना सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6350/74)**

(3) (एक) कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन तथा बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तगत कोयला खान कुटुम्ब पेंशन (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 10 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० आ० नि० 1223 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6351/74]**

(4) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 30क के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 फरवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०आ० नि० 139 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6352/74]**

(5) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1970-71 के लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।) **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 6353/74]**

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैय्या) : मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 11 मार्च, 1974 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प पर चर्चा ।

(2) आज की कार्य-सूची की किसी ऐसी मद पर विचार जिस पर चर्चा समाप्त न हुई हो ।

(3) वर्ष 1974-75 के बजट (सामान्य) पर सामान्य चर्चा ।

(4) 1974-75 के लिए लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) को सभा में मतदान के लिये प्रस्तुत करना ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : प्राय: हर रोज समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित होता है कि पश्चिम बंगाल में खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी है । इस मामले को विधान सभा में कई बार उठाया जा चुका है और इस मामले के संबंध में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने भी विधान सभा में एक वक्तव्य दिया था । इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि क्या खाद्यान्नों की सप्लाई की कमी को केन्द्र द्वारा पूरा किया जायेगा और क्या इस दिशा में कोई कार्यवाही की गयी है ?

समाचार पत्रों में यह भी छपा है कि ग्राम्य क्षेत्रों में वितरण पद्धति के बिल्कुल असफल हो जाने का खतरा पैदा हो गया है । उचित दर की दुकानों में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हैं । कभी कभी माइलों की सप्लाई भी बन्द कर दी जाती है । मैं माननीय मंत्री से पश्चिम बंगाल को खाद्यान्नों की सप्लाई की स्थिति के बारे में वक्तव्य देने की प्रार्थना करता हूं । मुझे आशा है कि सरकार गुजरात की घटनाओं से सबक सीखेगी और अन्य राज्यों में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देगी ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : कर्मचारी संघ तथा साधारण बीमा निगम के बीच हुये समझौते को लागू न करने के वित्त मंत्री के निर्णय के विरुद्ध देशव्यापी अन्दोलन किया जा रहा है और लोगों ने भूख हड़ताल भी कर रखी है । देश व्यापी सांकेतिक हड़ताल भी होने वाली है । मैं श्रीमती रोहतगी से प्रार्थना करता हूं की वह उन कर्मचारियों की ओर ध्यान दें तथा इस सभा को आश्वासन दें कि कर्मचारियों के साथ आगे बातचीत शुरू की जायेगी ताकि इस स्थिति को और खराब होने से बचाया जा सके ।

मेरा दूसरा प्रश्न भी वित्त मंत्रालय से सम्बद्ध है । समाचार पत्रों में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है कि मूल्य सूचकांक में और वृद्धि होने के कारण सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक और किश्त देय हो गई है । सरकार कीमतों को रोकने में पूर्णतया विफल रही है ; इसलिए सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ते की और किश्त मांगने के लिए बाध्य है । सरकार को इस बारे में शीघ्र वक्तव्य देना चाहिए ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान "दि फाइनेन्सियल एक्सप्रैस" में "टाप इकानामिस्ट वान्टस् टू क्विट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसके अनुसार योजना आयोग के वरिष्ठतम अर्थशास्त्री डा० के० एस० गिल ने समय से पूर्व सेवा निवृत्त होने की अनुमति मांगी है । संभवत: आयोग की निष्क्रियता के कारण उन्होंने यह कदम उठाया है । तीन महीने से योजना आयोग की कोई

[श्री पी० जी० मावलंकर]

बैठक नही हुई है । पांचवीं योजना को तैयार करने में भी विलम्ब हो रहा है । फरवरी में राष्ट्रीय विकास परिषद की जो बैठक होनी थी, वह अभी तक नहीं हुई है । संसाधनों की क्रमिक समीक्षा करने का कार्य भी अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

सरकार ने पांचवीं योजना को अन्तिम रूप देने के बारे में सदन को विश्वास में नहीं लिया है । मैं यह चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर थोड़े समय के लिए चर्चा कराने के लिए सहमत होने के लिए योजना मन्त्री वक्तव्य दें ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने दस बजे से पहले नियम 377 के अधीन तीन नोटिस दिये थे । मैं उन पर चर्चा करने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी नियम 377 के अधीन आये नोटिसों की बात नहीं कर रहा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : महंगाई भत्ते में वृद्धि काफी पहले देय हो गई है । कीमतों में काफी वृद्धि हो चुकी है और रुपये के वास्तविक मूल्य में कमी हो रही है । मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वह यही और इसी वक्त महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा करें ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : I would like the Government to make an announcement here and now about the increase in the dearness allowance.

The Government had reached an agreement regarding the problems of general Insurance Employees, but the agreement has not been implemented so far. The Government should clarify as to why there has been a delay in this regard.

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दण्डवते, जब मैंने 21 फरवरी की बुलेटिन के बारे में कहा था तो मैं इस पैरा का उल्लेख कर रहा था जिस में यह कहा गया है कि संसदीय कार्यमंत्री प्रत्येक शुक्रवार (हर सप्ताह के अन्तिम कार्य-दिवस) को अगले सप्ताह की कार्यवाही के बारे में वक्तव्य देते हैं, इसलिए उस दिन नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति नहीं दी जाती ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने नियम 377 के अधीन सुबह 10 बजे से पहले नोटिस दिए थे, परन्तु मैंने बाद में एक पत्र भेजा था जिसमें यह अनुरोध किया था कि नियम 377 के अधीन नोटिसों को मद सं० 8 के लिए माना जाय ।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय के वक्तव्य के बाद नियम 377 का उल्लेख किये बिना ही सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं ।

आप लिखकर दे दें । मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले हफ्ते मैं नियम 377 के अधीन चर्चा उठाने की अनुमति दे दूंगा ।

श्री माधुर्य हालदार (मथुरापुर) : कार्य मन्त्रणा समिति की इस रिपोर्ट में पुनर्वास मन्त्रालय का कहीं कोई उल्लेख नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : कार्य-निर्धारण तो कार्य मन्त्रणा समिति करती है, मन्त्री महोदय नहीं ।

श्री के० रघुरामैया : माननीय सदस्यों ने कुछ प्रश्न सामने रखे हैं । मैं उन विषयों को सम्बद्ध मन्त्रियों के ध्यान में ला दूंगा ।

श्री माधुर्य हालदार : पुनर्वास मन्त्रालय के बारे में क्या निर्णय हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : कार्य मन्त्रणा समिति की अगली मीटिंग में इस पर विचार किया जायेगा ।

कार्य मन्त्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

38 वां प्रतिवेदन

संसदीय-कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 38वें प्रतिवेदन से, जो 6 मार्च, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 38वें प्रतिवेदन से, जो 6 मार्च, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक
UNION DUTIES OF EXCISE (DISTRIBUTION) AMENDMENT BILL

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर से प्रस्ताव करती हूं :

"कि संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं ।

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) संशोधन विधेयक
ADDITIONAL DUTIES OF EXCISE (GOODS OF SPECIAL IMPORTANCE) AMENDMENT BILL

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर से प्रस्ताव करती हूं :

"कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं ।

सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक

ESTATE DUTY (DISTRIBUTION) AMENDMENT BILL

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर से प्रस्ताव करती हूं :

"कि सम्पदा-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले विधयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सम्पदा-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Five minutes past Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

रेल बजट 1974-75 सामान्य चर्चा—जारी

RAILWAY BUDGET 1974-75 GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव अपना भाषण जारी रखें ।

Shri R.P. Yadav (Madhepura) : Sir, yesterday I was saying that I would congratulate the honourable Minister for presenting such a balanced Railway budget despite financial crisis and indiscipline of Railway employees. It is commendable that the Railways had transported 24 lakh tons of foodgrains from Punjab and Haryana to the drought affected areas on priority basis.

The north eastern region of the country especially eastern U.P., Bihar, Assam and newly created small states are very backward from Railway point of view. These states have not got even the one-third of the railway facilities. I would like to say a few words regarding a very backward district, Saharsa of Bihar. I had raised very small demands, but I regret to say that even such demands have not been met though assurances have always been given.

The first demand is that a railway link be provided between Daman Madhepura and Singhshwar via Birpur. Birpur is headquarter of Kosi irrigation channels and is an important place from strategic point of view also. It has been said that rail link upto Birpur would be very expensive, but work may be undertaken in a phased manner. Singheshwar is a major religious place of Bihar, but I do not find any mention of this rail link in the current year's budget.

Secondly, a raillink should be provided between Bihariganj and Simari Bakhtiarpur. Last year the honourable Minister had said that economic difficulty would not be allowed to come in the way of raillink in backward areas upto 60 K.Ms. This area is so much backward that even the old persons have not seen the railway train. This area supplies 5 to 7 lakh maunds of jute and 3 to 4 lakh maunds of foodgrains to other areas every year. The honourable Minister had assured to have a survey of the area but no provision has been made in the budget for this purpose. Baluah should be made a halt station.

Many trains have been cancelled due to shortage of coal. The Railway department states that there is a shortage of coal, whereas the Department of Mineral says that there is a shortage of wagons. Both the departments are under the Government and there should be close co-ordination between them. On 13th of February, I had to wait for 12 hours to board a train. The office of the Commissioner is at Saharsa. There is no train in the day-time, whereas four trains pass during the night. When I explained this position to the D.S. of Samastipur Division and asked him to make the necessary arrangement he said that it was his responsibility. You kindly enquire into this.

The year 1973 has been a year of strikes and agitations. Though employees of some of the categories have gone on strike without any prior notice, but there are some of the categories who had given sufficient time for their legitimate demands, but Railway authorities made no efforts to look into the grievances until the employees resorted to the extreme step of strike. If the legitimate demands of the employees are met in time, the Railways could not have suffered heavy losses and the inconvenience to the people could have be avoided

As present, there are many unions and federations in the Railways some of them recognised and some of them unrecognised. The honourable Minister had convened a meeting with a view to have one union for one Industry. There labour leaders had also expressed willingness to accept this idea. I would request that steps might be taken for this purpose through secret ballot.

The Railway Board is a white elephant. It has always made efforts to being bad name to the Minister who tries to be assertive.

The Railway guards have never gone on any agitation, but the Pay Commission has done injustice to them. The honourable Minister had also said that the recommendations of Third Pay Commission would not be implemented in respect of Railway guards until a decision was taken. But the D.S. of Northern Railway has ordered to implement the recommendations. The guards have now decided to launch "Work to-Rule" agitation with effect from 10th of March, 1974. Their demand is to provide them a scale beginning from Rs. 330. Pay Commission has also recommended a Pay Scale beginning from Rs. 330 for the existing scale beginning from Rs. 130. The honourable Minister should look into this demand so that the guards may not be compelled to go on agitation.

[Shri R. P. Yadav]

Shri Hanumanthaiya, the former Railway Minister had fixed the responsibility of running the trains in time on the top officials. As a result, the trains had started running in time. The honourable Minister should also make some arrangement to ensure the running of trains in time.

I fully agree that under the present circumstances, it is necessary to raise the fares but a relief should be given upto 25 Kilometers.

If you are really interested in making some improvement in the Railways, restructuring of official machinery, reorganisation of zones is absolutely necessary. Big zones, such as Northern zones are unmanageable, smaller, zones are better from administrative point of view

I would like to congratulate the Minister for taking up the conversion of new Bangaigaon Gauhati line. The work on Muzaffarpur, Raxaul, Nangal Talwara, Malda-Belurghat, Gaya-Rajgir should also be expedited.

The Railway Board has decided to introduce reservation of seats one year in advance at four metropolitan cities of Calcutta, Bombay, Delhi and Madras There is already a black-marketing of tickets. I do not know how it would check black marketing.

With these words, I support the Railway budget.

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं अपने विचार व्यक्त करने से पहले यह कहना चाहूंगा कि रेल-किराये और भाड़े में वृद्धि के बारे में मैं जो कुछ शब्दों द्वारा व्यक्त करना चाहूंगा, उसे मेरे बहादूर समाजवादी सत्याग्रहीयों ने कानपुर—इलाहाबाद रेल लाइन पर सत्याग्रह करके और अपने जीवन का उत्सर्ग करके व्यक्त कर दिया है ।

कुछ सदस्यों ने यह राय व्यक्त की है कि रेल बजट में वर्ष 1974-75 के अन्त तक 52.79 करोड़ रुपये का घाटा होगा । वस्तुतः कुल घाटा 116.05 करोड़ रुपये का होगा। सरकार को आम आदमी पर भार डाले बिना ही आय में वृद्धि करनी चाहिए थी ।

रेलवे बोर्ड की एक संस्था के रूप में मैं आलोचना करना चाहता हूं । इसके ढांचे और कार्यकरण में सुधार होना चाहिए । इसके द्वारा होने वाले अपव्यय को रोका जाना चाहिए । रेलवे बोर्ड सरकार के भीतर एक सरकार है । रेलवे बोर्ड निर्णय लेता है और मन्त्रालय अनुसरण करता है ।

समाज के सम्पन्न वर्ग पर अधिक भार डाला जाना चाहिए । प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित डिब्बों के यात्रियों के किराये में वृद्धि की जानी चाहिए । तीसरे दर्जे के यात्रियों के किराये में कमी की जानी चाहिए । यह आश्चर्य की बात है कि ऊंचे दर्जे के यात्रियों से केवल 4.44 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति होगी जबकि तीसरे दर्जे के यात्रियों से 16.48 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी ।

रेल सुरक्षा बल पर भारी व्यय हो रहा है और यह अपने दायित्वों को भली प्रकार नहीं निभा रहा है । रेल सुरक्षा बल रेल चोरी बल बन गया है । इस पर होने वाले व्यय में भारी कटौती की जानी चाहिए ।

रेलवे के विस्तार कार्यक्रम बजट प्रस्तावों का महत्वपूर्ण भाग हैं । मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि धनाभाव के कारण वर्ष 1974-75 के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइनो के निर्माण कार्यक्रम को शामिल करना सम्भव नहीं हो सका है । राज्य सरकारों, संसद सदस्यों और सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा सुझाई गई रेल लाइनों के बारे में सर्वेक्षण किया गया है । मन्त्री महोदय ने यह भी कहा है कि पांचवीं योजना के दौरान इस रेल लाइनों के निर्माण कार्य को प्रारम्भ किया जायेगा, परन्तु यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

पश्चिम तट कोंकण रेलवे लाइन और मराठवाड़ा रेलवे लाइन के बारे में अनेक बार यह कहा गया है कि पिछड़े क्षेत्रों में रेल-लाइनों और परिवहन सुविधाओं के रूप में आर्थिक विकास के लिए मूल ढ़ांचे को तैयार नहीं किया जायेगा, तब तक पिछड़े क्षेत्रों का विकास नहीं हो सकता । उद्योगों का तब तक विकास नहीं हो सकता, जब तक संचार साधन न हों । इसलिए इस दुश्चक्र को तोड़ना होगा । पश्चिम तट कोंकण रेलवे लाइन के निर्माण के बारे में अनेक बार आश्वासन दिये गये हैं । यह भी कहा गया कि इसे अकाल राहत कार्यक्रम के रूप में शुरू किया जायगा, परन्तु अकाल की छाया के समाप्त होने पर इस रेलवे लाइन को भी पीछे ढ़केल दिया गया । इसके लिए सर्वेक्षण तक नहीं किया गया है और न योजना आयोग ने मंजूरी दे दी है । मन्त्री महोदय कृपया इस ओर ध्यान दें ।

अनेक सदस्यों ने बोनस के प्रश्न का उल्लेख किया । बोनस आस्थगित वेतन है, न कि अनुग्रह अनुदान । जब तक वर्तमान वेतन और जीवन-निर्वाह वेतन में अन्तर है, उसे आंशिक रूप से पूरा किया जाना चाहिए । मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय रेलवे के औद्योगिक कर्मचारियों के प्रति भेदभाव नहीं करेंगे ।

नैमित्तिक श्रमिक व्यवस्था सामन्तशाही का प्रतीक है और समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित करने वाली इस सरकार को नैमित्तिक श्रमिक व्यवस्था तत्काल समाप्त करनी चाहिए।

शोलापुर डिवीजन के रेलवे कर्मचारियों की यह मांग है कि शोलापुर डिवीजन को मध्य क्षेत्र के साथ मिलाया जाय । सरकार ने इस बारे में समिति भी नियुक्त की है । मुझे आशा है कि सरकार समिति की सिफारिशों को स्वीकार करेगी और शोलापुर डिवीजन को मध्य क्षेत्र में मिला लिया जायगा ।

यदि कोई व्यक्ति विमान में यात्रा करता हुआ मरता है तो उसके परिवार वालों को मुआवजे की राशि एक लाख रुपये मिलती है । परन्तु यदि वही व्यक्ति रेल दुर्घटना में मरता है, तो उसे केवल 50,000 रुपये की राशि मिलती है । कितना बड़ा अन्तर है यह । श्रेणी दो के अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किये गये अधिकारी और अधीनस्थ श्रेणी से परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर पदोन्नति किये गये अधिकारी—के बीच भी बड़ा भेदभाव बरता जाता है । यह भेदभाव दूर किया जाना चाहिए । हमारे देश में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के रेल यात्रियों को उपलब्ध सुविधाओं में बहुत बड़ा अन्तर है, वह भी दूर किया जाना चाहिए ।

रेलवे में श्रेणीवार यूनियनों से रेलवे की कार्यकुशलता पर प्रभाव पड़ा है । मेरे विचार से एक उद्योग में एक ही यूनियन होनी चाहिए । हां, उसका प्रतिनिधि-स्वरूप मतदान द्वारा निश्चित होना चाहिए । अन्त में, मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि आल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन और इसके प्रधान श्री जार्ज फरनेन्डीज यह चेतावनी पहले ही दे चुके हैं कि यदि उनकी बोनस, वेतन आयोग की सिफारिशें तथा अन्य मांगें स्वीकार न की गई, तो उक्त फेडरेशन के सदस्य हड़ताल करेंगे तथा अन्य यूनियनें भी इस हड़ताल का समर्थन करेंगी । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस चेतावनी पर ध्यान देंगे और उनकी शिकायतों को दूर करेंगे और उनकी उचित मांगों को स्वीकार करेंगे ।

श्री पट्टाभिराम राव (राजमूंद्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेलवे बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि विद्यमान परिस्थितियों में इससे अच्छा बजट हो ही नहीं सकता था । जहां तक मेरे राज्य का सम्बन्ध है, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने रेल मंत्रालय से नाडिकुड़े से बीबीनगर तक बड़ी लाइन बिछाने का अनुरोध किया था । भद्राचलम होती हुई बेलाडिला से कोवयुर तक रेलवे लाइन की मांग की है । यह भद्राचलम क्षेत्र से होकर गुजरेगी जो एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और जहां लोह खनिज तथा अन्य

[श्री पट्टाभिराम राव]

खनिज पदार्थों की बहुलता हैं। यह गोदावरी के उस क्षेत्र से गुजरेगी जहां चावल की उपज बहुत अधिक होती है। यह रेल लाइन आन्ध्र प्रदेश के लिए आवश्यक है। नन्दयाल से कटपाड़ी तक बड़ी लाईन, जो आन्ध्र प्रदेश के सीरपुर—कागजनगर को मध्य प्रदेश में लगम से जोड़ती है, के लिए भी अनुरोध किया गया है। हैदराबाद और सिकन्दराबाद को जोड़ने वाली एक सरकिट रेल लाइन की मांग भी की गई है। राज्य में कुछ लाइनों को बड़ी लाइन में बदले जाने का भी मैं समर्थन करता हूं। इससे कुच्छ रेल मार्गों की लम्बाई कम होगी। कोयले और डिजल की कमी को देखते हुए इस ओर गम्भीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए।

आन्ध्र प्रदेश में लोगों को अपेक्षित संख्या में माल डिब्बे नहीं दिये जा रहे हैं। इससे कच्चा माल और उत्पाद निर्धारित स्थान पर उचित समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। मंत्री महोदय को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश में एक्सप्रेस गाड़ियां भी धीमी गति से चलती हैं उनकी गति बढ़ाई जानी चाहिए। हैदराबाद-मद्रास एक्सप्रेस, 45 और 46 एक्सप्रेस तथा हैदराबाद–दिल्ली एक्सप्रेस गाड़ियों की गति तेज की जाये। गाड़ियों की गति बढ़ा दिये जाने से न केवल ईंधन बचेगा बल्कि इससे यात्रियों को बहुत अधिक सुविधा होगी। यह मामला पहले भी उठाया गया था किन्तु उसका उत्तर दिया गया कि अन्य रेल जोनों में यह सम्भव न होगा क्योंकि यह गाड़ी दक्षिण-मध्य रेलवे या मध्य रेलवे लाइन से गुजरती है। मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक रेल जोन को अपने आपको पृथक् नहीं समझना चाहिए। रेलवे बोर्ड को विभिन्न रेलों में समन्वय बनाये रखने का प्रयास करना चाहिए। इससे जनता को अधिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आज के द्रुतगामी युग में यह बहुत आवश्यक हो गया है कि गाड़ियां ठीक समय पर चलें और गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंचे।

Shri Shir Kumar Shastri (Aligarh) **:** Mr. Deputy Speaker, Sir, it is my presumption that if hon. Minister had been able to check the evil of pilferage and corruption rampant in the Railways, there would have not been the necessity of increasing the fares and freights. This evil has been constantly increasing. In booking offices extra money is openly demanded for reservation of berths. The crises being faced by Railways can be met if the evil of corruption and pilferage in Railways is put to an end. The present financial, difficulties cannot be solved by making increase in fares and freights. So I request the hon. Minister to give due attention to these problems and try to devise the ways and means of solving them.

[**श्री वसंत साठे** पीठासीन हुए।]
[SHRI VASANT SATHE *in the Chair*.]

Every year it is said that more amenities will be provided to the passengers. But there is still overcrowding in trains and people get no sitting berth and the long distance passengers have to face a lot of inconvenience. This is injustice with the travelling public. There is no provision of drinking water in the first class compartments and they have inadequate lighting arrangements. It has been pointed out several times that the catering arrangements are very poor in Railways. this situation should be improved. Though surcharge has been levied for fast trains but they still run late. The fast moving trains should strictly observe their running schedule.

Now I would like to put before you some demands of the people of my areas. The Janta Express going to Howrah should be made to halt at Madras Station, which is the third station from Aligarh. It will help a large number of people working in Government Press or going to attend the court. Passengers on third class fare should be allowed to travel in Kalka Mail between Aligarh and Delhi. Moreover, there is no arrangement at Aligarh Station for reservation of seats in Gauhati Express and Jayanti Express trains. This arrangement should be made there. With these words I conclude.

श्री आर० एन० बर्मन (बलूरघाट) : सभापति महोदय, रेल बजट पर चर्चा में भाग लेते समय में कुछ विशिष्ट और कुछ आम समस्याओं का उल्लेख करना चाहूंगा। किराये में वृद्धि का सर्वसाधारण पर भार पड़ता है, इसके अतिरिक्त मंत्री महोदय के प्रस्तावों से मुद्रास्फिति की आशंका है। गत वर्ष यह आम शिकायत थी कि वैगनों की कम सप्लायी के कारण विभिन्न उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कोयला न मिल सका। कोयले की अनियमित सप्लायी का सीमेंट के उत्पादन तथा बिजली पर भी प्रभाव पड़ा है। मैं यह देखकर भी निराश हुआ कि किराये में वृद्धि के साथ साथ यात्रियों को भी कोई सुविधायें प्रदान नहीं की गयी है।

मंत्री महोदय ने मालदाह-बलूरघाट रेलवे लाइन के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 893 दिनांक 26 फरवरी, 1974 के उत्तर में बताया था कि सर्वे रिपोर्ट पर विचार हो रहा है, लेकिन बजट में उन्होंने कहा कि सर्वे किया जायेगा। इस प्रकार के परस्पर विरोधी विवरणों का क्या कारण है ? इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय। मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि यह रेलवे लाईन पांचवीं योजना में पूरी की जायेगी। मुझे आशा है कि रेल मंत्री उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे में कालियागंज नामक स्थान पर उपरिपुल निर्मित करने की ओर ध्यान देंगे। मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि इस क्षेत्र की ओर ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं रेलवे बजट का समर्थन करता हूं।

***एम० एम० जोजफ** (पोरमाडे) : देश में सर्वसाधारण के लिये परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन रेलवे ही है। इसका अर्थ यह है कि किराये में वृद्धि से सर्वसाधारण पर भार पड़गा। किराये में वृद्धि इस उद्देश्य से की बतायी जाती है कि एक्सप्रेस और मेल गाड़ियों में भीड़ कम हो। मेरे विचार में इससे बिना टिकट यात्रा अधिक होगी।

रेल मंत्रालय को देश में रेलवे लाईनों के विद्युतीकरण की ओर ध्यान देना चाहिये। केरल में रेलवे लाइनों के विस्तार की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। केरल की उपेक्षा करने के दृष्टिकोण को छोड़ दिया जाना चाहिये।

केरल में साबरी माला नाम का एक तीर्थस्थान है जहां प्रतिवर्ष 5 लाख तीर्थयात्री जाते है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इलायची और कालीमिर्च काफी मात्रा में पैदा होती है जिस से देश को काफी विदेशी मुद्रा मिलती है। अत: तीर्थस्थान तथा विदेशी मुद्रा को ध्यान में रखते हुये साबरी माला के लिये नई रेलवे लाईन खोली जानी चाहिये।

केरल के लोगों पर किराये में वृद्धि का सब से अधिक भार पड़ेगा। उन्हें सामान और पार्सलों के लिये भी अधिक भाड़ा देना पड़ेगा।

नैमित्तिक श्रमिकों की मजदूरी हर राज्य में भिन्न है। मेरे विचार में मजदूरी हर राज्य के लिये समान होनी चाहिये।

श्री ए० के० कोत्राशट्टी (बेलगांव) : मैं रेलवे बजट का समर्थन करता हूं। रेलवे के मामले में कर्नाटक की उपेक्षा की गयी है। पिछली पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान करोड़ों रुपये रेलवे लाईनों को बिछाने के लिये खर्च किये गये लेकिन कर्नाटक के लिये कोई भी पैसा व्यय नहीं किया गया। केन्द्रीय सरकार के पास राज्य सरकार ने अनेक प्रस्ताव भेजे जिन पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। मिराज और बंगलौर के बीच की लाईन बहुत महत्वपूर्ण है। इस लाईन को बड़ी लाईन में बदलने के लिये कई बार मांग की गई है जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस रेलवे लाईन को बदलने से न केवल सरकार की आय बढ़ेगी बल्कि उस सूखा-ग्रस्त क्षेत्र के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा।

---

*मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Malayalam.

[श्री ए० के० कोत्राशट्टी]

हुबली से कारवार तक रेलवे लाईन बनाने से होस्पेत से कारवार होकर लौह अयस्क का निर्यात करने में आसानी होगी ।

राज्य सरकार ने रेलवे लाईनों के बारे में बहुत से प्रस्ताव भजे है । इनमें से पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान प्रति वर्ष कम से कम एक लाईन अवश्य बनायी जानी चाहिये ।

Shri M. Satyanarayan Rao (Karimnagar) : Though Talengan a is one of the backward areas, yet not a single railway line has been laid there. We have presented so many demands and memoranda for opening new lines there but no attention has been paid to that by the hon. Minister. There has been a persistent demand for the last 20 years for a railway line from Ramgaundan to Nizamabad via Karimnagar. Industries cannot develop there without railway line. This line should be surveyed and sanctioned immediately.

The role of Railway Protection Force is dissatisfactory. They are not protecting the railway passengers. There is no security for the passengers.

In addition to this, the railways are also not running in time. There is something wrong at the bottom. We are no doubt suffering from national indiscipline. Common man is holding the high ups responsible for this sorry state of affairs. We should try to put an end to this indiscipline. We are not going to progress if this indiscipline is not stopped. We should not repeat the histroy of Gujarat in other parts of the country.

I will again request the hon. Minister to pay necessary attention towards Ramgudam Nizamabad line.

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : I welcome and support the Railway Budget presented by the Railway Minister.

Indiscipline is the root cause of strikes and other troubles in the railways. In the national interest, we should give a serious thought to it for removing these ills.

The Railway Minister has initiated certain changes of far reaching importance in Railways. Railways in our country have assumed greater importance in the present times.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अगली बार अपना भाषण जारी रखे ।

सभापति महोदय : अब गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरःस्थापित किए जाएंगे ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—अनुपस्थित ।

श्री मुरा सोनी मारू—अनुपस्थित ।

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय—अनुपस्थित ।

बेंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) संशोधन विधेयक

BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKING AMENDMENTS BILL

(धारा 3, 4 आदि का संशोधन)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बैंककारी कंम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय कृषिक कर्मकार विधेयक, 1974

INDIAN AGRICULTURAL WORKERS BILL, 1974

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि देश में कृषिक कर्मकारों के कल्याण की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में कृषिक कर्मकारों के कल्याण की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री डी० के० पंडा : मैं विधेयक प्रस्तापित करता हूं :

उड़िसा कृषिक कर्मकार विधेयक, 1974

ORISSA AGRICULTURAL WORKERS BILL, 1974

श्री डी० के० पंडा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उड़ीसा राज्य मे कृषिक कर्मकारों के कल्याण की व्यवस्था करने तथा उनके कार्य की शर्तों को विनियमित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उड़ीसा राज्य में कृषिक कर्मकारों के कल्याण की व्यवस्था करने तथा उनके कार्य की शर्तों को विनियमित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री डी० के० पंडा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1974

PREVENTION OF FOOD ADULTERATION (AMENDMENT) BILL, 1974

(नई धारा 16 क का अन्तः स्थापन और धारा 20क आदि का प्रतिस्थापन)

श्री डी० के० पंडा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री डी० के० पंडा : मै विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

रेलवे (आकस्मिक श्रम उत्पादन) विधेयक

RAILWAY (ABOLITION OF CASUAL LABOUR) BILL

सभापति महोदय : अब सभा में उक्त विधेयक पर आगे विचार किया जाएगा ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : नैमित्तिक श्रमिकों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए मैंने यह सुझाव दिया था कि एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त किया जाए जो देश के सभी उपक्रमों में विशेषकर रेलवे में काम करने वाले नैमितिक श्रमिकों की समस्याओं के सभी पहलुओं पर विचार करे । जिसमें उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जा सके तथा उनकी सेवाओं का पूरा-पूरा उपयोग भी किया जा सके ।

मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि रेलवे से सम्बद्ध विभिन्न संघटनों में विभिन्न श्रेणियों में काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों को प्रशिक्षण दिलाया जाना चाहिए । उनके लिए आवास की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि कुछ ऐसे नैमित्तिक श्रमिक है जो खानाबदेशों की भांति एक स्थान से दूसरे स्थान पर मांगते फिरते हैं । रेल प्रशासन को इन श्रमिकों के हितों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए तथा इनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए । यह विधेयक पर्याप्त नहीं है अत: सरकार को उच्च शक्ति प्राप्त आयोग की अवश्य स्थापना करनी चाहिए ।

****श्री० जे० माता गोडर** (नीलगिरी) : महोदय, मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं । रेलवे के प्रत्येक क्षेत्र में नैमित्तिक श्रमिक हैं किन्तु उन सभी को एक समान मजूरी नहीं दी जाती । अत: मेरा अनुरोध है कि आकस्मिक श्रमिकों के लिए समान मजूरी नीति होनी चाहिए । पांचवी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय निम्नतम आवश्यकता के बारे में एक अध्याय है । सरकार इस नीति पर बहुत बल देती है । किन्तु क्या रेलवे में काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों की निम्नतम आवश्यकताएं इतनी मंजूरी से पूरी हो सकती है ? अत: मेरा अनुरोध है कि सरकार नैमित्तिक श्रम प्रणाली को तत्काल समाप्त करे तथा इन सभी श्रमिकों को नियमित श्रमिक बनाएं ।

**तमिल में दिये गये भाषा के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

**Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

इन आकस्मिक श्रमिकों का एक यह भी दुर्भाग्य है कि उनकी कोई यूनियन नहीं है जिसके माध्यम से वे अपनी समस्याओं को व्यक्त कर सकें। नैमित्तिक श्रमिकों को भी वहीं कार्य करना पड़ता है जो नियमित श्रमिक करते है किन्तु उन्हें मजूरी उनके बराबर नहीं मिलती। यह सामाजिक अन्याय है।

एक ओर प्रधान मंत्री देश के सामाजिक अन्याय को दूर करने की दुहाई देती है तथा दूसरी ओर रेलवे में काम करने वाले उन नैमित्तिक श्रमिकों के साथ इतना अधिक सामाजिक अन्याय किया जा रहा है।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्य के नाते मैंने लगभग सभी सरकारी उपक्रमों को देखा है तथा उनमें नियमित श्रमिकों की तुलना में नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है। यदि यह स्थिति किसी गैर-सरकारी उपक्रम में हो तो श्रम आयुक्त उस पर गम्भीर आपत्ति करता है तथा उपक्रम को विवश किया जाता है कि नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया जाए। खेद है स्वयं सरकारी उपक्रमों में सरकार की इस नीति का अनुसरण नहीं किया जाता। मुझे आश्चर्य है कि राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया कि रेलवे में आकस्मिक श्रम का उत्पादन किया जाए।

आज ही एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि आकस्मिक श्रम प्रणाली समाप्त करने का प्रश्न विचाराधीन है। सरकार कब तक इस प्रकार इस मामले को टालती रहगी? मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि सरकार इन गरीब लोगों को यह कहकर धोका दे रही है।

सम्भवत: सरकार समझती है कि यदि नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया गया तो उपदान आदि पर सरकार का खर्च बढ़ जाएगा। क्या गत सात वर्षों से रेलवे को लाखों रुपयों का घाटा नहीं हो रहा? यदि रेलवे प्रशासन चाहे तो अन्य निरर्थक खर्च को समाप्त करके इस अतिरिक्त खर्च को सरलता से वहन किया जा सकता है।

मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय एक निश्चित अवधि बताएं जिसमें आकस्मिक श्रम प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही इस विधेयक का विरोध केवल इस लिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक विपक्षी दल के सदस्य द्वारा लाया गया है।

Dr. Kailas (Bombay South): Sir, I congratulate Shri Kachwai for bringing here this important Bill. I fully agree with him that the system of casual labour in Railway and also in other departments of the Government should be abolished.

I would like to suggest that as far as possible the contractors and agents who supply the Casual labour should be done away with. If it is not possible to do away with the contractor and agents, at least some conditions should be attached before a job is entrusted to them that they must provide certain basic amenities like housing, medical care etc. to the labour. If it is done they can not exploit the labour and the poor people would be given human treatment in future.

I would also like to suggest that the hon. Minister should chalk out a plan aiming at gradual reduction of casual labour. May I know whether the hon. Minister is aware of the total number of casual labour in Railways? We always talk of socialism but we are not proceeding towards socialism. This situation is harmful. Therefore the Minister should tell a definite period by which casual lobour system would be abolished in the Railways.

Shri Ramkanwar (Tonk): Sir, while congratulating the moves of this Bill I would like to comment that the interest of tne casual labourers are ignored by not only the officers of the Railways but the Minister as well. Casual labourers are also exploited by the officers of this Department. I am sorry to say that after 26 years of our independence these poor people could not be given social justice.

[Shri Ramkanwar]

Most of these workers belong to lowest strata of the society and belong to scheduled caste and scheduled tribes. If Government are really interested in improving the living condition of these poor people they should accept the Bill.

I would also like to suggest that all the casual workers should be regularised and their wages should be increased. With these words I support this Bill.

सभापति महोदय : चर्चा के लिए निर्धारित समय समाप्त हो चुका है । क्या सभा अधिक समय चाहती है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : मेरा सुझाव है कि 45 मिनट का समय और दिया जाए ।

सभापति महोदय : क्या समय बढ़ाया जाए ?

कई माननीय सदस्य : जी हां ।

सभापति महोदय : समय पांच बजे तक बढ़ाया जाता है ।

Prof. Madhu Dandavate (Rajapur) : More than 42 per cent of our people live below poverty line as a result of which they are forced to accept any job at any wage. Casual labour system is nothing but the reminiscence of imperialism. It must be abolished. I do not find any justification in keeping different wages at different places. There should be a uniform wage policy in this regard. Dr. Kailash has rightly stated that casual workers are exploited even by the officers of the Railways.

Railway is the biggest undertaking in the public sector. If casual labour system is abolished in the Railways then other public undertakings will also follow suit. It is a progressive measure and I therefore request that both the sides of the House should support this Bill.

श्रीमती रोजा देशपांडे (बम्बई मध्य) : मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं तथा सत्तारूढ़ दल से भी निवेदन करती हूं कि इस विधेयक का समर्थन किया जाए ।

रेलवे में लगभग चार लाख नैमित्तिक श्रमिक है जिनको सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है । यह दयनीय स्थिति है । मेरा सुझाव है कि सभी नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी कर देना चाहिए । इस बारे में कोई ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत धीरे-धीरे सभी नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी किया जा सके । स्थाई किए जाते समय श्रमिकों की स्वास्थ्य परीक्षा जैसी कुछ औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है जिसमें व कई बार फिट नहीं पाए जाते । सरकार को ऐसे नियमों में सुधार करना चाहिए ।

आकस्मिक श्रम प्रणाली एक पुंजीवादी प्रणाली है तथा यह केवल रेलवे में ही नहीं वरन देश के अन्य उद्योगों में भी विद्यमान है । अतः मेरा निवदन है कि मंत्री महोदय इस प्रणाली को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए । ऐसा करने पर गैर-सरकारी क्षेत्र में यह कदम उठाए जा सकते है ।

नैमित्तिक श्रमिकों को सदा यह खतरा बना रहता है कि उनको किसी समय बेरोजगारी का मुंह देखना पड़ सकता है । इस स्थिति में उनसे कार्यकुशलता की क्या आशा की जा सकती है ? सरकार को इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि रेलवे की सभी यूनियनों ने यह चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं को हल नहीं किया गया तो हम सब एक हो जाएंगें तथा कोई कार्यवाही करेंगें । उनकी पहली मांग यही होगी कि नैमित्तिक श्रमिकों को स्थाई बनाया जाए ।

आशा है कि मंत्री महोदय इस मामले पर पुनः विचार करेंगे तथा इसे स्वीकार भी करेंगे।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : रेलवे में नैमित्तिक श्रमिक प्रणाली समाप्त किए जाने की मांग अनेक वर्षों से की जा रही है। रेल मंत्री के इस कथन की मैं सराहना करता हूं कि रेलवे में नियोजित ढंग से नैमित्तिक श्रमिक प्रणाली समाप्त करने के बारे में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

खड़गपुर डिवीजन में काम कर रहे नैमित्तिक श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी मिलती है जबकि बालासौर, पुरी और गंजम में नैमित्तिक श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी भी नहीं मिलती क्योंकि वे खुर्दा रोड डिवीजन के अन्तर्गत आते हैं। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

रेलवे प्रशासन में यदि कहीं भ्रष्टाचार व्याप्त है तो नैमित्तिक श्रमिक क्षेत्र में। रेलवे में लगभग 50 लाख कर्मचारी काम करते हैं और उन में से लगभग तीन चार लाख नैमित्तिक श्रमिक हैं। सरकार को इस प्रकार का सुनियोजित कार्यक्रम बनाना चाहिए कि 4 लाख नैमित्तिक श्रमिकों में से 50,000 अथवा 20,000 अथवा 10,000 नैमित्तिक श्रमिकों को आगामी तीन वर्षों में नियुक्त कर 25 वर्ष में नैमित्तिक श्रमिक प्रणाली समाप्त की जा सके।

लगभग सब कार्मिक संघों ने नैमित्तिक श्रमिक प्रणाली समाप्त करने तथा न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की मांग की है।

खुर्दा रोड डिवीजन में नैमित्तिक श्रमिकों का न्यूनतम वेतन केवल एक रुपया 25 पैसे था और भारी आन्दोलन के बाद इसे 3 रुपये 50 पैसे किया गया। जब कभी नैमित्तिक श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी बढ़ाने की मांग की जाती है, हमें शीघ्र यह उत्तर मिलता है कि जिला कलेक्टर ने उन्हें जिले में मिलने वाली न्यूनतम मजूरी के बारे में कोई सूचना नहीं दी है।

नैमित्तिक श्रमिकों की मजूरी सब जिलों में समान होनी चाहिए। खड़गपुर डिवीजन में नैमित्तिक श्रमिकों की मजूरी 6 रुपये से 8 रुपये तक है जबकि खुर्दा रोड डिवीजन में 3.50 रुपये है। इससे नैमित्तिक कर्मचारियों में आपस में कटुता उत्पन्न होती है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

नैमित्तिक श्रमिक प्रणाली अपने उद्देश्यों का पालन करने में असफल रही है।

कटक-पारादीप रेल सम्पर्क परियोजना से 2,000 नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी की जा रही है। इन नैमित्तिक कर्मचारियों ने 10 से 15 वर्ष तक कार्य किया है और उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ अनुभव प्राप्त हो गया है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह जाकपुरा-बसपाणी रेल सम्पर्क परियोजना पर शीघ्र कार्य आरंभ करे जिससे 2,000 नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी न हो।

खुर्दा रोड डिवीजन पर भी दक्षिण-पूर्व रेलवे का वर्कशाप आरम्भ करना चाहिए जिससे 10 से 15 वर्ष तक काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो सके।

Shri M. Satyanarayan Rao (Karimnagar) : I congratulate Shri Kachwai for ntroducing this Bill. I request that this Bill be accepted.

There are no two opinions in regard to abolition of casual labour. Perhaps, the hon. Minister will agree with me in this matter. Ours is a Socialist Country and if the people have to face so much difficulty in getting employment, it is not proper.

Some people have been working for the last 15, 20 and 30 years as casual labourers. But here is no guarantee that they will be absorbed any where.

Taking into consideration the difficulties of the Casual labourers, the hon. Minister hould accept this Bill.

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : भारतीय रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में अनेक बार विस्तार से चर्चा की जा चुकी है, लेकिन इस बारे में यह बात समझ ली जानी चाहिए कि नैमित्तिक कर्मचारियों को रेलवे को मजबूर होकर रखना पड़ता है । इस प्रणाली को एक दम समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा करने पर बहुत अधिक व्यय होगा । यदि नैमित्तिक कर्मचारियों को न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत नियमित मजूरी दी जाए तो भी इस पर आवर्ती व्यय 40 से 45 करोड़ रुपया होगा ।

हमारी नैमित्तिक कर्मचारियों से पूरी सहानुभूति है और हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हम उन्हें यथा सम्भव स्थायी पदों पर नियुक्त करें । गर्मी के मौसम में हम यात्रियों को जल उपलब्ध कराने के लिए नैमित्तिक कमचारी नियुक्त करते हैं । बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में मरम्मत के काम के लिए भी नैमित्तिक कर्मचारी रखे जाते हैं । काम समाप्त होते ही उन्हें सेवा से निकाल दिया जाता है । इन, सबको अस्थायी कार्यों पर ही लगाया जाता है और काम पूरा होने पर उन्हें सेवा से निकाल दिया जाता है ।

सभापति महोदय : ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें नैमित्तिक कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया था और जो रेलवे में लगातार दो वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मेरे पास इस बारे में अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं है । काम समाप्त होने के बाद नैमित्तिक कर्मचारियों की सूचि बना ली जाती है और जब कभी किसी अन्य स्थान पर कार्य आरंभ होता है तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि उन्हीं नैमित्तिक कर्मचारियों को पुनः नियुक्त किया जाये । लेकिन कभी कभी वे अन्यत्र जाना नहीं चाहते और वे अपने निवास स्थान के निकट ही रहना चाहते हैं ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : कितने नैमित्तिक कर्मचारी 10 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : 22,000 से अधिक नैमित्तिक कर्मचारी 10 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं ।

नैमित्तिक कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करते समय इस बात के पूरे प्रयास किए जाते हैं कि उनके लिये वैकल्पिक नौकरी की व्यवस्था की जाये, उनको उनके निवास स्थान के निकट नौकरी देना हमेशा सम्भव नहीं होता ।

नैमित्तिक कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करते समय औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें छंटनी सम्बन्धी मुआवजा दिया जाता है । उनको स्थायी नोकरी देने के अतिरिक्त, रेलवे के वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत सब सुविधाएं दी जाती हैं । हम उन्हें अधिकतम सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं ।

अब हमने चौथी श्रेणी की सीधी भर्ती रोक दी है और श्रेणी चार में अब सब नियुक्तियां नैमित्तिक कर्मचारियों में से की जाती ह । अब तक हम लगभग 70,000 नैमित्तिक कर्मचारियों को नियुक्त कर चुके हैं । इस वर्ष हम 25,000 व्यक्तियों को रेलवे में स्थायी तौर पर नियुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं । जब कभी चौथी श्रेणी के पद रिक्त होंगे हम उन पदों पर नैमित्तिक कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे ।

मजूरी के कम स्तर की बात कही गई है । माननीय सदस्य जानते हैं कि जो लोग पत्थर तोड़ने या सड़क बनाने आदि के काम में लगे हैं वे न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अधीन आते हैं । इन कामों पर नियुक्त

नैमित्तिक श्रमिकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मजूरी दी जाती है। अन्य लोगों को जिन पर अधिनियम लागू नहीं होता उन्हें, स्थानीय अधिकारियों द्वारा नियत दरों पर मजूरी दी जाती है।

परियोजनाओं के अतिरिक्त नियोजित नैमित्तिक श्रमिकों को अन्य अस्थायी श्रमिकों के समान माना जाता है और 4 महीने की निरन्तर सेवा के बाद उन्हें रेलवे के अस्थायी कर्मचारियों के समान वेतनमान और भत्ते दिए जाते हैं।

मिया भाई न्यायाधिकरण द्वारा इस मामले की जांच की गई थी। न्यायाधिकरण द्वारा यह सिफारिश की गई है आकस्मिक श्रमिकों को अन्य अस्थायी श्रमिकों के समान मानने के लिए 6 महीने की निरन्तर सेवा की शर्त को चार महीने कर दिया जाना चाहिए। श्री कछवाय द्वारा यह भी कहा गया है कि हमने अपने विभागों को यह निदेश दिए हैं कि चार महीने की निरन्तर सेवा के बाद आकस्मिक श्रमिक की सेवा में एक-दो दिन की छुट्टी करके उनकी सेवा में विघ्न डालकर उसे पुनः रख लिया जाता है। इस प्रकार उसकी निरन्तर सेवा में जानबूझकर व्यवधान डाला जाता है। इस सम्बन्ध में मुझे केवल यही कहना है कि इस प्रकार के कोई गोपनीय आदेश किसी भी विभाग को जारी नहीं किए गए हैं। हम श्रमिकों के सुधार और कल्याण के लिए उतने ही इच्छुक हैं जितने कि माननीय सदस्य।

सदैव यह प्रयत्न रहता है कि उन्हें शीघ्र से शीघ्र स्थायी श्रमिक बनाया जाए।

मिया भाई न्यायाधिकरण द्वारा एक यह सिफारिश भी की गई है कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले आकस्मिक श्रमिकों को भी यदि उनके नजरों में अधिक मजूरी मिलती है, तो उन्हें अधिक मजूरी दी जानी चाहिए। यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। एक सिफारिश यह भी थी कि जब किसी आकस्मिक श्रमिक को निरन्तर 180 दिन तक काम पर रखा जाता है या यह अवधि 6 महीने से अधिक होती है, तो उस श्रमिक को नियमित वेतन मान की 1/30 मजदूरी दी जानी चाहिए। सरकार द्वारा इस सिफारिश पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। कछवाय जी द्वारा सेवा के व्यय धान के बारे में जो आरोप लगाया गया है उसी सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इससे निपटने के लिए हमने चार महीने की सेवा में 15 दिन की छुट्टी की व्यवस्था कर दी है।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : I want a clarification. A labourer was laid off after 3 months and 28 days. During this period the labourer did not avail of any leave. Now with this proposed leave of 15 days, whether his service will be treated as continued service?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : I am prepared to go even to this extent that even if he has availed of 6 to 10 days leave during 3 months and 28 days service, the gap of 10 days in the service should be ignored and his service should be considered as continued service. We are very clear about it. It has also been recommended by the Tribunal that if a casual labourer is engaged on work which automatically extents on 31st March, the continuity of service should be maintained and this should not be regarded as break in service if sanction for that work is received or given subsequently. This recommendation has been accepted by the Government.

माननीय सदस्य श्री कछवाय और श्री भट्टाचार्य द्वारा आकस्मिक श्रम के नियोजन में दुराचारों का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने सुपरवायजरों का उल्लेख भी किया है। यदि वह इस प्रकार के दुराचारों के कुछ विशिष्ट मामले मेरे नोटिस में लायें तो मैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने को तैयार हूं।

श्री भाटिया ने ठीक ही कहा है कि श्रमिकों को कोई रोजगार न देने से तो उन्हें अस्थायी रोजगार उपलब्ध करवाना कहीं अच्छा है। इसी प्रकार डा० कैलास द्वारा ठेके के श्रमिकों को संरक्षण देने की बात

[Shri Mohd. Shafi Cuarshi]

कही गई है। उन्हों ने सुझाव दिया है कि टेन्डर मांगते समय ही यह शर्त लगाई जानी चाहिए कि श्रमिकों को पय जल तथा निवास स्थान आदि की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायेंगी। उनका यह सुझाव निश्चय ही बड़ा ठोस है और इसकी व्यवस्था हमने पहले ही अपने टेंडर प्रणाली में कर दी है।

इस विधेयक को सदन में लाने के पीछे, माननीय कछवाय साहब की जो भावना है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मुझे खेद है कि सरकार अभी इस विधेयक को स्वीकार नहीं कर सकती। आकस्मिक श्रमिकों के सम्बन्ध में मैंने जो विस्तृत ब्यौरा दिया है उसके सन्दर्भ में मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य यह विधेयक वापिस ले लेंगे।

Shri Hukam Chand Kachwai : I am grateful to all the hon. Members who have participated in the discussion on this Bill. A good number of points have been clarified by the hon. Minister, but on many points he has tried to mislead the House. Many points which I raised in speechhave not been replied . It has been stated by the hon. Minister that there are 3 lakhs and 17 thousand casual labourers in the country out of which many are permanent. But according to my information their number is about five and, half a lakhs. I want to know the steps taken by the Government to regularise them. What steps have been taken to secure the services of persons who are employed by the contractors of various stalls on various stations? This point has not been touched at all by the hon. Minister in his reply.

The laws which are formulated for the welfare of labourers, their implementation is delayed. Even the implementation of Miabhoy Commission's report was delayed.

The Government has taken a long time in implementing the recommendations of the Miabhoy Commission. We want to know the reason why there was so much delay in implementing this report.

He has said that the abolition of this system would cause a heavy burden, but the fact is that the Government have got no concrete proposals to take any action in this regard. It is correct to say that it would involve the expenditure of Rs. 40-50 crores, but they are earning also.

It is known that the pay of gangman is fixed by local district Collector. They should not be paid through district Collector. This system should be abolished and their wages should be increased.

No record for the attendance of the casual labour is being maintained. This provides a scope for all kinds of malpractices. Corruption has also crept into the system of their recruitment.

I hope that the Hon'ble Minister will accept my Bill. I wanted that the Minister would extend the facilities of provident fund and gratuity to them. The land along the railway lines should be allotted to them or to the gangman for the purpose of cultivation in order to enable them to maintain themselves and their families. I request the Hon'ble Minister to accept my Bill.

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : हम लोकमत जानने के हेतु इसे परिचालित करने के लिए भी तैयार हैं।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं इसके लिए सहमत नहीं हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे में आकस्मिक श्रमिकों के नियोजन की प्रथा समाप्त करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was negatived.

सभापति महोदय : हम अब श्री मधु लिमये के परिसीमन (संशोधन) विधेयक पर विचार करेंगे।

परिसीमन (संशोधन) विधेयक

DELIMITATION (AMENDMENT) BILL

नई धारा 9क का अन्तःस्थापन

Shri Madhu Limaye (Banka) : I want to explain briefly the reasons why I want to bring this Bill before the House. We should understand fully the provision made in the Constitution. Article 326 lays down the right of adult franchise in elections to the House of the People and to the legislative Assemblies of the States.

[श्री जगन्नाथ राव जोशी पीठासीन हुए।
SHRI JAGANNATHRAO JOSHI *in the Chair*]

Myself and many other like minded persons want that every person, who has attained the age of 18 years, should be considered as an adult.

In the Articles 81 and 170 (2) of the Constitution, it has been made clear that territorial constituencies for elections to Lok Sabha and State Assemblies should be so delimited that they are roughly equal in size and that there should not be wide discrepancies in the size of the constituencies. Thus the Constitution has enunciated the principle of equality for delimitation of constituencies. There should also be no discrimination against any area in this matter.

Article 329 debars the people from taking the matter relating to delimitation of constituencies to the courts of law. It is therefore necessary to amend the present Delimitation Act, so that the intention of the provisions of 81 and 170 (2) etc. of the Constitution is carried out.

An analysis of the size of constituencies for the House of the People and the Legislative Assemblies reveal wide disparities.

The Constitution has prescribed the elections to the House of People and Legislative Assemblies would be on the basis of adult sufferage. Thus the Constitution has accepted the principle of equality and adult franchise. The Parliament should intervene in the matter of delimitation of the constituencies.

Once a Bill was moved in regard to the Union territories but at that time I had accepted the principle that the small states should have more representation in Lok Sabha. In regard to Union territories, they should be compared to other constituencies of Lok Sabha rather than to those of other States and there should as far as practicable the ratio of 100 : 110.

Shri B. V. Naik (Kanara) : In this case the principle of one man one vote cannot be introduced.

Shri Madhu Limaye : I want that the basis for the minimum electorate for the union territories for the purpose of Lok Sabha should be different from the basis of the States, but there should be the same basis for two constituencies which are situated in a single area.

The value of every vote, irrespective of caste and creeds, should be equal. There was long drawn struggle for one man one vote in Britain and necessary improvements were made through Reforms Act. Similarly there were disparities in the matter of representation in the U.S.A. also. But our people were lucky that they had not to resort to any struggle for this purpose. The Constitution had accepted the principle of equality and adult franchise. In case the Election Commission, Delimitation Commission and Committees do not implement the relevant provisions of the Constitution, will the Parliament not interfere? I have stated in this Bill that for the House of People, the difference in the number of voters in any two territorial constituencies of the States, mentioned in sub-clause (a) of Clause (1) of Article 81 of the Constitution should not exceed, so far as practicable, the ratio of 100:110. The same principle will apply to legislative Assembly and centrally administered areas. I would request the hon'ble Minister to agree with me. I have made the provisions for the said ratio keeping in view the administrative difficulties. The Government should not make it a prestige issue and cooperate in getting this Bill passed.

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि परिसीमन अधिनियम, 1972 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे (बेतूल) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने इस विधेयक के प्रस्तावक के भाषण का आरम्भिक भाग नहीं सुना। इसलिए मुझे पता नहीं है कि उन्हों ने इस विधेयक के संवधानिक पक्ष पर प्रकाश डाला है या नहीं। यदि उन्होंने ऐसा किया हो तो आप मेरे व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार कर दीजिये। मेरा कहना यह है कि प्रस्तावक ने जिस खण्ड का सुझाव दिया है उसमें लिखा है......... कि अधिनियम की धारा 9 में जो कुछ भी लिखा हो उसके बावजूद ...." धारा 9 में अनुच्छेद 81(2) (बी) की भाषा को दोहराया गया है। यदी यह बात ठीक है तो क्या यह नई धारा नही होगी ? क्या इससे अनुच्छेद 81 (2) (बी) का उल्लंघन नहीं होगा ? यदी यह बात ठीक है तो क्या हम इस ढंग से इस विधेयक पर चर्चा कर सकते हैं ?

Mr. Chairman : It has been stated in the Article that 'so far as practical'. It come under that. However you will get your chance and you can express your views on that occasion. I do not see any legal objection in it.

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा-पूर्व) : राज्यों और केंद्रीय संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं की संख्या को समान करने का विचार बहुत अच्छा है और उनमें 100 प्रतिशत से 145 प्रतिशत तक का अन्तर नहीं होना चाहिये। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु मैं सभा का ध्यान कुछव्यावहारिक कठिनाईयों की ओर दिलाना चाहता हूं। भारत मे जमीन एक जसी नहीं है। इसीलिये हर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या बराबर नहीं हो सकती। पहाड़ी क्षेत्रों में आबादी दूर दूर तक फैली होती है। क्षेत्र बड़ा होता है परन्तु वहां पर जनसंख्या कम होती है। अतः इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि दो श्रेणियां बनायी जानी चाहिए। जहां तक मैदानी इलाकों का सम्बन्ध है, वहां पर मतदाताओं की संख्या बराबर रखी जा सकती है। परन्तु पहाड़ी इलाकों की स्थिति भिन्न है। वहां पर केवल पैदल ही पहुंचा जा सकता है। अतः ऐसे क्षेत्र का मापदण्ड भिन्न होना चाहिए। भारत में हिमाचल प्रदेश, नागालैन्ड और मिजोरम, त्रिपुरा आदि में एसे स्थान हैं। अतः हमें इस सम्बन्ध में व्यावहारिक प्रश्न पर विचार करना चाहिए।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : सभापति महोदय, मैं श्री दशरथ देव के विचारों से सहमत हूं। यही कारण था कि जब माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र का उल्लेख किया, तो मैंने इस तथ्य के बारे में बताया था कि इसी प्रकार के और क्षेत्र भी हैं जिनके बारे में यह आवश्यक नहीं है कि वे हिमालय की तिलहटी पर ही हों। उदाहरणतया पश्चिमी घाटों के साथ साथ भी इसी प्रकार के क्षेत्र हैं। मैं देश के अन्य भागों के बारे में मैं नहीं जानता जहां ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं। किन्तु मैं यह भी कहूंगा कि राजस्थान में भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां कि जनसंख्या इतनी कम है कि ...

सभापति महोदय : आप कृपया उन्हें इसे अधिक बनाने के लिए मत उकसाइये।

श्री बी० वी० नायक : इन परिस्थितियों के अन्तर्गत हम जनसंख्या के 100:110 के अनुपात के सिद्धान्त की बहुत ही सराहना करते हैं।

मैं प्रस्तावक को केवल दो बातों के सम्बन्ध में विचार करने की प्रार्थना करता हूं। एक तो यह है कि चुनाव क्षेत्र के विस्तार के बारे में निश्चय करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इसके अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र कम जनसंख्या वाले हैं अथवा बड़ी जनसंख्या वाले।

दूसरी बात वर्तमान तेल संकट से उत्पन्न होती है, यद्यपि यह बहुत ही असंगत बात दिखाई देती है। यदि एक निर्वाचन क्षेत्र में 3000 से 7000 वर्ग मिल का क्षेत्र रख दिया जाता है, तो केवल पैट्रोल पर कितना अधिक खर्च होगा क्योंकि पैट्रोल के मूल्य 300 प्रतिशत बढ़ गए हैं। इस सन्दर्भ में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्या यह क्षेत्र मरु स्थल है, पहाड़ी क्षेत्र या छुटपुट जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ऐसा वहां भी हो सकता है जहां जनसंख्या कुछ अधिक हो, अधिकतम और न्यूनतम का अन्तर न हो, जसा कि वह निर्धारित कर रहे हैं।

विधेयक का सिद्धान्त तो स्वीकार्य है, किन्तु मेरे विचार में इस समय इसे व्यवहारिक रूप नहीं दिया जा सकता।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : इस विधेयक के लक्ष्यों और उद्देश्यों को देखते हुए यह मालूम होता है कि श्री लिमये अपने मामले के पक्ष में संविधान में प्रतिपादित आधार से भिन्न आधार पर तर्क करते रहे हैं। संविधान में यह उपबंध है कि जनसंख्या ही परिसीमन का आधार है न कि मतदाता। अतः, अनुच्छेद 81 (2) (ख) का संशोधन करने वाला संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाना चाहिये। तभी परिसीमन अधिनियम का संशोधन किया जा सकता है। उसके बिना हम कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं। स्वाभाविक रूपसे जनसंख्या का आधार ही उचित आधार है।

मैं यह मामला मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि उड़ीसा में एक निर्वाचन क्षेत्र का नाम अचानक 'बानपुर' से 'चिलका' कर दिया गया है। इस देश के इतिहास में पहली बार उपचुनाव में बानपुर-चिलका से कोई नामांकन पत्र नहीं भरा गया। इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन भेजे गए। हमें बताया गया है कि 'बानपुर' और 'रणपुर' के नामों के हिज्जों में गलती हो जाती है, इस लिए परिसीमन आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के नाम को बदलने के बारे में सोचा ताकि हिज्जों की गलती की गुंजाइश ही न रह (**व्यवधान**) बानपुर और रणपुर के नामों से गत पांच चुनाओं में तो कोई भ्रान्ति नहीं हुई। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 25 वर्षों और पांच चुनाओं के पश्चात ऐसा करना वास्तव में ही एक आश्चर्यजनक बात है। ऐसे परिसीमन सम्बन्धी प्रस्ताव संसद के सामने पेश किए जाने चाहिए। इस निर्वाचन क्षेत्र को चिलका—बानपुर के नाम से पुकारा जाना चाहिए, ताकि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की भ्रान्ति न रहे और चुनाव क्षेत्र का मूल नाम भी बनता रहे तथा बानपुर के लोगों की इच्छा की भी पूर्ति हो जाये। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस पर विचार करे।

श्री विश्व नारायण शास्त्री (लखीमपुर) : मेरे माननीय मित्र श्री मधु लिमये समानता लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि लोक सभा में प्रतिनिधित्व के बारे में बहुत अधिक असमानतायें हैं।

प्रस्तावक महोदय यह चाहते हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता बराबर होने चाहिए और यदि अन्तर हो भी तो इसका अनुपात 100:110 से अधिक नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर लद्दाख का क्षेत्र है। यदि माननीय सदस्य के सुझाव के अनुसार अनुपात के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया जाये तो लद्दाख को प्रतिनिधित्व मिल ही नहीं सकता।

श्री बी० वी० नायक : अरुणाचल प्रदेश भी ऐसा ही क्षेत्र है।

श्री विश्व नारायण शास्त्री : वह संघ राज्य क्षेत्र है।

सभापति महोदय : श्री शास्त्री जी, आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 11 मार्च, 1974/20 फाल्गुन, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March 11, 1974/ Phalguna 20, 1895 (Saka).

GIPN—S4—5 LSS./74—10-6-74—490.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी
में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains
Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]